

**Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI**

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131)

Print Date : 13-08-2019 5:55 PM

Fee Receipt No	:	201902063003658	Receipt Date	:	13/08/2019
Name	:	SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA	Document S. No.	:	201901063003633

Address : 11 B ,SARDARPURA , BACHRAJ JI KA BAGH ,JODHPUR ,JODHPUR

Document Type : Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent

Face Value	:	₹ 284	Evaluated Value	:	₹ 194400
Ord-Registration Fee	:	₹ 12	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹
CSI	:	₹ 200	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0
Stamp (Memorandum)	:	₹	Reg (memorandum)	:	₹
Surcharge	:	₹ 12	Stamp Duty	:	₹ 57
Penalty	:	₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0
Us_25_34	:	₹ 0	Commission	:	₹ 0
Custody	:	₹	Others	:	₹ 0
			Cash Amount Received	:	₹ 0
			Other than Cash	:	₹ 281
			Total Amount	:	₹ 281

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gra Challan 32553861 ₹ 281

Signature of presenter or applicant for
copy of Search certificate

Cashier



Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR
सुब रजिस्ट्रार, लुनी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख 6402
1/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सन्सिटी विल्डिङ्स प्रा. लि. जॉर्जे निदेशक जी राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनुवंतराज मेहता

व्यवसाय निवासी 11 वी, 9^म फाल रोड, बच्चराज जी का बाबा, सरदारपुरा, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से ऐसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा फालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम तनावडा के खसरा संख्या 177 क्षेत्रफल 88.88 वर्ग मी. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में ताल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये वार्षिक अंके 1459.98 मात्र पैशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा कराई जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेंगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अकधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किसी पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या बत्तीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुभिसंधि या उसके उत्प्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तनावडा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
20' x 40' = 80 x 80 वर्ग गज

सीमा पूर्व रीड 30' फुट सीमा पश्चिम रीड 30' फुट

सीमा उत्तर रीड 30' फुट सीमा दक्षिण रीड 30' फुट मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 49

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीफोन ने इसके बाद प्रत्येक दश में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री जोधपुर विकास प्राधिकरण
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

उपायुक्त (दाक्षण)
नगर निकाय - प्रथम पक्ष
जोधपुर विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम
पिता/पति का नाम विक्रम शर्मा
व्यवसाय स्व. राजा राम शर्मा
निवास स्थान जय इन्फ्राटेक प्रा.लि.
- नाम
पिता/पति का नाम मिनिम कोटी
व्यवसाय गोसािया स्कूल, जोधपुर
निवास स्थान 23/SEB-7 चौमसनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

**Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI**

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 22-08-2019 5:53 PM

Fee Receipt No	: 201902063003792	Receipt Date	: 22/08/2019
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD., TH. RAJENDRA MEHTA	Document S. No.	: 201901063003967
Address	: 11 B, 8th PAL CHOPASANI ROAD, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 164400

Ord-Registration Fee	: ₹ 12	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 12	Stamp Duty	: ₹ 57
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 281
		Total Amount	: ₹ 281

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 32590079 ₹ 281

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

On

SUB-REGISTRAR
रूप पंजीयक, लुणा



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख 6403
4/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं वी. एस. सिटी बिजनेस प्रा. लि. अरिप्री निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनुवतराज मेहता

व्यवसाय निवासी श्री. श्री. हनुवतराज मेहता, सखारपुरा, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इशारेत में जहां कहीं प्रसंग से ऐसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्ताफल अलेह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साब्यकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) को हाना अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा रखीकर कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, को एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम के खसरा संख्या में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में ताल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतंत्र सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संस्करणों, प्रतिकों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, जमाता :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किंसा) के तौर पर रुपये अंके मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किंसा) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुना के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किंसा प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, व्यवस्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किंसा के 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टापुष्टि अधिकार 99 वर्ष के लिए होगा।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण करवा जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्लिखित निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, व्यवहार्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ राजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पक्षदेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

निर्देशनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सम्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रमारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कांरित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के अधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/सिंहगुल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तलावडा
खसरा नम्बर : 477
योजना का नाम :
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
20 x 100 = 2000 sq. ft.

सीमा पूर्व 30' 30" सीमा पश्चिम 30' 30"

सीमा उत्तर 30' 30" सीमा दक्षिण 30' 30" मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 50

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकों ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 07 माह के 20 वें दिन
श्री अशोक प्रकाश विश्वाकर्ष
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

उपायुक्त (पञ्चम)
नगर निकाय - प्रथम पक्ष
जोधपुर विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लोजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लोजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फ्रस्ट्रक्चर प्रा.लि.
निवास स्थान 15, दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम नितिन मोदी
पिता/पति का नाम रमेश चन्द्र मोदी
व्यवसाय एकरोल्लेड लहरीय अर्स्ट
निवास स्थान 23/SFS-7, गौतमजी इन्डस्ट्रियल बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 22-08-2019 5:44 PM

Fee Receipt No	: 201902083003786	Receipt Date	: 22/08/2019
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA	Document S. No.	: 201901063003961
Address	: 11 B, SARDARPURA, BACHRAJJI KA BAGH, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400
Ord-Registration Fee	: ₹ 12	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 12	Stamp Duty	: ₹ 57
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 281
		Total Amount	: ₹ 281

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 32583949 ₹ 281

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier



Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक, लूनी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6704
7/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सनसिती बिण्डूश्रीम शा. लि. जयपुर निदेशक श्री राजेश्वर मेहता पु. श्री हनुवतराज मेहता

जाति

विवरण

व्यवसाय निवासी सरदारपुरा जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इलाक़ में जहाँ कहीं प्रसंग से वेशा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्तकिल अलेह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साब्यधिकृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के हाथ अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कशायों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा फलन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम तनावडा

के खसत संख्या 177 क्षेत्रफल 98.89 बी.डी. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में ताल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्यों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिकंधों, बंधनों, शर्तों और कशायों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये चारपंच अंके 11/- 84.45/- मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकेंगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के परचात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टावृत्ति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेंगा। उक्त नियमों में अन्तर्दिष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अकथारित की जावेगी किन्तु किसी भी वशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जावें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जावेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रचारित नहीं की जावेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रसारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के परचात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन ने कम्पटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपचयन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के (क.प.ड.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रमारों से सहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कांति किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिहसुल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : वत्सपडा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम : —
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
20' x 40' = 99.99 वर्ग गज

सीमा पूर्व सी. 30' फुट सीमा पश्चिम सी. 30' - 6.5'
सीमा उत्तर सी. 30' - 5.0' सीमा दक्षिण सी. 30' - 5.2' मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 51

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीफोन ने इसके बाद प्रत्येक दश में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 04/07/2019 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री जोधपुर विकास प्राधिकरण
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

उपस्थित (दाक्षण)
नगर निकाय - प्रथम पक्ष
जोधपुर विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज तिथि 04/07/2019 सन् 20 04/07/2019 के माह 04/07/2019 के 04/07/2019 वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

लौजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम रम. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फांटेक प्रा.लि.
निवास स्थान 15, दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर
- नाम रमज. नाथ मोदी
पिता/पति का नाम एकउटेन्ट लहरीय आर्ट
व्यवसाय 23/SFS-7 चौपासानी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 22-08-2019 6:05 PM

Fee Receipt No	: 201902063003796	Receipt Date	: 22/08/2019
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTC. TH. RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	: 201901003003971
Address	: 11 B, SARDARPURA, BACHRAJ JI KA BAGH, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 1944.00

Ord-Registration Fee	: ₹ 12	Fee for Memorandum Us_84_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 12	Stamp Duty	: ₹ 57
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 281
		Total Amount	: ₹ 281

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 32589354 ₹ 281

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

(Signature)
Cashier



Signature of recipient
and date of return receipt

(Signature)

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक, लूणी

033881



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6405
17/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिनके इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री अनसिदी बिन्दुश्रीम शा. बि. अरि. निदेशक जी राजेश्वर मेहता पुत्र श्री हनुवतराज मेहता

जति
व्यवसाय निवासी सरदारपुरा, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से ऐसा अर्थ निकले, उनको उक्त अधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी इसी नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम तनावड़ा के खसरा संख्या क्षेत्रफल 33.88 व. डा. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में ताल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतंत्र संहिता किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किताबा) के तौर पर रूपरेखा अंक मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक भारतीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किताबा) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किताबा प्रत्येक 15 वर्षों के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किताबे का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाभूति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगी।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्ररनगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी वशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ सजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी; परन्तु लीजधारक की पृष्ठु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रचारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभावों का कोई वकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की दफाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरविवेचि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेजों के आधार पर दुर्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

निर्बंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंभृत करेगा जो सभी प्रभासों से सहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिदयुल्ल बैंक/सरकार आर्गदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत आर्गदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : ततलडा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल कागज/बर्गमीटर
20' x 40' = 88.99 वर्ग

सीमा पूर्व 30' 30" सीमा पश्चिम 30' 30"

सीमा उत्तर 20' 30" सीमा दक्षिण 20' 30" मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 52

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकें ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 04 माह के 07 2019 वें दिन
श्री अनिल कुमार विहारी
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

अभिषेक (दाक्ष)
जोधपुर निकाय प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी जोधपुर हस्ताक्षर एवं मोहर)

साक्षी :-

1. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

.....
साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम रव. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फ्राटेक प्रा.लि.
निवास स्थान 15, दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम विजय मोदी
पिता/पति का नाम कमल नाथ मोदी
व्यवसाय एकरोज लहरीय आर्ट
निवास स्थान 23/SFS-7 चौपासानी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

**Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI**

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 22-08-2019 5:58 PM

Fee Receipt No : 201902063003794	Receipt Date : 22/08/2019
Name : SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA	Document S. No. : 201901063003969

Address : 11 B ,SARDARPURA , BACHRAJJI KA BAGH ,JODHPUR ,JODHPUR

Document Type : Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent

Face Value	Evaluated Value
Ord-Registration Fee : ₹ 12	Fee for Memorandum Us_64_67 : ₹
CSI : ₹ 200	Certified copying fees Us_57 : ₹ 0
Stamp (Memorandum) : ₹	Reg (memorandum) : ₹
Surcharge : ₹ 12	Stamp Duty : ₹ 57
Penalty : ₹ 0	Inspection fee : ₹ 0
Us_25_34 : ₹ 0	Commission : ₹ 0
Custody : ₹	Others : ₹ 0
	Cash Amount Received : ₹ 0
	Other than Cash : ₹ 281
	Total Amount : ₹ 281

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)
e-Gras Challan 32586801 ₹ 281

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

(Signature)
CHETAN



Signature of recipient and date of return receipt

(Signature)
सुं धर्जियकर,सूणी

જોધપુર વિકાસ પ્રાધિકરણ, જોધપુર

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6406
4/7/19



यह विवेक आज वर्ष के माह के वें दिन प्राप्त/विकास प्राधिकरण, जोधपुर
(जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पल एवं श्री सनसिटी निर्वडहेमू प्रा. लि.
जरिमे निर्देशक श्री राजेश मेहता पुत्र श्री हनवंतराज मेहता

व्यवसाय निवासी सरदारपुरा, जौधपुर (जिनको इसको बाद
लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस द्वाबत में जहां कहीं प्रसंग से वंसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक,
प्रतिनिधि और मन्तकिल अलेह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह मिलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की एकम जो लीजधारक (घट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एकज में नगर निकाय इनको द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसो इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजपुर ग्राम तमालवा के खसरा संख्या 177 क्षेत्रफल 59.51 वर्ग मी. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संस्थाओं, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शाही जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 91195 अंके 11-5944 मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शाही जमाबन्दी या भूमि का किराया) की सशि जमा कर सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें सशि जमा करवाई जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की सशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की सशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की शक्ति के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. एक बार निश्चित किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :- पट्टापट्टि अधिकार 99 वर्ष के लिए होगी।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तासीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बतायी गयी, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिचर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्ररगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्पष्ट द्वारा अध्यास्त की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किसी पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस विमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन को साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रगारित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रमारों का कोई वकाया राजस्वान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुस्तिधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंभृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कांति किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राज्य का नाम : राजस्थान
खसरा नम्बर : 177
खोजना का नाम :
विस्तृत माप प्रति क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
20'x40' = 80.99 वर्ग गज

सीमा पूर्व रीड का फुल सीमा पश्चिम रू. सी. - 63
सीमा उत्तर रू. सी. - 52 सीमा दक्षिण रू. सी. - 54 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 53

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय को ओर से

आज सन् 20 04 माह के 07 2019 वें दिन
श्री जोधपुर विकास प्राधिकरण
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

उपर्युक्त (वांछित)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फ्राटेक प्रा. लि.
निवास स्थान 15, दधीमति नगर, भदयासिया स्कूल, जोधपुर
- नाम नितिन मोदी
पिता/पति का नाम कमल नाथ मोदी
व्यवसाय एकानट लहरीय जॉई
निवास स्थान 23/SFS-7 चौपासी हरसिंग नोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 22-08-2019 6:02 PM

Fee Receipt No : 201902063003795 Receipt Date : 22/08/2019
Name : SUNCITY BUILDHOME Document S. No. : 201901063003970
PVT. LTD. TH.
RAJENDRA MEHTA,

Address : 11-B, SARDARPURA, BACHRAJJI KA BAGH, JODHPUR, JODHPUR

Document Type : Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent

Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 1944.00
Ord-Registration Fee	: ₹ 12	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 12	Stamp Duty	: ₹ 57
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_26_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 281
		Total Amount	: ₹ 281

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 32563904 ₹ 281

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

(Signature)
Cashier



Signature of recipient
and date of return receipt

(Signature)

SUB-REGISTRAR

रूप पंजीयक लूणी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6407
11/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सनासिदी बिज्डोम डा. वि. जरीश्वर निदेशक श्री राजेंद्र मेहता पुत्र श्री हनुवतराज मेहता

व्यवसाय निवासी सरदारपुरा जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस दस्तावेज में जहाँ कहीं प्रसंग से ऐसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और पुनर्किल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की एकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कसरों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा फास्टन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम तनावडा

के खसत संख्या 177 क्षेत्रफल 88.88 वर्ग मी. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में ताल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वरूपों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संख्याओं, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कसरों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का कितना) के तौर पर सफाये अके मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का कितना) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करके हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से मुक्त प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का कितना प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, व्यावस्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के कितने का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकतर 99 वर्ष के लिए होगी।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जायें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्गित निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्ररनगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कलावधि स्वयं द्वारा अन्तर्गित की जानेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विज्ञापन विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रमादित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पशुदेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई नकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपदेशन द्वारा अधिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंज्ञित करेगा जो सभी प्रभावों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कानि किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
सकल ग्राम : तनखडा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम : —
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
20'x40' = 80.9.9.9.9.9.9

सीमा पूर्व रीडर फुल सीमा पश्चिम श्र. 80-62

सीमा उत्तर श्र. 53 सीमा दक्षिण श्र. 55 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 5.4

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकोन ने इसके बाद प्रत्येक दश में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 2019 माह के 04/07 वें दिन
श्री अशोक प्रकाश विरमोई
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

उपस्थित (दक्षिण)
नगर निकाय - प्रमुख पञ्च
जोधपुर विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन की निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लौजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लौजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 13-08-2019 6:09 PM

Fee Receipt No	: 201902053003662	Receipt Date	: 13/08/2019
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	: 201901063003637
Address	: 11-B, SARDARPURA, BACHRAJ JI KA BAGH, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400

Ord-Registration Fee	: ₹ 12	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 12	Stamp Duty	: ₹ 57
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 281
		Total Amount	: ₹ 281

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 32564776 ₹ 281

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate


Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt



SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक, लूनी



033886



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6408

4/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सुनसिरी बिस्डोम प्रा. लि. जारि निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हजवत्साल मेहता

ज्याति जयसाय निवासी सरदारपुरा, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस द्वाबारा में जहां कहीं प्रसंग से वसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कानूनों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा चालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम तनावडा के खसरा संख्या 177 क्षेत्रफल 88.82 हे.मी. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत निम्ने परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इसमें बालम्ब नक्शों में ताल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, रोकने, शर्तों और कानूनों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में स्वत्वों, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में सा ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये वापिस अंके 11/- 59480 मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के कलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधुति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगा।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बड़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तर्गत या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्दिष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिणी या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तर्गत किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अन्तर्गत की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आवेदों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिणी के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभावित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पक्षदेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरगतिविधि या उसके उत्पत्ति में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यवस्था द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंग्रहित करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की मुकदानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिडयूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तज्जोवडा
खसरा नम्बर : 177
खेजना का नाम : —
विकसित नाम सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
20' x 40' = 80.99 वर्ग गज

सीमा पूर्व 25.54 सीमा पश्चिम 20.30 फुट

सीमा उत्तर 25.63 सीमा दक्षिण 25.61 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 62

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 04/07/2019 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री रविशंकर विहारी
R.A.S.
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

रविशंकर विहारी
नगर निकाय - प्रथम पक्ष
(संसन् अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम —
पिता/पति का नाम —
व्यवसाय —
निवास स्थान —

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम —
पिता/पति का नाम —
व्यवसाय —
निवास स्थान —

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक — सन् 20 — के माह — के — वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री —
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फाटेक प्रा.लि.
निवास स्थान 15, वधोमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम जितिन मोदी
पिता/पति का नाम रामल नाथ मोदी
व्यवसाय एकअटेन्ट लहरीय आर्ट
निवास स्थान 23/SFS-7 चौपासनी हाउसिंग कोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 22-08-2019 5:30 PM

Fee Receipt No	: 201902063003778	Receipt Date	: 22/08/2019
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	: 201901063003953
Address	: 11-B, SARDARPURA, BACHRAJJI KA BAGH, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400

Ord-Registration Fee	: ₹ 12	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹ 0
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹ 67
Surcharge	: ₹ 12	Stamp Duty	: ₹ 0
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 281
		Other than Cash	: ₹ 281
		Total Amount	: ₹ 281

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Chalan 32553854 ₹ 281

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate



Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक, लूनी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आबंधन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6409
4/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के के दिना जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सुनसिरी बिन्दु होम प्रा. लि. - जारि निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनुमंतराज मेहता

ज्यासाव निवासी (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इमारत में जहां कहीं प्रसंग से विसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह बी सम्पत्तित होंगे) के मध्य निम्नलिखित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी स्वीकृत नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कशरों जो लीजधारक द्वारा निम्नलिखित तथा पालन किये जायेंगे, को एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व घात तनावडा

के खसरा संख्या क्षेत्रफल में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में खाल रूप में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संस्थाओं, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कशरों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये वापिस अंके 11/52480
- मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की शर्त जमा कर सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें शर्त जमा करायी जाती है, को सम्पत्तित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की शर्त के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कलाई गयी नगरीय निर्धारण की शर्त के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की शर्त के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के परचात और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, दयास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगा।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक को द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरित या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे नानो प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अधाशित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निम्नलिखित की जायेगी: परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई भी दस्तावेज नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेश प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या व्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभावों का कोई दस्तावेज राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूली होगी।
- यदि आबंधन या पट्टा विलेख के निष्पादन के परचात यह पाया जाता है कि आबंधन या पट्टा विलेख विधि की दुरुमिति या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आबंधन या पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंग्रहित करेगा जो सभी प्रभावों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए वायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार आणदारी संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत आणदारी संस्थाओं के पास भवन निर्माण के आण के लिए कंधा रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तज्जोडा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम : —
विरतुत नाम सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
20'x40' = 88.88 वर्ग गज

सीमा पूर्व 30' सी०-53 सीमा पश्चिम सी० 30' फुट

सीमा उत्तर 30' सी०-64 सीमा दक्षिण 30' सी०-62 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 63

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 04/07/2019 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश बिस्नोई
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

बि
उपनिष्ठा (राजस्व)
नगर निकाय - प्रथम सूक्ष
जोधपुर विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम —
पिता/पति का नाम —
व्यवसाय —
निवास स्थान —

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम —
पिता/पति का नाम —
व्यवसाय —
निवास स्थान —

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक — सन् 20 — के माह — के
वें दिन की निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लोजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लोजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फ
निवास स्थान 15, दधीमति नगर, राजा राया स्कूल, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम —
पिता/पति का नाम नितीन मोदी
व्यवसाय कमल राध मोदी
निवास स्थान एकडेन्ट सहयोगी आर्ट
23/SFS-7 चौपसनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 22-08-2019 5:32 PM

Fee Receipt No	: 201902063003779	Receipt Date	: 22/08/2019
Name	: SUNCITY BUILDHOME	Document S. No.	: 201901063003954
	PVT. LTD. TH.		
	RAJENDRA MEHTA,		
Address	: 11-B, SARDARPURA, BACHRAJJI KA BAGH, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400

Ord-Registration Fee	: ₹ 12	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 12	Stamp Duty	: ₹ 67
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 281
		Total Amount	: ₹ 281

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Chalan 32563800 ₹ 281

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate


Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt


SUB-REGISTRAR
उप-पंजीयक, लूनी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6410
1/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वें दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सुनसिरी विन्डहोम प्रा. लि. जॉर्जे निदेशक श्री राजेंद्र मेहता पुत्र श्री हनवतराज मेहता

जति
व्यवसाय निवासी सरदारपुरा, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इलाक़ में जहां कहीं प्रसंग से वैसे अन्य निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुक्तकिल्ल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यार्थित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कसरों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एकज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम तनावडा

के खसरा संख्या 477 क्षेत्रफल 28.132.33 में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतंत्र सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संस्थाओं, प्रतिबंधों, कंधों, शर्तों और कसरों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये वार्षिक अंके 11/- Square मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) को राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करवाई जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के परचात और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दावी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बड़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अधधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधन और शर्तों या किसी भूखण्ड आवेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या क्लीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रमासित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति को प्रति पक्षधर प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या व्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रधारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के परचात यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुर्मुखसिंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यवदेशन द्वारा अविप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के (कृ.प.व.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रमारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिहयूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राज्य प्रांत : राजस्थान
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विस्तृत नाम सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
20.8.40 = 88.99931

सीमा पूर्व 27.50-52 सीमा पश्चिम 27.30.52

सीमा उत्तर 27.50-65 सीमा दक्षिण 27.50-63 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 64

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकन ने इसके बाद प्रत्येक दश में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश बिस्नोई
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।
P.A.S.

होमियुक्त (दाता)
होमियुक्त विकास प्रभुसिंकर
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम
पिता/पति का नाम ...
व्यवसाय ...
निवास स्थान ...

...
साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान



साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन जो निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लोजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

...
लोजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम
पिता/पति का नाम प्रियंका शर्मा
व्यवसाय स्व. राजा राम शर्मा
निवास स्थान ऑफिसर जय इन्फास्ट्रोक प्रा.लि.
15. दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर

...
साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम नितिन मोदी
व्यवसाय कमल नाथ मोदी
निवास स्थान एकसेन्ट लहरीय आर्ट
23/85-7 मासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

...
साक्षी के हस्ताक्षर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 22-08-2019 5:36 PM

Fee Receipt No : 201902063003781 Receipt Date : 22/08/2019
Name : SUNCITY BUILDHOME Document S. No. : 201901063003956
PVT. LTD. TH.
RAJENDRA MEHTA,

Address : 11-B, SARDARPURA, BACHRAJJI KA BAGH, JODHPUR, JODHPUR

Document Type : Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent

Face Value : ₹ 284 Evaluated Value : ₹ 194400

Ord-Registration Fee	: ₹ 12	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSi	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 12	Stamp Duty	: ₹ 57
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 281
		Total Amount	: ₹ 281

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

s-Graa Chellan 32586351 ₹ 281

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

(Signature)
Cashier



Signature of recipient
and date of return receipt

(Signature)

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक, लूणी

033889



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6411
4/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सुनसिंदी विल्डहेम प्रा. लि. जयपुर निदेशक श्री राजेश मेहता पुत्र श्री हनुमंतराज मेहता

जोधपुर निवासी सरदारपुरा जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इमारत में जहां कहीं प्रवेश से पैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुक्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कर्तव्यों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा फालन किये जायेंगे, के एवज में नगर विकास इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम तनावडा के खसत संख्या 177 क्षेत्रफल 13.2.13.3.3.3 में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्व स्वागित्य संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये वार्षिक अंके 11/- Square मात्र पैशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि को फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्षों के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधुति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल कॉमर्सियल प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त विधायकों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बड़ा दी जाये, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तर्गत या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथाप्राप्त परिवर्तन सहित, अन्तर्लिखित या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तर्लिखित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस विहित विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तर्लिखित के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रचारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पहलवे प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या व्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रमारों का कोई वकाला राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुस्ति या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के (क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंगत करेगा जो सभी प्रभावों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार को नुकसानी के लिए बायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/सिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तजलिनडा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम : —
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
20'x10' = 88.88 वर्ग गज

सीमा पूर्व 22' सी०-51 सीमा पश्चिम सी० 30' फु०

सीमा उत्तर 22' सी०-66 सीमा दक्षिण 22' सी०-64 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 65

इसके साथी के रूप में इसके फरीफेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 04/07/2019 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री अशोक प्रकाश शिखर
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

(सहस्र)
नगर निकाय - प्रथम पक्ष
(सहस्र अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम —
पिता/पति का नाम —
व्यवसाय —
निवास स्थान —

—
साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम —
पिता/पति का नाम —
व्यवसाय —
निवास स्थान —

—
साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक — सन् 20 — के माह — के —
वें दिन की निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री —
लौजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

—
लौजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.
निवास स्थान 15, दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर

—
साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम नितिन मोदी
पिता/पति का नाम कमल नाथ मोदी
व्यवसाय एकाउटेन्ट लहरीय आर्ट
निवास स्थान 23/SFS-7 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

—
साक्षी के हस्ताक्षर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 22-08-2019 5:38 PM

Fee Receipt No : 201902063003782 Receipt Date : 22/08/2019
Name : SUNCITY BUILDHOME Document S. No. : 201901063003958
PVT. LTD. TH.
RAJENDRA MEHTA,

Address : 11 B, SARDARPURA, BACHIRAJI KA BAGH, JODHPUR, JODHPUR

Document Type : Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent

Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400
Ord-Registration Fee	: ₹ 12	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 12	Stamp Duty	: ₹ 67
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_26_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 281
		Total Amount	: ₹ 281

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Chalan 32585236 ₹ 281

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR
उप पंजीयक, लुनी



033890



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6412
1/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

(जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सनसिटी विल्डू होम आनलि
अरिथी निदेशक श्री राजेश मेहता पुत्र श्री हनुवतराज मेहता

व्यवसाय निवासी सरदारपुरा, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस द्वाबारा में जहां कहीं प्रसंग से वेश अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुक्तकिल अलेह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निम्नलिखित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निम्नलिखित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम तनावडा के खसरा संख्या 177 क्षेत्रफल 38.88 वर्ग मी. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ उसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में तात्त रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतंत्र संहिता किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जितने नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अग्रेत के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड को संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपरेखा वार्षिक अंके 12/- Sqm मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकेंगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी गृहि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल निवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर-निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बड़ा दी जाये, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेंगा। उक्त नियमों में अन्तर्दिष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्ररनगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या कसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभासित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुस्ति या उसके उत्संघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के (क.प.उ.)

- निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंभृत करेगा जो सभी प्रमातों से सहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।
10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिद्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
 राजस्व ग्राम : बतावडी
 खसरा नम्बर : 177
 योजना का नाम : —
 विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
20 x 40 = 80.88 वर्ग

सीमा पूर्व अ.स. 50 सीमा पश्चिम सी.ड. 30 फुट
 सीमा उत्तर सी.ड. 30 फुट सीमा दक्षिण अ.स. 65 मानचित्र संलग्न है।
 भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 66

इसके खाकी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और छरीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

अजय सन् 20 माह के 04/07/2019 वें दिन
 श्री ओम प्रकाश विश्वाकर्ष
 निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

उपस्थित (दाक्ष),
 जोधपुर विकास प्राधिकरण
 (सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
 जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम
 पिता/पति का नाम
 व्यवसाय
 निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
 पिता/पति का नाम
 व्यवसाय
 निवास स्थान



साक्षी के हस्ताक्षर

अजय दिनांक सन् 20 के माह के
 वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
 लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
 गये।

लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम विक्रम शर्मा
 पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
 व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फ्रस्ट्रक्चर प्रा.लि.
 निवास स्थान 15, दधीमाति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम नितिन मोदी
 पिता/पति का नाम यमन मोदी
 व्यवसाय रिफाइनरी लहरीय बाट
 निवास स्थान रिफाइनरी बाजार, राजसिंह रोड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 22-08-2019 5:55 PM

Fee Receipt No	: 201902063003793	Receipt Date	: 22/08/2019
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	: 201901063003958
Address	: 11 B, SARDARPURA, BACHRAJJI KA BAGH, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400

Ord-Registration Fee	: ₹ 12	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 12	Stamp Duty	: ₹ 57
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 281
		Total Amount	: ₹ 281

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Chalan 32583697 ₹ 281

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

(Signature)

Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

(Signature)

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक, लूनी

033891



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6428
1/1/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के से दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्होंने इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सनसिती विहडूटोम पाणि. जारिने निदेशक श्री रविन्द्र मेहता पुत्र श्री हनुवंतराज मेहता

व्यवसाय निवासी सस्तरपुरा, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसे अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुक्तकिल अलह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निम्नांकित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निम्नांकित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन या वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसको बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व घात तनावडा

के खसत संख्या 177 क्षेत्रफल 12.12 में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में ताल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्थापित संबंधी स्थलों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संस्थाओं, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय को कार्यालय में या ऐसी स्थान पर जिस नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 121 अंके Sq-ft मात्र पैरागी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दावी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जाये, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट विबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य विबंधनों और शर्तों या किन्हीं भूखण्ड आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या रसीद या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षेप की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई भी प्रस्तावित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पशुदेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रमारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिराधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्ब्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के (क.प.उ.)

निबंधनो और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिस्वत करेगा जो सभी प्रमारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तत्तावडा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम : -
विस्तृत नप सहित क्षेत्रफल वर्गज/वर्गमीटर
20'x40' = 88.88 वर्ग मी

सीमा पूर्व रीड 30' फुट सीमा पश्चिम रू. स. - 123
सीमा उत्तर रीड 30' फुट सीमा दक्षिण रू. स. - 83 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 82

इसके साथी के रूप में इसके फरीकन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 4/5/2019 माह के 5/5/2019 वें दिन
श्री राम प्रकाश विरमादे
जिम्मे की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।
R.A.S.

राम प्रकाश विरमादे (वर्णित)
नगर निकाय प्रथम पक्ष
(संश्लेष अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लोजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लोजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फाटेक प्रा.लि.
निवास स्थान 15, दधीमति नगर, नदवासिया स्कूल, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम नितिन मोदी
पिता/पति का नाम रमेश मोदी
व्यवसाय एकरोड लहरीय जॉई
निवास स्थान 23/3/3-7 नौताराणी लजसिन रोड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 22-08-2019 5:40 PM

Fee Receipt No	: 201902063003784	Receipt Date	: 22/08/2019
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	: 201901063003959
Address	: 11 B, 9th PAL CHOPASANI ROAD, JOODHPUR, JOODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400

Ord-Registration Fee	: ₹ 12	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 12	Stamp Duty	: ₹ 67
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 281
		Total Amount	: ₹ 281

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 32656082 ₹ 281

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

[Signature]
Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

[Signature]

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक, लूणी





जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6429
1/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं वी. सी. एस. सिटी विल्डहेम प्रा. लि. जयपुर निदेशक श्री राजेश मेहता पुत्र श्री हनुवंतराज मेहता

जालियाँ जालियाँ निवासी सरदारपुरा, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इलाक़ में जहाँ कहीं प्रसंग से वेशा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख सम्बोधित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कर्तव्यों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज कर्त्ती है जो योजना राजस्थान ग्राम तनावड़ा

के खसरा संख्या 177 क्षेत्रफल 33.33 वर्ग मी. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में सात रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतंत्र सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कर्तव्यों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 11/- अर्के 5 रुपये मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकेंगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगा।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बड़ा दी जाये, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेंगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किसी पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभावि नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभावों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुर्नियमिति या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपदेशान द्वारा अनिष्टापा किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रमारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिद्दुल्ल बैंक/सस्कार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लगू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम :
राजस्व ग्राम : तनावडा
खसरा नम्बर : 177
सोचना का नाम :
विस्तृत नाम सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
20'x40' = 88.99 वर्ग गज

सीमा पूर्व रीड 30' फुट सीमा पश्चिम रीड 30' - 122

सीमा उत्तर रीड 30' - 92 सीमा दक्षिण रीड 30' - 94 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 93

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकें ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 4/07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश विरमोई
R.A.S.
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

इसलिए (द.अथ,
नगर निकाय - प्रथम पक्ष
जोधपुर विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
सौजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

सौजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 19-11-2019 11:56 AM

Fee Receipt No Name	: 201902063003773 : SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA,	Receipt Date Document S. No.	: 22/08/2019 : 201901063003948
Address : 11 B, SARDARPURA, BACHRAJJI KA BAGH, JODHPUR, JODHPUR			
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400

Ord-Registration Fee	: ₹ 12	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSII	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 12	Stamp Duty	: ₹ 57
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 281
		Total Amount	: ₹ 281

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Chalan 3260332 ₹ 281

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier



Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख 6430
4/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सुसिली बिस्डोम शास्त्री जयिनि निवेशक श्री राजेंद्र मेहता पुत्र श्री हनुमंतराज मेहता

प्रति जाति व्यवसाय निवासी सरदारपुरा, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबास्त में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साहचर्यक करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी स्वीकृति नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कर्तव्यों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना सजस्य ग्राम तनावडा के खसरा संख्या 177 क्षेत्रफल 188.22 वर्ग मी. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतंत्र सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संश्लेषों, प्रतिबंधों, कंधनों, शर्तों और कर्तव्यों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 11/59.400 अंके मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के सदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार निश्चित किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या जमान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगा।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बका दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्दिष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, कर्तव्यपूर्ण परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अध्वारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किसी पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जावें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रमाशित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पदादेश प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रमारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुर्भिक्षिधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के (कृ.प.उ.)

- निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंज्ञित करेगा, जो सभी प्रमारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।
10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए कंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

करवे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तनखडा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम : —
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
20 x 40 = 88.88.8.8

सीमा पूर्व 20.30 फुट सीमा पश्चिम 20.30 = 121

सीमा उत्तर 20.30 = 13 सीमा दक्षिण 20.30 = 85 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 84

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 24/07/2019 वें दिन
श्री जोधपुर विकास प्राधिकरण
R.A.S.
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

अपिपुत (दक्षिण)
नगर निकाय - प्रथम पक्ष
जोधपुर विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी की हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर



साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित को उपस्थिति में उक्त श्री
सौजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

सौजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

23/SF8-7 चौपासानी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 22-08-2019 5:42 PM

Fee Receipt No	: 201902063003785	Receipt Date	: 22/08/2019
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA	Document S. No.	: 201901063003960
Address	: 11 B, SARDARPURA, BACHRAJJI KA BAGH, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400

Ord-Registration Fee	: ₹ 12	Fee for Memorandum Us_84_57	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 12	Stamp Duty	: ₹ 57
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 281
		Total Amount	: ₹ 281

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Chalan 32585022 ₹ 281

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

(Signature)
Cashier



Signature of recipient
and date of return receipt

(Signature)

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक, लूनी

033994



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6431
4/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के के दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सुनसिरी बिस्टोम पा. लि. जयि निवेशक श्री राजेश मेहता पुत्र श्री हनुवतराज मेहता

ज्याति
यावसाय निवासी सरदारपुरा जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इकाई में जहाँ कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्ताफल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी सहीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कर्तव्यों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम तनाबडा

के खसरा संख्या 177 क्षेत्रफल 28.89 वर्ग मी. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में ताल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतः सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कर्तव्यों के अधीन सहीदवार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत करे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये राशि अर्थात 11,22,000 मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक नगरीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधुति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगी।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बड़ा की जाये, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तर्गत या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्लिखित निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिपक्व सहित, अन्तर्लिखित या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तर्लिखित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अलक्षित की जायेगी किन्तु किसी भी वक्ता में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित सामस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किसी पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तर्लिखित के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ सजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या बलीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रमाप्ति नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परतदेव प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिविधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

(क.प.उ.)

10. इस पट्टा वित्तिय व आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो ...85.....

साक्षी के हस्ताक्षर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 22-08-2019 5:18 PM

Fee Receipt No	: 201902063003775	Receipt Date	: 22/08/2019
Name	: SUNCITY BUILDHOME	Document S. No.	: 201901063003950
	PVT. LTD. TH.		
	RAJENDRA MEHTA		

Address : 11 B, SARDARPURA, BACHRAJJI KA BAGH, JODHPUR, JODHPUR

Document Type : Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent

Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400
Ord-Registration Fee	: ₹ 12	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 12	Stamp Duty	: ₹ 57
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 281
		Total Amount	: ₹ 281

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)
e-Gra Challan 32583560 ₹ 281

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier



Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR, LUNI

033895



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6472
4/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सन्निधि लिटिडीयु प्रा. लि. अरिजी निवेशक श्री राजेश्वर मेहता पुत्र श्री हनुवतराज मेहता

प्राति निवासी सरदारपुरा, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इवादा में जहाँ कोई प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्तफिअत अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निम्नांकित हुआ है।

यह विलेख साब्यकारित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कर्तव्यों जो लीजधारक द्वारा निम्नांकित तथा फालन किये जावेंगे, के पूरा में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना

के खसरा संख्या 477 क्षेत्रफल 8.5+8.5 व.मी में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में ताल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कर्तव्यों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 11,00,000 अर्थात् 11 लाख मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकेंगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करने हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दावी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, दयास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगा।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बड़ा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेंगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जावें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रसारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पसंदेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीव होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुर्बलियों या उसके उत्पत्ति में कथपूर्व दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अनिर्वात किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंग्रहित करेगा जो सभी प्रचारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कांति किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कच्चे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : सनातन
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम : —
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
20' x 40' = 80 x 1600

सीमा पूर्व सीड रोड फुल सीमा पश्चिम रू.सी-119

सीमा उत्तर रू.सी-95 सीमा दक्षिण रू.सी-97 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 86

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश विरनोई
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में BAS हस्ताक्षर किये।

नगरपालिका (इंजिनियर)
(सहायक नगरपालिका सहायक अधिकारी)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित को उपस्थिति में उक्त श्री
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम
पिता/पति का नाम विक्रम शर्मा
व्यवसाय स्व. राजा राम शर्मा
निवास स्थान ऑफिसर जय इन्फांटेक प्रा.लि.
15, दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर
- नाम गितिन मोदी
पिता/पति का नाम नाथ मोदी
व्यवसाय फ्लॉयड लहरीय आर्ट
निवास स्थान 23/SR-37 कोपतनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

**Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI**

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 22-08-2019 5:45 PM

Fee Receipt No : 201902063003787 Receipt Date : 22/08/2019
Name : SUNCITY BUILDHOME Document S. No. : 201901063003962
PVT. LTD. TH.
RAJENDRA MEHTA,

Address : 11 B ,SARDARPURA , BACHRAJ JI KA BAGH ,JODHPUR ,JODHPUR
Document Type : Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent

Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400
Ord-Registration Fee	: ₹ 12	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CS	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 12	Stamp Duty	: ₹ 57
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 281
		Total Amount	: ₹ 281

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 32585976 ₹ 281

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier



Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक, लूनी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6433
4/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सनसिरी विन्डरोम जॉर्जिज चरिमे निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनुवतराज मेहता

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इलाक़ में जहाँ कहीं प्रसंग से वसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और नुत्तकिल अलंहे भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख सत्यापित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा रसीद कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कर्तव्यों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एकज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तथाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना

के खसरा संख्या 177 क्षेत्रफल 5.5 * 3.5 * 5.5 में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में ताल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतंत्र संहिता किन्तु निम्नलिखित तथाम व प्रत्येक अपवादों, संस्तरणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कर्तव्यों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 11/59,400 अंके 11/59,400 मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के परचात और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, क्यास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगा।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल इलाका प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बड़ा चौ-छाई, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, व्यवहार्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अधास्त की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभावित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परहय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रसारों का कोई वकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की वकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के परचात यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुनियमि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के (क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रभावों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कोशित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिद्दुल्ल बैंक/सरकार अणुदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत अणुदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के अणु के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

को लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : बनावडा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम : —
विस्तृत नाम सहित क्षेत्रफल खर्गज/कर्मोटर
20' x 40' = 800 वर्ग गज

सीमा पूर्व 21.3.30' फुट सीमा पश्चिम 21.30' - 118

सीमा उत्तर 21.30' - 118 सीमा दक्षिण 21.30' - 118 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 87

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश विश्वासे
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

उपायुक्त (नगर विकास)
(जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लौकधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लौकधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम
पिता/पति का नाम विक्रम शर्मा
व्यवसाय स्व. राजा राम शर्मा
निवास स्थान ऑफिसर जय इन्फाटेक प्रा. लि.
15, दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर
- नाम
पिता/पति का नाम नितिन मोदी
व्यवसाय रजनीश मोदी
निवास स्थान एम्पावर-2 लक्ष्मी आर्ट
23/8/15-7 चोमलगा हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

**Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI**

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 13-08-2019 5:50 PM

Fee Receipt No	: 201902053003656	Receipt Date	: 13/08/2019
Name	: SUNCITY BUILDHOME	Document S. No.	: 201901063003631
	PVT. LTD. TH.		
	RAJENDRA MEHTA,		
Address	: 11 B, SARDARPURA, BACHRAJJI KA BAGH, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400
Ord-Registration Fee	: ₹ 12	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 12	Stamp Duty	: ₹ 57
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 281
		Total Amount	: ₹ 281

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Chalan 32553722 ₹ 281

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier



Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक, लूनी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6434
1/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्होंने इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सन्सिरी विण्डेसु जासि जसि विदेशिक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनुमंतराज मेहता

जाति

व्यवसाय निवासी सरदारपुरा, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इवास्त में जहां कहीं प्रसंग से वसा अन्य निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यमंकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कसरों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राज्य का तनासा

के खसरा संख्या 177 क्षेत्रफल 11.5.13.2.1.1 में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में तात्पर्य में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्थलों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अधवादी, संरक्षणों, प्रतिबंधों, कंधनों, शर्तों और कसरों के अधीन खरीदवार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये व्यापिक अंके 11/- 54.48

मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बालीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकेंगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

2. एक बार निवृत्त किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के परवात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दावी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।

3. पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगा।

4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल अवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।

5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बसा दी जाये, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।

6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेंगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अध्वारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित सामस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किसी पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।

7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या कभीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभासित नहीं की जायेगी।

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परायेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या व्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभावों का कोई बकाया राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन मू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।

9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के परवात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुभिसंधि या उसके उल्लंघन में कथपूरण दस्तावेज के आधार पर दुर्यपदेशन द्वारा अधिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रभावों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की मुकदानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तलातडा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम : —
विलेख नाम सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर : 20x40 = 80-00 व 81

सीमा पूर्व 23 30 फुट, सीमा पश्चिम 27.50-117

सीमा उत्तर 27.50-117, सीमा दक्षिण 27.50-119 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 88

इसके साक्षी के रूप में इसको फरीकैन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 07 माह के 2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश विश्वा
निम्न को उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

SV
नगर निकाय (वर्धमान) मह
(सहस्र अधिकारी की हस्ताक्षर सील)
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम
पिता/पति का नाम Lac
व्यवसाय ...
निवास स्थान

...
साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान



साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित को उपस्थिति में उक्त श्री
लौजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

...
लौजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम
पिता/पति का नाम विक्रम शर्मा
व्यवसाय स्व. राजा राम शर्मा
निवास स्थान ऑफिसर जय इन्फ्राटेक प्रा.लि.
15, दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर

...
साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम नितिन मोदी
व्यवसाय कमल नाथ मोदी
निवास स्थान एकाउण्टेंट लहरीय आर्ट
23/SFS-7 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

...
साक्षी के हस्ताक्षर

**Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI**

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 22-08-2019 5:24 PM

Fee Receipt No : 201902063003776 Receipt Date : 22/08/2019
Name : SUNCITY BUILDHOME Document S. No. : 201901063003951
PVT. LTD. TH.
RAJENDRA MEHTA,

Address : 11-B, SARDARPURA, BACHRAJJI KA BAGH, JODHPUR, JODHPUR

Document Type : Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent

Face Value	Evaluated Value
Ord-Registration Fee : ₹ 12	Fee for Memorandum Us_64_67 : ₹
CSI : ₹ 200	Certified copying fees Us_57 : ₹ 0
Stamp (Memorandum) : ₹	Reg (memorandum) : ₹
Surcharge : ₹ 12	Stamp Duty : ₹ 57
Penalty : ₹ 0	Inspection fee : ₹ 0
Us_25_34 : ₹ 0	Commission : ₹ 0
Custody : ₹	Others : ₹ 0
	Cash Amount Received : ₹ 0
	Other than Cash : ₹ 281
	Total Amount : ₹ 281

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gra Challan 32583528 ₹ 281

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक, लूणी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6435
4/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिनमें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री राजसिंदी विन्डूजी आर.पि. जरीमै निदेशक की राजेश मेहता पुत्र श्री इन्वेंटराज मेहता

ज्याति
व्यवसाय निवासी सरकारपुरा, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इमारत में जहाँ कहीं प्रसांग से वैसा अन्य निकले, उनके उक्त अधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तफिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के माध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख सावधानीपूर्वक करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कथारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा फालन किये जायेंगे, को एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसमें इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम तत्वावधि के खराता संख्या क्षेत्रफल में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में जाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतंत्र सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संस्करणों, प्रतिकंधों, बंधनों, शर्तों और कथारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये अंके मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करती हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगा।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जाये, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तर्गत किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि रूप में अन्तर्गत की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या बसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई भी फीस प्रसारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पशुदेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रमारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्वापदेशन द्वारा अनिर्वात किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंग्रहित करेगा जो सभी प्रणालों से रहित नगर निकाय में निहित सम्झे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के अधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्युल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

करवे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तडावडा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम : —
विस्तृत नाम सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
20'x40' = 80.98 वर्ग गज

सीमा पूर्व 23.30 फुट सीमा पश्चिम 27.50 - 116

सीमा उत्तर 28.50 - 119 सीमा दक्षिण 28.50 - 90 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 119

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 04/07/2019 के माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री भोम प्रकाश विश्वा
निम्न को उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।
P.A.S.

उपायुक्त (दक्षिण)
जोधपुर नगर विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)

साक्षी :-

1. नाम —
पिता/पति का नाम —
व्यवसाय —
निवास स्थान —

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम —
पिता/पति का नाम —
व्यवसाय —
निवास स्थान —

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक — सन् 20 — के माह — के — वें दिन को निम्नलिखित को उपस्थिति में उक्त श्री —
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम —
पिता/पति का नाम विक्रम शर्मा
व्यवसाय रू. राजा राम शर्मा
निवास स्थान ऑफिसर जय इन्फ्राटेक प्रा. लि.

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम —
पिता/पति का नाम नितिन मोदी
व्यवसाय कमल नाथ मोदी
निवास स्थान एम्.ए.ए. लहरीय जार्ड
23/8/2-7 सीमासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

**Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI**

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 22-08-2019 5:27 PM

Fee Receipt No : 201902063003777 Receipt Date : 22/08/2019
Name : SUNCITY BUILDHOME Document S. No. : 201901063003952
PVT. LTD. TH.
RAJENDRA MEHTA,

Address : 11-B ,SARDARPURA , BACHRAJ JI KA BAGH ,JODHPUR ,JODHPUR

Document Type : Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent

Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 184400
Ord-Registration Fee	: ₹ 12	Fee for Memorandum Us_64_57	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 12	Stamp Duty	: ₹ 57
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 281
		Total Amount	: ₹ 281

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 32583358 ₹ 281

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

रम पजीयक, लूणी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6426
4/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के से दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री राजेश्वरी विल्डहोम प्रा. लि. (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) के मध्य निम्नलिखित हुआ है।

पक्षद्वारा निवासी (जिन्होंने इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इलाक में जहाँ फली प्रसंग से पैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलेह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निम्नलिखित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कर्तव्यों जो लीजधारक द्वारा निम्नलिखित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्थान ग्राम तनावडा के खतखत संख्या क्षेत्रफल 34.395.51 में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम वा प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कर्तव्यों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये अंके का पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टावृत्ति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगा।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बंध की जाये, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तर्विष्ट या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किसी पृथक् आवेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या रसीद या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दत्त रूपरे प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई भी फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पशुदेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या व्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान नू-राजस्थान अधिनियम, 1956 के अधीन नू-राजस्थान की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उत्संघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिबंधित करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के अधीन पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/रिजर्व बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे खर देवे।

परिशिष्ट

कम्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तलावडी
खसरा नम्बर : 177
खेजना का नाम : समगा
विस्तृत नाम सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
20'x40' = 80.89 व.ग.

सीमा पूर्व 30.35' फुट सीमा पश्चिम 28.50' - 145

सीमा उत्तर 28.50' - 89 सीमा दक्षिण 28.50' - 21 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 30

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकें ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय को ओर से

आज सन् 20 04/07/2019 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश विश्नोई
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर

उपस्थित (दक्षिण)
नोद्यपुर विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लौजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लौजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम
पिता/पति का नाम विक्रम शर्मा
व्यवसाय स्व. राजा राम शर्मा
निवास स्थान ऑफिसर जय इन्फान्टेक प्रा. लि.

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम नितिन मोदी
व्यवसाय कमल साधू मोदी
निवास स्थान एकतरेफ लहरीय आर्ट
23/SFS-7 चौमसानी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

**Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI**

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 13-08-2019 5:27 PM

Fee Receipt No	: 201902083003648	Receipt Date	: 13/08/2019
Name	: SUNCITY BUILDHOME	Document S. No.	: 201901063003823
	PVT. LTD. TH.		
	RAJENDRA MEHTA,		
Address	: 11-B, SARDARPURA, BACHRAJJI KA BAGH, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400

Ord-Registration Fee	: ₹ 12	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 12	Stamp Duty	: ₹ 57
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 281
		Total Amount	: ₹ 281

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 32554562 ₹ 281

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate


Cashier



Signature of recipient
and date of return receipt



SUB-REGISTRAR,
उप-पंजीयक, लूनी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग को अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6437
17/11/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के दिने जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिनके इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सुनसिरी बिन्दु सोम शा. सि. जरीम निदेशक श्री राजेश मेहता पुत्र श्री हनुवतराज मेहता

प्रति जाति व्यवसाय निवासी सरदारपुरा, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहाँ कहीं प्रसंग से ऐसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निवाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्तकिल अल्लेह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की एकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करतों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एकज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह समान भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्थान ग्राम के खसना संख्या क्षेत्रफल में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ

इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वागित्त संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संश्लेषणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करतों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये अंके मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा कराई जाती है, को सम्मिलित करतों हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि को फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, गथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधुति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्लिखित निर्बंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिधान सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित सारत आब निबंधनों और शर्तों या किसी पृथक् आवेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निशुल्क की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई भी दस प्रमासित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या व्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीव होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिबंधित करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित सम्झे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की मुकदमानी के लिए बायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिङ्गलून्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं है उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तलावडा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
20'x40' 88.98 वर्ग

सीमा पूर्व रीड 30' फुट सीमा पश्चिम रू.सं-114

सीमा उत्तर रू.सं-90 सीमा दक्षिण रू.सं-92 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 91

इसके साक्षी के रूप में इसके फरौकन ने इसके नद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 में दिन
श्री ओम प्रकाश विश्नाई
R.A.S.
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

विकास (दक्षिण)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लौजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लौजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम
पिता/पति का नाम विक्रम शर्मा
व्यवसाय स्व. राजा राम शर्मा
निवास स्थान ऑफिस नय इन्फ्रास्ट्रक्चर
15, दधिमती गिरा, जयप्रसाददास स्कूल, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय नितिन मोदी
निवास स्थान कमल नाथ मोदी
एकस्ट्रेन्ट लहरीय आर्ट
23/SF3-7 चौकसनी लउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 13-08-2019 5:30 PM

Fee Receipt No	: 201902063003649	Receipt Date	: 13/08/2019
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	: 201901063003824
Address	: 11-B, SARDARPURA, BACHRAJ JI KA BAGH, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400

Ord-Registration Fee	: ₹ 12	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 12	Stamp Duty	: ₹ 57
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 281
		Total Amount	: ₹ 281

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gias Challen 32554468 ₹ 281

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier



Signature of recipient
and dated of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक, लूनी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग का अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6428
1/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सनसिटी विल्डुहोम प्रा-सि-
जोरि निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवेंतराज मेहता

प्रति (जिन्हें इसके बाद निवासी सरदारपुरा जोधपुर (जिन्हें इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस द्वाारा में जहां कहीं प्रतंग से वेशा अर्थ निकले, उनके उत्तरधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के माध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की एकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी वसीयत नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एका में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्थान ग्राम तनावडा के खसरा संख्या 177 क्षेत्रफल 39.99 वर्ग मी. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में साज रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वाधिन संबंधी स्वतंत्रों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम ग प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये अर्थात् अंके 11-59-400 मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के फरक और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दावी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, वसास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाप्राप्ति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगा।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बड़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आने और अन्तर्गत या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्लिखित विबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, संधावरणक परिवर्तन सहित, अन्तर्लिखित या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तर्लिखित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि खयों द्वारा अधास्ति की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित वास्तव अन्य विबंधनों और शर्तों या किसी पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जावें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तर्लिखित के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षेप की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रमाशित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभावों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के फरक यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपयोग द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के (क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंग्रहित करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कानि किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लगू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तजसडा
खसरा नम्बर : 177
खेती का नाम : -
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
20' x 40' = 80 x 80 वर्ग गज

सीमा पूर्व 20' 30" फुट सीमा पश्चिम 20' 30" - 113

सीमा उत्तर 20' 30" - 91 सीमा दक्षिण 20' 30" - 93 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 92

इसके साक्षी के रूप में इसके फटीकन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 2019 माह के 4/07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश विश्वा
R.A.S.
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

उपस्थित (वांछित)
नगर विकास प्रभु पक्ष
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन की निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
सौजन्यधरक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

सौजन्यधरक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फार्मेटिक प्रा.लि.
निवास स्थान 13, 4- नवसंस्था स्कूल, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम निखिल शर्मा
पिता/पति का नाम हमल नाथ शर्मा
व्यवसाय एकाउंटेंट लहरीय आर्ट
निवास स्थान 23/389-7 लोहाशमी लउसिंग नोर्ल, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 13-06-2019 5:33 PM

Fee Receipt No	: 201902063003650	Receipt Date	: 13/06/2019
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	: 201901063003825
Address	: 11-B, SARDARPURA, BACHRAJJI KA BAGH, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400
Ord-Registration Fee	: ₹ 12	Fee for Memorandum Us_84_87	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 12	Stamp Duty	: ₹ 57
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 281
		Total Amount	: ₹ 281

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gra Challan 32553919 ₹ 281

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

[Signature]
Cashier



Signature of recipient
and date of return receipt

[Signature]
SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक, लूणा



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6739
1/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वें दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिनमें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सनसिरी बिष्टोमी सा. पि. चरित्र निदेशक श्री राजेश्वर मेहता पुत्र श्री हनुवंतराज मेहता

जाति

व्यवसाय निवासी सरकारपुरा, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इकाई में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्तकिल अलेह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साब्यकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा रखीकर कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कर्तव्यों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्थान ग्राम तनावडा

के खसरा संख्या 177 क्षेत्रफल 88.88 वर्ग मी. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्थलों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कर्तव्यों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिले नगर निकाय समक्ष-समय पर इस हेतु निष्कट कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 11/59.420 अंके मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के परवात और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, क्यावस्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टावृत्ति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगी।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बड़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्बिष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, क्यावस्थिति परिवर्तन सहित, अन्तर्लिखी या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त निबन्धों में बिहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किसी पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तर्लिखी के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुरंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निशुल्क की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभावि नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पक्षदेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रमारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के परवात यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुविराधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

(कु.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंभृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिद्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तलावडा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विस्तृत नाम सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
201 X 401 = 80.89 वर्. गज.

सीमा पूर्व शी. 30 फुट सीमा पश्चिम 25.50 = 112

सीमा उत्तर 25.50 = 92 सीमा दक्षिण 25.50 = 94 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 93

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 04 माह के 07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश विश्णोई
R.A.S.
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

नगर निकाय (इन्चार्ज) मह
जोधपुर
(सहभागी अधिकारी के हस्ताक्षर संकेत)

साक्षी :-

1. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक 04 सन् 20 04 के माह 07 के 07
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लौजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लौजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम
पिता/पति का नाम विक्रम शर्मा
व्यवसाय स्व. राजा राम शर्मा
ऑफिसर जय इन्फ्राटेक प्रा.लि.
निवास स्थान 15, दधीमाति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम गिरीन मोदी
व्यवसाय कमल नथ मोदी
एकरोटेन्ट लहरीय आर्ट
निवास स्थान 23/SFS-7 बीपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 13-08-2019 5:36 PM

Fee Receipt No : 201902063003651 Receipt Date : 13/08/2019
Name : SUNCITY BUILDHOME Document S. No. : 201901063003826
PVT. LTD. TH.
RAJENDRA MEHTA.

Address : 11-B, SARDARPURA, BACHRAJ JI KA BAGH, JODHPUR, JODHPUR
Document Type : Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent

Face Value	Evaluated Value
Ord-Registration Fee	₹ 12
C-SI	₹ 200
Stamp (Memorandum)	₹
Surcharge	₹ 12
Penalty	₹ 0
Us_25_34	₹ 0
Custody	₹
Fee for Memorandum Us_64_67	₹
Certified copying fees Us_57	₹ 0
Reg (memorandum)	₹
Stamp Duty	₹ 57
Inspection fee	₹ 0
Commission	₹ 0
Others	₹ 0
Cash Amount Received	₹ 0
Other than Cash	₹ 281
Total Amount	₹ 281

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 32554419 ₹ 261

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate


Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt



SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक, लूणी





जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग को अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6440
1/17/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वें दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

(जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री राजसिरी विण्डियम प्रा. सि. जयिने निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनुवतराज मेहता

जाति

व्यवसाय निवासी सरदारपुरा, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहाँ कहीं प्रसंग से वसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्ताफल अलौह भी सम्मिलित होंगे) के माध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसमें इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व प्राप्ति तब तक

के वसरा संख्या 177 क्षेत्रफल 88.49 वर्ग मी. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वरूपों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कथारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का कितना) के तौर पर रुपये वार्षिक अंके 11/- 8440 मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का कितना) की राशि जमा करना सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कसई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का कितना प्रत्येक 15 वर्ष के परभाव और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के कितने का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगा।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बसा दी जाये, लीजधारक द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तर्गत या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, क्यापरेयक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रचलित उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तर्गत किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किसी पुष्पक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या बलीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रमाशित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रचारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुस्ति या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

(क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंग्रहित करेगा जो सभी प्रमारों से सहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिद्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तलावडा
खसरा नम्बर : 177
खेजना का नाम :
विस्तृत रूप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
201x401=89.99वर्गगज

सीमा पूर्व रीड 30 फुट सीमा पश्चिम रीड 30 फुट
सीमा उत्तर रीड 30 फुट सीमा दक्षिण रीड 30 फुट मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 94

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 04/07/2009 माह के 04 वें दिन
श्री ओम प्रकाश विश्नोई
R.A.S.
निम्न को उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

नगर निकाय (प्रबन्धक)
(सबसे अधिकृत अधिकारी/हस्ताक्षर अधिकारी)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम Lac
पिता/पति का नाम ...
व्यवसाय ...
निवास स्थान ...
- नाम ...
पिता/पति का नाम ...
व्यवसाय ...
निवास स्थान ...

...
साक्षी के हस्ताक्षर

...
साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक ... सन् 20 ... के माह ... के ... वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री ... लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

...
लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फ्राटेक प्रा.लि.
निवास स्थान 15, दधीमाते नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर
- नाम नितिन मोदी
पिता/पति का नाम ...
व्यवसाय ...
निवास स्थान 233F3-7 चोपासना हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

...
साक्षी के हस्ताक्षर

...
साक्षी के हस्ताक्षर

**Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI**

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 13-08-2019 5:41 PM

Fee Receipt No : 201902063003853 Receipt Date : 13/08/2019
Name : SUNCITY BUILDHOME Document S. No. : 201901063003828
PVT. LTD. TH.
RAJENDRA MEHTA

Address : 11-B, SARDARPURA, BACHRAJJI KA BAGH, JODHPUR, JODHPUR

Document Type : Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent

Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400
Ord-Registration Fee	: ₹ 12	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 12	Stamp Duty	: ₹ 57
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 281
		Total Amount	: ₹ 281

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 32554381 ₹ 281

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate


Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt



SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक, लूणी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

641
1/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के से दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिनमें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सुनसिरी विठ्ठलम शास्त्रि जारीत निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवतराव मेहता

जाति

व्यवसाय निवासी खदरपुरा, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबास्त में जहां कहीं प्रसंग से वेशा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और भुक्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निम्नलिखित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यकित कम्ता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निम्नलिखित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व घात तनावडा

के खसरा संख्या 177 क्षेत्रफल 88.88 वर्ग मी. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में ताल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संस्तरणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये ला. 11/- 59.48/- अंके ला. 11/- 59.48/- मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की शर्त जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें शर्त जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की शर्त के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की शर्त के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की शर्त के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पर्याप्त और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टावृत्ति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगा।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की शर्तों से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जायें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्दिष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आवेदनों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या व्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पर्याप्त यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिराधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंग्रह करेगा जो सभी प्रभावों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिद्धमूल्ह बैंक/सरकार आणदारी संस्था/एच.डी.एफ. सी. अधवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत आणदारी संस्थाओं के पास भवन निर्माण के आण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राज्य का नाम : राजस्थान
खसरा नम्बर : 127
खेजडा का नाम : —
विस्तृत नाम सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
20'x40' = 80'x80' = 6400

सीमा पूर्व 20'x30'x40' सीमा पश्चिम 20'x30'x40'

सीमा उत्तर 20'x30'x40' सीमा दक्षिण 20'x30'x40' मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 95

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

अज्ञ सन् 20 04/07/2013 माह के 04/07/2013 वें दिन
श्री ओम प्रकाश बिष्णोई
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।
RAS

Dr
नगरपालिका (कमिश्नर)
(सहस्र: अधिकारी जो हस्ताक्षर करने के लिए)
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम —
पिता/पति का नाम —
व्यवसाय —
निवास स्थान —

—
साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम —
पिता/पति का नाम —
व्यवसाय —
निवास स्थान —

—
साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक — सन् 20 — के माह — के —
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री —
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

—
लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम —
पिता/पति का नाम —
व्यवसाय —
निवास स्थान —

—
साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम —
पिता/पति का नाम —
व्यवसाय —
निवास स्थान —

—
साक्षी के हस्ताक्षर

**Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI**

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 13-08-2019 5:47 PM

Fee Receipt No	: 201902063003656	Receipt Date	: 13/08/2019
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	: 201901063003830
Address	: 11-B, SARDARPURA, BACHRAJ JI KA BAGH, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400

Ord-Registration Fee	: ₹ 12	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 12	Stamp Duty	: ₹ 57
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 281
		Total Amount	: ₹ 281

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 32554334 ₹ 281

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate


Cashier



Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक, लूनी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग को अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6472
1/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के दिनांक दिनांक जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिनके इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सनसिंदी बिज्डोम आ. लि. जयपुर निदेशक श्री रजिन्द्र मेहता पु. श्री दत्तवेंटराज मेहता

ज्याति व्यवसाय निवासी सरदारपुरा, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इनामत में जहाँ कहीं प्रबंध से वेता अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्ताकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा रसीद कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कलरों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जावेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तनाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व नाम तनावडा के खसरा संख्या 177 क्षेत्रफल 0.85 बी.डी. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में तालर रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी रस्सों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाग य प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, कंधनों, शर्तों और कलरों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम-24 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का कितना) के तौर पर रूपरेखा 11/59.400 अके मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का कितना) की राशि जमा कर सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का कितना प्रत्येक 15 वर्ष के पर्यन्त और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनर्निर्धारण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनर्निर्धारण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के कितने का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टावृत्ति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगा।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रजननगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अक्धारित की जावेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आवेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जावेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण कीमत निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई भीस प्रभावित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेश प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रमानी का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पर्याप्त यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसको उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

- निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सम्निर्माण सहित उसे प्रतिसंग्रहित करेगा जो सभी प्रभावों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कांश्चित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।
- 10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
 राजस्व ग्राम : तारासडा
 खसरा नम्बर : 477
 योजना का नाम :
 विस्तृत नाम सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
20'x40' - 99.99 वर्ग

सीमा पूर्व सी. 30 फुट सीमा पश्चिम सी. 30 फुट
 सीमा उत्तर सी. 30 फुट सीमा दक्षिण सी. 30 फुट मानचित्र संलग्न है।
 भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 96

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 04/07/2019 माह के 04/07/2019 वें दिन
 श्री ओम प्रकाश विश्वाजी
 निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये PAS

नगर इन्जिनियर (उपनिवेश प्रभु)
 (सहस्रमुखी अधिकृत कार्यकारी अधिकारी)
 जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम
 पिता/पति का नाम ...
 व्यवसाय ...
 निवास स्थान ...

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
 पिता/पति का नाम
 व्यवसाय
 निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
 वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
 लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
 गये।

लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम विक्रम शर्मा
 पिता/पति का नाम रवि सज्जा राम शर्मा
 व्यवसाय ऑफिसर ज्य. इन्फ्रस्ट्रक्चर प्र. लि.
 निवास स्थान 15, दक्षीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम नितिन मोदी
 पिता/पति का नाम योगेन्द्र नाथ मोदी
 व्यवसाय एकलव्य लहरीय आई
 निवास स्थान 23/GFS-7 चौपासनी हाससिंग रोड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

**Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI**

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 13-08-2019 5:53 PM

Fee Receipt No : 201902063003667 Receipt Date : 13/08/2019
Name : SUNCITY BUILDHOME Document S. No. : 201901063003632
PVT. LTD. TH.
RAJENDRA MEHTA,

Address : 11-8, SARDARPURA, BACHRAJJI KA BAGH, JODHPUR, JODHPUR

Document Type : Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent

Face Value	Evaluated Value
Ord-Registration Fee : ₹ 12	Fee for Memorandum Us_64_67 : ₹
CSi : ₹ 200	Certified copying fees Us_57 : ₹ 0
Stamp (Memorandum) : ₹	Reg (Memorandum) : ₹
Surcharge : ₹ 12	Stamp Duty : ₹ 57
Penalty : ₹ 0	Inspection fee : ₹ 0
Us_25_34 : ₹ 0	Commission : ₹ 0
Custody : ₹	Others : ₹ 0
	Cash Amount Received : ₹ 0
	Other than Cash : ₹ 281
	Total Amount : ₹ 281

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Ges Challan 32554268 ₹ 281

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

[Signature]
Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

[Signature]
SUB-REGISTRAR
उप पंजीयक, लूनी





जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

642
4/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के दिने जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्होंने इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सुनसिरी बिच्छोम डांगर अर्थात् निर्देशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनुमन्तराज मेहता

व्यवसाय निवासी सरकारपुरा, जोधपुर (जिन्होंने इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहाँ कोई प्रसंग से वेशा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्ताफल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कसरों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा फालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व प्राप्ति तमाबन्दी

के खसरा संख्या 177 क्षेत्रफल 98.98 वर्ग मी. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आधार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में ताल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी रयतों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संस्थाओं, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कसरों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जितने नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 26 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 91100 अंके 12/- 59.48/- मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होवेगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसी पुनरीक्षण या, क्यास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होवेगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगी।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जाये, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अन्तरित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किसी पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ चरित्रदीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभावि नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेश प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रमारों का कोई वकाया राजस्थान नू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन नू-राजस्व की वकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपयोग द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

- निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।
10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा नियम/शिद्दमुल्द बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट देंगे।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
 राजस्व ग्राम : तन्नाजडा
 खसरा नम्बर : 177
 योजना का नाम :
 विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
20 X 40 = 88.88 वर्ग

सीमा पूर्व 30' 30" सीमा पश्चिम 30' 30"

सीमा उत्तर 30' 30" सीमा दक्षिण 30' 30" मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 97

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दश में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 वें दिन
 श्री ओम प्रकाश विश्नोई
 निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किए।

सचिव (पश्चिम)
 नगर निकाय - प्रथम पक्ष
 जोधपुर विकास प्राधिकरण
 (सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
 जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम
 पिता/पति का नाम
 व्यवसाय
 निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
 पिता/पति का नाम
 व्यवसाय
 निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
 वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
 सौजन्यारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
 गये।

सौजन्यारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम विक्रम शर्मा
 पिता/पति का नाम रखे सजा राम शर्मा
 व्यवसाय ऑफिसर जय इन्प्रमोटेक प्रा. लि.
 निवास स्थान 15, दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम नितिन मोदी
 पिता/पति का नाम कमल नाथ मोदी
 व्यवसाय एकरोट्ट लक्ष्मी आई
 निवास स्थान 23/SFS-7 जोधासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 13-08-2019 5:39 PM

Fee Receipt No : 201902063003652 Receipt Date : 13/08/2019
Name : SUNCITY BUILDHOME Document S. No. : 201901063003827
PVT. LTD. TH.
RAJENDRA MEHTA,

Address : 11-B, SARDARPURA, BACHRAJ JI KA BAGH, JODHPUR, JODHPUR

Document Type : Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent

Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400
Ord-Registration Fee	: ₹ 12	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 12	Stamp Duty	: ₹ 57
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 281
		Total Amount	: ₹ 281

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 32553845 ₹ 281

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate


Cashier



Signature of recipient
and date of return receipt



SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक, लूनी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6477
17/11



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सबसिंह बिष्टूहोम शास्त्री जति जति निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री स्वतंत्राय मेहता

जाति (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इलाक में जहां कहीं प्रसंग से वंश अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी स्वीकृत नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम तनावडा के खसरा संख्या 177 क्षेत्रफल 55.5.9.2 में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में ताल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकारों में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अग्रेल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किस्मा) के तौर पर रूपये वार्षिक अंके 11-89450 मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किस्मा) की राशि जमा कर सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किस्मा प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा हास ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसी पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समक्ष नगरीय निर्धारण या भूमि के किस्मे का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधुति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगा।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आवे और अन्तर्गत या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्गित निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिणी या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तर्गत किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित सम्पत्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिणी के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ सजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वरीयत या अन्य सुरंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई भी फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई वकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की वकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरनिष्ठि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसौद्ध करेगा जो सभी प्रभावों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दावी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्युल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तजावडा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
20' x 40' = 99.99 वर्ग गज

सीमा पूर्व रीड 30 फुट सीमा पश्चिम अ.सं-107

सीमा उत्तर अ.सं-97 सीमा दक्षिण अ.सं-99 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 98

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकन ने इसके बाद प्रत्येक दश में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश विश्मोई
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।
R.A.S.

SV
उपायुक्त (दक्षिण)
नगर निकाय - प्रथम पक्ष
(सकल अधिकारों के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम
पिता/पति का नाम LAC
व्यवसाय ...
निवास स्थान ...

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लोजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लोजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम श्री. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जरा इन्फाटेक प्रा.लि.
निवास स्थान 15, दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम वित्तिन मोदी
व्यवसाय कमल नाथ मोदी
निवास स्थान एकरोटेक नगरीय आर्ट एकाडेमी समीप, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

23/SFS-7 जयसिनी समासिंग नॉड, जोधपुर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 13-08-2019 5:45 PM

Fee Receipt No	: 201902063003654	Receipt Date	: 13/08/2019
Name	: SUNCITY BUILDHOME	Document S. No.	: 201901063003629
	PVT. LTD. TH.		
	RAJENDRA MEHTA,		
Address	: 11-B, SARDARPURA, BACHRAJJI KA BAGH, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400

Ord-Registration Fee	: ₹ 12	Fee for Memorandum Us_84_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 12	Stamp Duty	: ₹ 57
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 281
		Total Amount	: ₹ 281

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gres Challan 32553775 ₹ 281

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक, लूणी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग को अनुज्ञा और आबंधन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6445
7/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के के दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिसे इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री स्वाप्ति बिन्दुजी अग्रवाल और श्री निदेशक जी राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनुमंतराज मेहता

जाति

प्राप्त्यार निवासी सरदारपुरा, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इच्छा में जहां कोई प्रसंग से देता अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अंतर्गत भी सम्बन्धित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख सहायक करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी स्वीकृत नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कर्तव्यों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एकत्र में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तथ्या भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना

राजस्व प्राम

तनाबडा

के खसरा संख्या 477 क्षेत्रफल 89.89 वर्ग मी. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी रजिस्ट्री सही किन्तु निम्नलिखित तथ्या व प्रत्येक अपवादों, संश्लेषों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कर्तव्यों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 26 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 1111 अंके 11-59.48 रु. मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक करीब नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा कइयी जाती है, को सम्बन्धित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के अठ गुरु के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के सविनय से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनर्वैलन का दायी होगा और ऐसी बुद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनर्वैलन या, बहालविधि, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टावृत्ति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगी।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बड़ा दी जाने, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आने और अन्तर्गत या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, पञ्चावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तर्विष्ट या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे जिनमें प्रचलित उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तर्गत किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कस्ताखी स्वयं द्वारा अध्वारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कस्ताखी से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधन और शर्तों या किसी पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तर्विष्ट के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चिन्ता की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रसारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पसन्देह प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आप्रंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आप्रंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुविसंधि या उससे उल्लंघन में कथपूर्य दस्तावेज के आधार पर दुरुविसंधि द्वारा अधिग्रहण किया गया है या आप्रंटन या पट्टा विलेख के

(क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिरहित करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के अन्तर्गत पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिङ्गल बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए कंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कम्बे का नाम : जी.एस.पु.
राजस्व ग्राम : तलावडा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम : ए
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गज/वर्गमीटर
20.440 = 89.889.31

सीमा पूर्व सी.ड. 30 पूर्व सीमा परिचय अ.स. 106

सीमा उत्तर अ.स. 98 सीमा दक्षिण अ.स. 100 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 99

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 04 माह के 07 2019 में दिन
श्री ओम प्रकाश विश्वा
R.A.S.
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

जयपुर विकास (उपनिवेश) पक्ष
(संक्षेप अधिकारी की हस्ताक्षर सहित)
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह 04 के 07 में दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लोजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

लोजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम विश्वम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फान्ट्री प्र.लि.
निवास स्थान 15, दधीमाते नगर, भदवासेया स्कूल, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

जोधपुर विकास प्राधिकरण की ओर से, जोधपुर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 14-08-2019 10:06 AM

Fee Receipt No	: 201902063003659	Receipt Date	: 13/08/2019
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	: 201901063003634
Address	: 11 B, SARDARPURA, BACHRAJJI KA BAGH, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400
Ord-Registration Fee	: ₹ 12	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 12	Stamp Duty	: ₹ 57
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 281
		Total Amount	: ₹ 281

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gas Chalan 32554821 ₹ 281

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

(Signature)

Cashier



Signature of recipient and date of return receipt

(Signature)

सब-रेजिस्ट्रार, लुनी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6476
1/1/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के से दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सुनसिरी बिज्डोम जारि जरी निदेशक जी राजेंद्र मेहता पुत्र जी हनुवतराज मेहता

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इच्छा से जहाँ कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्ताकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साहचर्यपूर्ण करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी स्वीकृत नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कसरों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम तनवडा के खसरा संख्या 477 क्षेत्रफल 33.33 वर्ग गै. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी शर्तों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संस्करणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कसरों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रिल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 29 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) को तौर पर रुपये व्यापक अंके 11/- 69.45/- मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक नगरीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार निम्नलिखित गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगी।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक को द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रत्येक उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किसी पुन्य आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस्त रूपरे प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण कीस निश्चित की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई भीस प्रभावित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पनादेश प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या व्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अधिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रमाणों से उचित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
 राजस्व ग्राम : तलावडा
 खसरा नम्बर : 177
 योजना का नाम :
 विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
20'x40' = 88.88 वर्ग गज

सीमा पूर्व 213.30' फुट सीमा पश्चिम 21.50' फुट
 सीमा उत्तर 29.50' फुट सीमा दक्षिण 29.50' फुट मानचित्र संलग्न है।
 भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 100

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकोन ने इसके बाद प्रत्येक दश में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 04 माह के 07 वें दिन
 श्री ओम प्रकाश विश्नोई
 निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।
R.A.S.

हजार कुस्तय दक्षिण प्रभ
 (नगर निकाय के अधिकारी के रूप में)
 जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम
 पिता/पति का नाम
 व्यवसाय
 निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
 पिता/पति का नाम
 व्यवसाय
 निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
 वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
 सीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
 गये।

सीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम
 पिता/पति का नाम विक्रम शर्मा
 व्यवसाय स्व. राजा राम शर्मा
 निवास स्थान ऑफिसर जय इन्फाटेक प्रा.लि.
15, दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
 पिता/पति का नाम नितिन मोदी
 व्यवसाय हमल मध्य मोदी
 निवास स्थान एकलउन्ड जडीस आर्ट
23/SFS-7 चौपासी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

**Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI**

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 22-08-2019 5:47 PM

Fee Receipt No	: 201902063003788	Receipt Date	: 22/08/2019
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	: 201901063003953
Address	: 11-B, PAL CHOPASANI ROAD, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400

Ord-Registration Fee	: ₹ 12	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 12	Stamp Duty	: ₹ 57
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_26_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 281
		Total Amount	: ₹ 281

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Chalan 32589984 ₹ 281

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier



Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक, लूणा



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6447
4/11/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिनमें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सनसिटी विन्डरूम प्रा. लि. जर्मि निर्देशक जी राखेन्द्र मेहता पुत्र जी हनवतराज मेहता

व्यवसाय निवासी सरदारपुरा, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इन्वॉल्व में जहां कहीं प्रसंग से ऐसा अर्थ निकले, उनको उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी स्वीकृति नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लिखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एकजुट में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम तनवडा

के खसरा संख्या 177 क्षेत्रफल 88.88 वर्ग मी में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में ताल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्थापित संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संस्थाओं, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये प्रारंभिक अंके 11-39,444 मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकेंगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होनी और इस प्रकार जमा करवाई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के परचातु और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाप्राप्ति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल वैवासाय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेंगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किसी पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या बरीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रचारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पहादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या व्याज, आन्तरिक/वाह्य विकास प्रभातों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीव होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के परचातु यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुभिराधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुभिराधन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिरिक्त किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सम्निर्माण सहित उसे प्रतिसंज्ञित करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में विहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कानित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
 ग्राम का नाम : सुतावाडा
 खसरा नम्बर : 177
 योजना का नाम :
 विस्तृत नाम सहित क्षेत्रफल वर्गज/वर्गमीटर
20/440-99.99व.ज.

सीमा पूर्व 27.50-100 सीमा पश्चिम 30.30 फुट

सीमा उत्तर 27.50-106 सीमा दक्षिण 27.50-104 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 105

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीफोन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 04/07/2019 माह के 04/07/2019 वें दिन
 श्री ओम प्रकाश बिस्नोई
 निम्न को उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

उपस्थित (दाखल)
 नगर निकाय - प्रथम पक्ष
 जोधपुर विकास प्राधिकरण
 (सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
 जोधपुर

साक्षी :-

- नाम LDC
 पिता/पति का नाम JDA
 व्यवसाय
 निवास स्थान
- नाम
 पिता/पति का नाम
 व्यवसाय
 निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक 04/07/2019 सन् 20 04/07/2019 के माह 04/07/2019 के
 वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
 लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
 गये।

लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम विक्रम शर्मा
 पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
 व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फ्राटेक प्रा.लि.
 निवास स्थान 15, दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर
- नाम प्रतिन मोदी
 पिता/पति का नाम कुमल नाथ मोदी
 व्यवसाय एकडेन्ट लहरीय आर्ट
 निवास स्थान 23/SFS-7 कोमलानी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 22-08-2019 5:49 PM

Fee Receipt No	: 201902063003790	Receipt Date	: 22/08/2019
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	: 201901063003964
Address	: 11-B, PAL CHOPASANI ROAD, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400
Ord-Registration Fee	: ₹ 12	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSJ	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 12	Stamp Duty	: ₹ 57
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 281
		Total Amount	: ₹ 281

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gas Challan 32583758 ₹ 281

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

(Signature)
Cashier



Signature of recipient
and date of return receipt

(Signature)
SUB-REGISTRAR
उप-पंजीयक, लूनी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख 6448
11/11/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के दिनांक जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं की (जिनको इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं की जारीये निर्देशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनुवंतराम मेहता

व्यवसाय निवासी (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इमारत में जहाँ कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख सक्षान्तिकृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के हाथ अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनको द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम के खसरा संख्या क्षेत्रफल में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ

इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी रवत्यों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, कंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर काफ़ी अंके मात्र पैशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारिश नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकेंगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कलाई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार निश्चित किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समस्त नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगा।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त निदेशनों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जाये, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेंगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या बरीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दश रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चिन्ता की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभावित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभाषों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुभिसंधि या उसको उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंभृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समाझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्युल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तडावडा
खसरा नम्बर : 177
चोजना का नाम :
विस्तृत माप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
201x405 88.99व.मी

सीमा पूर्व सू.सी. 99 सीमा पश्चिम सू.सी. 30' फुट

सीमा उत्तर सू.सी. 10.3 सीमा दक्षिण सू.सी. 10.5 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 106

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकन ने इसके बाद प्रत्येक दश में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 2019 माह के 07 वें दिन
श्री ओम प्रकाश विश्मोई
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

हरीश्वर (दाक्षिण)
नगर निकाय - प्रथम पक्ष
जोधपुर विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम LDC
पिता/पति का नाम JDA
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान



साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक 20 सन् 2019 के माह 07 के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लौजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लौजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फाटेक प्रा.लि.
निवास स्थान 15, दधीमाते नगर, मदवासीया स्कूल, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम नितिन मोदी
पिता/पति का नाम कमल नाथ मोदी
व्यवसाय एकाउन्टेन्ट लहरीय आर्ट
निवास स्थान 23/SFS-7 चौमासानी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 22-08-2019 5:49 PM

Fee Receipt No	: 201902063003789	Receipt Date	: 22/08/2019
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	: 201901063003965
Address	: 11-B, PAL CHOPASANI ROAD, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400
Ord-Registration Fee	: ₹ 12	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 12	Stamp Duty	: ₹ 57
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 281
		Total Amount	: ₹ 281

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gra Challan 32580847 ₹ 281

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR
उप मजिस्ट्रेट, लुणा



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6441
1/1/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सनसिरी बिन्दुसुम आरति. जरिखे निदेशक जी राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनुवतराज मेहता

व्यवसाय निवासी सरदारपुरा, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस दस्तावे में जहाँ कहीं प्रसंग से वहाँ अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुक्तकिल अवैत भी सम्मिलित होंगे) के मध्य विधायित हुआ है।

यह विलेख सन्निहित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी परीक्षा नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा विधायित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्थान तनावडा

के खसरा संख्या 177 क्षेत्रफल 33.83 हे. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतंत्र संहिता किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संस्थाओं, प्रतिबंधों, कंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अग्रित के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 111-50-400 अंके 111-50-400 मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक नगरीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की शर्त जमा कर सकता है, जो उस वर्ष, जिसमें शर्त जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की शर्त के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की शर्त के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की शर्त के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दावा होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, वयास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगी।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जाये, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकता है। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किसी पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई भी प्रमाणित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पदादेश प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रमातों का कोई वकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की वकालत के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुस्तिथि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपयोग द्वारा अनिष्ट प्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिबंधित करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित सम्झे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट देवे।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तलावडा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम : www
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
20/540 = 88.88 वर्ग

सीमा पूर्व अ.स. = 99 सीमा पश्चिम रीड 30 फुट

सीमा उत्तर अ.स. = 109 सीमा दक्षिण अ.स. = 106 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 107

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकें ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 04/07/2019 के माह के 04/07/2019 के दिन
श्री आम प्रकाश विश्नेई
R.A.S.
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

नगर निकाय - प्रथम पक्ष
सहस्र अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम LOC
पिता/पति का नाम SDA
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम रज. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फ्राटेक प्रा.लि.
निवास स्थान 15, दधीमाते नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर
- नाम नितिन मोदी
पिता/पति का नाम कमल नाथ मोदी
व्यवसाय एजाजेंट लहरीय आर्ट
निवास स्थान 23/SFS-7 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date: 13-08-2019 6:02 PM

Fee Receipt No	: 201902063003680	Receipt Date	: 13/08/2019
Name	: SUNCITY BUILDHOME	Document S. No.	: 201901063003835
	PVT. LTD. TH.		
	RAJENDRA MEHTA,		

Address : 11-B, PAL CHOPASANI ROAD, JODHPUR, JODHPUR

Document Type : Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent

Face Value : ₹ 284 Evaluated Value : ₹ 194400

Ord-Registration Fee	: ₹ 12	Fee for Memorandum Us_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 12	Stamp Duty	: ₹ 57
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 281
		Total Amount	: ₹ 281

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gra Challan 32554182 ₹ 281

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier



Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR
उप पंजीयक, लूनी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6450
4/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के दिने जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिनके इसको बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं बी सन्सिरी विन्डरूम प्रा. लि. जरिये निर्देशक की रजिस्ट्रार मैट्टा फु की हस्तक्षेप मैट्टा

जाति

जयसाय निवासी सरदारपुरा जोधपुर (जिनको इसको बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इलाके में जहाँ कहीं प्रसंग से ऐसा अन्य निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और नुस्तकिल अवैध भी सम्मिलित होंगे) को मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा चलान किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को अधीन का यह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व प्राय तकानडा

के खसरा संख्या क्षेत्रफल 12.12 न. म. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णतया वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में ताल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतंत्र संपत्ति किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संसर्गों, प्रतिबंधों, संघर्षों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (राष्ट्रीय जमाबन्दी या भूमि का किताब) के तौर पर रूपरेखा अंक 12-1-2019 का पेशागी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक राष्ट्रीय नगरीय निर्धारण (राष्ट्रीय जमाबन्दी या भूमि का किताब) की सहायता जमा कर सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करनी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुना के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से मुक्त प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किताब प्रत्येक 15 वर्ष के परचातु और विकास का हान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनर्विचार का वादी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनर्विचार का, कम्पारिबिलि, अन्तरण के साथ नगरीय निर्धारण या भूमि के किताब का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाभूति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगा।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत कदाही प्राप्ति, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण करवा जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट विबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तर्विष्ट या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे माने प्रसंगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तर्विष्ट किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कलावधि स्वयं द्वारा अध्यापित की जायेगी किन्तु किसी भी वक्ता में मूल पट्टे की कलावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित शर्तों अन्य विबंधनों और शर्तों या किसी पृथक् आवेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मायतों में प्राप्ति किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मायतों में, अन्तर्विष्ट के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ फिलिस्ट्रीकृत विलेख विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण कीस निशिया की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मायतों में इस नियम के अधीन कोई भीस प्रभावित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परदेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रमारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पन्न के परचातु यह पाया जाता है कि आवंटन का पट्टा विलेख विधि की दुरुनिराधि या उसके उत्तराधिकार में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर सुव्यपदेशन द्वारा अधिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिरक्षित करेगा जो सभी प्रचारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जावेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकारी/जीवन बीमा निगम/शिक्षाबुल्ल बैंक/सरकार अलगदारी संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तलावरा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विस्तृत नक्का सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
20' x 40' - 800.00 वर्ग गज

सीमा पूर्व अ.सं-97 सीमा पश्चिम सी.सं-30' फुल
सीमा उत्तर सी.सं-30' फुल सीमा दक्षिण अ.सं-107 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 108

इसके साथी के रूप में इसको फरीकें ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 मार्च के 04/07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश विष्ट
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।
R.A.S.

Dr
उपायुक्त (राशन)
जोधपुर नगर निकाय प्रशासक
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)

साक्षी :-

1. नाम LDC
पिता/पति का नाम JDA
व्यवसाय
निवास स्थान
2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

Dr
साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह मार्च के 04 वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री ओम प्रकाश विष्ट लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

Dr
लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फ्राटेक प्रा.लि.
निवास स्थान 15, दधोमति नगर, भदवातिया स्कूल, जोधपुर
2. नाम नितिन मोदी
पिता/पति का नाम कुमल नाथ मोदी
व्यवसाय एकउटेन्ट लहरीय आर्ट
निवास स्थान 23/SFS-7 जोधपुरी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 13-08-2019 6:17 PM

Fee Receipt No	: 201902063003665	Receipt Date	: 13/08/2019
Name	: SUNCITY BUILDHOME	Document S. No.	: 201901083003940
PVT. LTD. TH.			
RAJENDRA MEHTA.			
Address	: 11-B, PAL CHOPASANI ROAD, JOODHPUR, JOODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400

Ord-Registration Fee	: ₹ 12	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 12	Stamp Duty	: ₹ 57
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 281
		Other than Cash	: ₹ 281
		Total Amount	: ₹ 281

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gra Challan 32564915 ₹ 281

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक, लूणी



જોધપુર વિકાસ પ્રાધિકરણ, જોધપુર

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख $\frac{6451}{17/11}$

6451
7/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
(जिन्हें इसके बाद नगर निकाय काहूकर संबोधित किया गया है) प्रथम पल एवं श्री सनसिरी बिस्डोम प्रा. लि.
अखिल निदेशक जी राजेन्द्र मेहता पुत्र जी हनुवंतराज मेहता

व्यवसाय निवासी सरदारपुरा, बीधपुरा (जिनको इसको बाद
लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इमारत में जहां कहीं प्रसंग से देश अथवा निकले, उनके उत्तरदायितायी, निर्वाहक, प्रबंधक,
प्रतिनिधि और मृतकिल अतह भी सम्मिलित होंगे) के माध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख सत्यापित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कर्तव्यों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनको द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तनाम मूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त मूखण्ड कहकर संज्ञित किया गया है) प्रदान और लीज कर्त्ती है जो योजना राजस्व प्राप्ति
के खसरा संख्या 177 क्षेत्रफल 39.95 ई. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसको अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण दर्शित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वर्ण संहित किन्तु निम्नलिखित तनाम व प्रत्येक अपवादों, संस्थाओं, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कर्तव्यों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (हाइरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये पाँच अंके 12/- 59, 482
मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (हाइरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कलाई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के साधित से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विजय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगी।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बकायी जायें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्दिष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, कयावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कस्तावधि स्वयं द्वारा अकथारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कस्तावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किसी पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विज्ञापन विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभावित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पदादेश प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रमारों का कोई बकाया राजस्व नू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन नू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूली होगी।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुर्नियमिती या उसके उल्लंघन में रूपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्बलपदेशन द्वारा अमिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

2. एक बार निमत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किसी प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विज्ञापन या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दावा होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तर्लन के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किसी का 25 प्रतिशत होगी।

3. घटटे की अवधि :- घटटाधुति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगा।

4. उक्त मुखण्ड का उपयोग केवल औद्योगिक प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस मुखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।

5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत रखा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण करवाया जावेगा।

6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्भित निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, कयावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रजनगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अक्षारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किसी पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस विधित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।

7. जलस भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विग्रह विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण कीस विक्रिप्त की जायेगी। परन्तु लीजाधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभावित नहीं की जायेगी।

8. उल्ला नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पसादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या व्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रमारों का कोई बकाया राजस्वधन म-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन म-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से दम्ततीय होगा।

9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख को निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुस्तिरूपि या उसके उल्लंघन में कथपूरण दस्तावेज के आधार पर दुरु्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंग्रहित करेगा जो सभी प्रमारों से सहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्युल्ड बैंक/सरकार अणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत अणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के अण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कम्पे का नम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तडासडा
खसरा नम्बर : 117
योजना का नाम :
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गज/वर्गमीटर
20' x 40' 99.99 वर्ग

सीमा पूर्व 20' x 96 सीमा पश्चिम 20' x 30' फुट
सीमा उत्तर 20' x 110 सीमा दक्षिण 20' x 30' फुट मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 109

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाएं प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री ओ.एस. प्रकाश बिष्णोई
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।
RAS

उपस्थित (दक्षिण)
नगर निकाय - प्रथम-पक्ष
जोधपुर विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम LDC
पिता/पति का नाम JDA
व्यवसाय
निवास स्थान
2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लौकधातक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लौकधातक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फाटेक प्रा.ति.
निवास स्थान 15, दधीमक्ति नं. 1, नंदयासिया स्कूल, जोधपुर
2. नाम
पिता/पति का नाम मिनिम मोदी
व्यवसाय कानून मान मोदी
निवास स्थान एकतलेक तहरीय आर्ट
22/SFS-7 चौपसनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 22-08-2019 5:51 PM

Fee Receipt No	: 201902063003791	Receipt Date	: 22/08/2019
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	: 201901063003966
Address	: 11-B, PAL CHOPASANI ROAD, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400

Ord-Registration Fee	: ₹ 12	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 12	Stamp Duty	: ₹ 57
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 281
		Total Amount	: ₹ 281

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Chalan 3258888 ₹ 281

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक, लूनी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख 1452
11/11/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के दिने जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **सखसिती बिजुलिया जैन** **जरीन निदेशक श्री राजेंद्र मेहता पुत्र श्री हनुमंतराज मेहता**

व्यवसाय निवासी **सखरपुरा जोधपुर** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इलाका में जहाँ कहीं प्रसंग से ऐसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साध्याकृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी वसूली नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसने उल्लेखित शर्तों और कशरों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व घात **तनावडा**

के खसत संख्या **177** क्षेत्रफल **39.94** में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतंत्र सक्षिप्त किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कशरों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये **पाँच** अंके **11-59,480** मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बरौय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के कलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, क्यास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **हेतुनासीय** प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जायें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्लिखित निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, क्यावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रसंगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अध्यागत की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आवेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या बलीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभावित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या व्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभावों का कोई बकाया राजस्थान नगर-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन नगर-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपदेशन द्वारा अनिष्ठापित किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

- निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंगत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।
10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिद्दुल्ह बैंक/सरकार अणुदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत अणुदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के अणु के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

करने का नाम : जोधपुर
 राजस्व ग्राम : तनावडी
 खसरा नम्बर : 177
 योजना का नाम :
 विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
20' x 40' = 88.88 वर्ग

सीमा पूर्व 20' x 40' = 88.88 सीमा पश्चिम 20' x 40' = 88.88

सीमा उत्तर 20' x 40' = 88.88 सीमा दक्षिण 20' x 40' = 88.88 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 110

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीफोन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 04/07/2019 के माह के 04/07/2019 वें दिन
 श्री ओम प्रकाश विजय
 निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

नगर निकाय प्रमुख पक्ष
(संक्षेप अधिकारी के हस्ताक्षर के नीचे)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम LDC
 पिता/पति का नाम JDA
 व्यवसाय
 निवास स्थान
- नाम
 पिता/पति का नाम
 व्यवसाय
 निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक 04/07/2019 सन् 20 04/07/2019 के माह 04/07/2019 के
 वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम विक्रम शर्मा
 पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
 व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फ्रस्ट्रक्चर प्रा. लि.
 निवास स्थान 15, दधिमाला, जयपुर
- नाम नितिन मोदी
 पिता/पति का नाम कमल नाथ मोदी
 व्यवसाय एकडेंट लहरीय आर्ट
 निवास स्थान 23/SFS-7 घोपसनी-हमसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

**Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI**

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 13-08-2019 6:12 PM

Fee Receipt No : 201902063003663 Receipt Date : 13/08/2019
Name : SUNCITY BUILDHOME Document S. No. : 201901063003638
PVT. LTD. TH.
RAJENDRA MEHTA,

Address : 11-B, CHOPASANI ROAD, SARDARPURA, JODHPUR, JODHPUR

Document Type : Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent

Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400
Ord-Registration Fee	: ₹ 12	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 12	Stamp Duty	: ₹ 57
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 281
		Total Amount	: ₹ 281

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gra Challan 32554726 ₹ 281

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Signature of recipient
and date of return receipt

Cashier

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक, लूणी

033858



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6453

11/11/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वें दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

(जिनके इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सनसिरी विस्डोमू प्रा. लि.

जारी निदेशक की राजस्व मैफा पूरा की इन्वेन्सज मैफा

जाति

व्यवसाय निवासी सरदारपुरा, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वेंसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्तकिल अवैत भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख सहायक करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के हस्त अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा रसीद कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कसरों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तबान भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम तनावडा

के खसत संख्या 177 क्षेत्रफल 88.88 हे.मी. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में खल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी रक्ती सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादी, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कसरों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपरे 11/84.480 अंके माघ पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकेंगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करादी जाती है, को सम्मिलित करके हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा को बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के कलसरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा हस्त ऐसे अन्तरण पर भी पुनर्विभाग का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनर्विभाग या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधुति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगी।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त भूखण्डों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बड़ा दी जाये, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को अपने और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेंगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तर्गत किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अधधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किसी पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ पंजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण कीस निमित्त की जायेगी: परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम की अधीन कोई फीस प्रचारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परतदेव प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या व्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रसारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूली होगी।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुविविधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपयोग द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

(क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंग्रहित करेगा जो सभी प्रभारों से सहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिहयुल्ल बैंक/सरकार अणुदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत अणुदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के अण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राज्य ग्राम : तलावडा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विस्तृत नाम सहित क्षेत्रफल वर्गज/कामोटर : 20 X 50 = 99.99 वर्ग

सीमा पूर्व 20.50-94 सीमा पश्चिम 20.50-95
सीमा उत्तर 20.50-112 सीमा दक्षिण 20.50-110 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 111

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 04/07/2019 वर्ष के 04/07/2019 व दिन
श्री ओम प्रकाश विष्णोई
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।
PAS

नगर निकाय प्रमुख पक्ष
(सहाय्य अधिकारी की हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम UDC
पिता/पति का नाम JDA
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के व दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लोजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

लोजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फार्मेटिक्स प्रा.लि.
निवास स्थान 15, दधोना, सया स्कूल, जोधपुर
- नाम नितिन मोदी
पिता/पति का नाम कमल नाथ मोदी
व्यवसाय एकार्डेंट लहरीय आर्ट
निवास स्थान 23/SFS-7 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

**Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI**

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 13-08-2019 6:05 PM

Fee Receipt No	: 201902063003661	Receipt Date	: 13/08/2019
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	: 201901063003836
Address	: 11-B, PAL CHOPASANI ROAD, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 154400

Ord-Registration Fee	: ₹ 12	Fee for Memorandum Us_64_87	: ₹
CSJ	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 12	Stamp Duty	: ₹ 57
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 281
		Total Amount	: ₹ 281

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gra Challan 32554098 ₹ 281

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate


Cashier



Signature of recipient
and date of return receipt



SUB-REGISTRAR
उप सहायक, लुनी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग को अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

1454
5/11/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सन्सिटी विण्डोम प्रा. लि. और श्री निदेशाक जी राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनुवंतराज मेहता

जामासाम निवासी सरदारपुरा, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से ऐसा अन्य निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और भुक्तकित अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कसरतों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना सजस्व नाम तनावडा

के खसत संख्या 177 क्षेत्रफल 33.33 तो.मी. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में ताल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतंत्र सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कसरतों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 91,000 अंके 11/2-59,448 मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की शर्त जमा कर सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें शर्त जमा कराई जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की शर्त के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की शर्त के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की शर्त के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण का, व्यवस्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बड़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तर्गत या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्दिष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, कथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तर्विती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्ररनगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तर्गत किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में भूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जावें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तर्विती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या बलीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रमाणाति नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रसारों का कोई बकाया राजस्थान नू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन नू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की पुरविसंधि या उसके उल्लंघन में कथपूर्व दस्तावेज के आधार पर दुरुपयोग हेतु अधिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिबंधित करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं तो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राज्य ग्राम : तलावडा
खसरा नम्बर : 177
खेजना का नाम : -
विस्तृत नाम सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
20' x 40' = 88.88 वर्ग गज

सीमा पूर्व अ.स. 93 सीमा पश्चिम सी. 30' फुट

सीमा उत्तर अ.स. 113 सीमा दक्षिण अ.स. 111 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 112

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकें ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 04/07/2019 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री वि.स. विकास प्राधिकरण
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।
PAS

उपायुक्त / वी.स. विकास प्राधिकरण
नगर निकाय प्रभारी
(सहभागी अधिकारी के हस्ताक्षर के लिए)
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम LDC
पिता/पति का नाम JDA
व्यवसाय
निवास स्थान
2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक 04/07/2019 सन् 20 04/07/2019 के माह 04/07/2019 के
वें दिन की विमललिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लोजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

लोजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम श्री. राजा राम शर्मा
व्यवसाय अ.स. 111
निवास स्थान 15, द.स. 111, जोधपुर
2. नाम नितिन मोदी
पिता/पति का नाम विमल मोदी
व्यवसाय विमल मोदी
निवास स्थान विमल मोदी

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 13-08-2019 6:15 PM

Fee Receipt No	: 201902063003084	Receipt Date	: 13/08/2019
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	: 201901063003839
Address	: 11-B ,PAL CHOPASANI ROAD ,JODHPUR ,JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400
Ord-Registration Fee	: ₹ 12	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 12	Stamp Duty	: ₹ 57
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 281
		Total Amount	: ₹ 281

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Chalan 32554042 ₹ 281

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier



Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR
उप-सूचीयक, लुनी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग का अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6455
जुलै 11



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिसे इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सनसिरी बिन्दु सोम शास्त्री जयसिंह जी राजेश मेहता पुत्र श्री हनुमतराज मेहता

ज्यादातर निवासी सन्सारपुरा, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहाँ कहीं प्रसंग से ऐसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्ताफल अल्लह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निम्नलिखित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी सही नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निम्नलिखित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्थान तन्नाबड़ा

के खसरा संख्या 177 क्षेत्रफल 32.33 हे.मी. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में ज्ञान रा में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतंत्र संहिता किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपरेखा अर्थात् अंके मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक नगरीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकेंगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आत गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार निम्न लिखा गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के परभाव और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर की पुनरीक्षण का लावी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तर्गण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधारी अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आने और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेंगा। उक्त नियमों में अन्तर्दिष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रस्तुत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पुष्पक आवेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जादी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तर्गण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण की निशान की जायेगी: परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस निम्न के अधीन कोई भी दस्तावेज नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परदेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई वकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की वकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के परभाव यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुस्ति या उसके उल्लंघन में कथपूरा दस्तावेज के आधार पर दुरुपदेशन द्वारा अधिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

10. इस मद्द्ता विलेख के अन्तर्गत पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिद्द्वलू बैंक/सरकार अण्णदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत अण्णदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के अण्ण के लिए बंधक रखा जा सकैगा।

परिशिष्ट

सीमा पूर्व 25.5-92 सीमा पश्चिम 25.30 फुट
सीमा उत्तर 25.5-114 सीमा दक्षिण 25.5-112 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 113

नगरीय निकाय की ओर से

उपायुक्त (वसिष्ठ)
नगर निकाय - प्रथम-पक्ष
बोखार विकास प्राधिकरण
(सहम-अधिकारी के हस्तक्षर एवं मोहर)
बोखार

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

लीजधारक -द्वितीय पक्ष

साक्षी के हस्ताक्षर

साथी के हस्ताक्षर

**Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI**

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 22-08-2019 4:15 PM

Fee Receipt No	: 201902063003763	Receipt Date	: 22/08/2019
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	: 201801063003638

Address : 11-B, PAL CHOPASANI ROAD, JODHPUR, JODHPUR

Document Type : Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent

Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400
Ord-Registration Fee	: ₹ 12	Fee for Memorandum Us_84_87	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 12	Stamp Duty	: ₹ 57
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 281
		Total Amount	: ₹ 281

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)
a-Gras Challan 32563173 ₹ 281

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Signature of recipient
and date of return receipt

Cashier

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक, लूणा



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6756
11/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के दिनांक जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री राजसिरी खिलडीम पाण्डेय, जयपुर निदिबाक जी राजेन्द्र मेहता पुत्र जी इनबेतराज मेहता

जाति

जयपुर निवासी सरसरपुरा जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहाँ कहीं प्रशंग से ऐसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्ताफल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साह्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम तगावडा के खसरा संख्या 177 क्षेत्रफल 89.88 वर्ग मी. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में ताल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतंत्र सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये वार्षिक अंके 11,59,400 मात्र पेनाली अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकेंगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के अठ गुना के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार निष्पादित किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के परचात और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का वादी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, सहाय्यस्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाप्राप्ति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेंगा। उक्त नियमों में अन्तर्दिष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, व्यावहारिक परिवर्तन सहित, अन्तरित या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अध्यास्त की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरित की पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विज्ञापन विलेख, दान विलेख, या बसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रमाणाति नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेश प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के परचात यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुर्भिक्षिधि या उसके उल्लंघन में कथपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंभृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित सम्झे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/बिड़यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तनावडा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम : —
विस्तृत नप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
20' x 40' = 88.99 व. 51

सीमा पूर्व अ.सं-91 सीमा पश्चिम सी. 30 फुट

सीमा उत्तर अ.सं-115 सीमा दक्षिण अ.सं-113 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 114

इसके साक्षी के रूप में इसको फरीकोन मे इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री भोम प्रकाश विरनोई
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।
PAS

नगर निकाय उद्भव मक्ष
(सहम अधिकारी की हस्ताक्षर के साथ)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लोजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लोजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम
पिता/पति का नाम विक्रम शर्मा
व्यवसाय स्व. राजा राम शर्मा
निवास स्थान ऑफिसर जय इन्फ्रस्टेक प्रा.लि.
15, दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर
- नाम
पिता/पति का नाम नितिन मोदी
व्यवसाय कमल नाथ मोदी
सहायक लहरीय आर्ट
निवास स्थान 3457 - यशनी लजसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 22-08-2019 4:19 PM

Fee Receipt No	: 201902063003764	Receipt Date	: 22/08/2019
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH.	Document S. No.	: 201901063003939
RAJENDRA MEHTA,			
Address	: 11-B, 9th PAL CHOPASANI ROAD, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400

Ord-Registration Fee	: ₹ 12	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹ 0
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹ 57
Surcharge	: ₹ 12	Stamp Duty	: ₹ 0
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 281
		Other than Cash	: ₹ 281
		Total Amount	: ₹ 281

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 32583115 ₹ 281

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Signature of recipient
and date of return receipt

Cashier

SUB-REGISTRAR
रूप पंजीयक, लूनी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6457
1/1/11



यह विलेख आज वर्ष के माह के के दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिनके इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री राजसिंही विण्डहीम प्रा. लि. जारिने निवेदन श्री राजेंद्र मेहता पुत्र श्री टनवेंतराण मेहता

व्यवसाय निवासी (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस द्वाबत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निवाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्ताफल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साब्यगित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कसरों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा चालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम के खसरा संख्या क्षेत्रफल 88.32 हे.मी. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में लात रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतंत्र सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कसरों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये वाषटिक अंके 11/ 59.450
- मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकेंगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा करवाई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के परचातु और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टावृत्ति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगी।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेंगा। उक्त नियमों में अन्तर्लिखित निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तर्लिखित या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तर्लिखित के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निशुल्क की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परदेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई नकामा राजस्थान नू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन नू-राजस्व की बकामा के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के परचातु यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरनिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्ब्यपदेशन द्वारा अनिष्टाप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंभृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को काबित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस फट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिडयूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तलावडा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम : —
विस्तृत नाम सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
20x40=88.88व.ग.मी.

सीमा पूर्व 20.51=90 सीमा पश्चिम 20.30=90

सीमा उत्तर 20.51=116 सीमा दक्षिण 20.51=114 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 115

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 04/07/2019 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश चिन्मोई
निम्न की उपस्थिति में PAS हस्ताक्षर किये।

SV
नगर निकाय के अध्यक्ष/सह
(संस्था अधिकारी की हस्ताक्षर स्थिति)
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम LDC
पिता/पति का नाम JDA
व्यवसाय —
निवास स्थान —

SV
साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम —
पिता/पति का नाम —
व्यवसाय —
निवास स्थान —

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक — सन् 20 — के माह — के — वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री —
लोनधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

लोनधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फ्रस्ट्रक्चर प्रा.लि.
निवास स्थान 15, दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर

SV
साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम —
पिता/पति का नाम नितिन मोदी
व्यवसाय कमल नाथ मोदी
निवास स्थान एकरोड लहरीय गार्ड
23/07-7 चौकसानी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

SV
साक्षी के हस्ताक्षर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 19-11-2019 11:59 AM

Fee Receipt No	: 201902083003766	Receipt Date	: 22/08/2019
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	: 201901063003945
Address	: 11-B, PAL CHOPASANI ROAD, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400

Ord-Registration Fee	: ₹ 12	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 12	Stamp Duty	: ₹ 57
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 281
		Total Amount	: ₹ 281

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

* # e-Gas Challan 32553004 ₹ 281

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier



Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6438

1/1/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री समसिरी बिष्टोमी आदि अधिने निदेशक की रणनीति के तहत पुनर्निर्माण के तहत

स्थायी निवासी सरदारपुरा, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इलाक में जहाँ कहीं प्रसंग से वसा अर्थ निकले, उनको उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्ताकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास मूल्य की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कर्तव्यों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा फालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्थान ग्राम तलावडा के खसरा संख्या 177 क्षेत्रफल 98.98 वर्ग मी. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत दिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतंत्र संहिता किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कर्तव्यों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

- लीजधारक नगर निकाय को कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये वार्षिक अंके 11/- 59.48 मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारिय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की शर्तों जमा कर सकता है, जो उस वर्ष, जिसमें शर्त जमा कराई जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की शर्तों के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की शर्तों के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की शर्तों के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का टाकी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, व्यवस्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकता है। उक्त नियमों में अन्तर्गति निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रत्येक उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तर्गति किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जावे, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई भी फीस प्रभावी नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पशुदेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या व्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभावों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण वस्तावेज के आधार पर दुरुपदेशन द्वारा अनिर्वाप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 22-08-2019 4:32 PM

Fee Receipt No : 201902063003767 Receipt Date : 22/08/2019
Name : SUNCITY BUILDHOME Document S. No. : 201901083003942
PVT. LTD. TH.
RAJENDRA MEHTAR,

Address : 11-B, PAL CHOPASANI ROAD, JODHPUR.
Document Type : Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent

Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400
Ord-Registration Fee	: ₹ 12	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
C-St	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 12	Stamp Duty	: ₹ 57
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 281
		Total Amount	: ₹ 281

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 32552936 ₹ 281

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR
रूप मजारीयक, लुणी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6459
4/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिनके इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सनसिरी बिण्डहोम आ. लि. जायिने निदेशक जी राजीव मेहता पुत्र जी इनवेंटराज मेहता

ज्यादातर निवासी सरदारपुरा, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इलाक़ में जहाँ कहीं प्रसंग से वसा अब निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा फालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम तलावडा के खसरा संख्या 177 क्षेत्रफल 39.95 वर्ग मी. स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में लात रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतंत्र संहिता किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संस्करणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 10 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 11/- Square मी. मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकेंगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि को संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दावी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाप्राप्ति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगा।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बहा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेंगा। उक्त नियमों में अन्तर्लिखित निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, व्यावहारिक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अकालित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ सख्तीपूर्वक विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निशिया की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रचालित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पक्षदेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभावों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की त्रुटिसंघि या उसके उल्लंघन में कथपूरण दस्तावेज के आधार पर दुरुपदेशन द्वारा अधिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के (क.प.ड.)

निबंधन और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कानि किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कच्चे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तनावडा
खसरा नम्बर : 177
संस्था का नाम : —
विस्तृत नाम सहित क्षेत्रफल वर्गज/वर्गमीटर
20x40=88.88 वर्ग मी.

सीमा पूर्व 25.50-88 सीमा पश्चिम 20.30' 88

सीमा उत्तर 25.50-118 सीमा दक्षिण 25.50-116 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 117

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश बिस्नोई
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

उपनिका (राशन)
नगर निकाय प्रभार
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लोनधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लोनधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फाटेक प्रा.लि.
निवास स्थान 15, दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर
- नाम विजय मोदी
पिता/पति का नाम कमल नाथ मोदी
व्यवसाय एकपेटेड लहसुन आर्ट
निवास स्थान 23/3FS-7 मोदीसानी लहसुन बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 22-08-2019 4:53 PM

Fee Receipt No	: 201902063003769	Receipt Date	: 22/08/2019
Name	: JDA, JODHPUR,	Document S. No.	: 201901063003944
Address	: ...		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400

Ord-Registration Fee	: ₹ 12	Fee for Memorandum Us_64_57	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 12	Stamp Duty	: ₹ 57
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 281
		Total Amount	: ₹ 281

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 32582961 ₹ 281

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

[Signature]
Cashier



Signature of recipient
and date of return receipt

[Signature]

SUB-REGISTRAR
रघु पंजीयक, लूनी

033870



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

646
7/1/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के के दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिसे इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सज्जिंदरी बिस्डडेम आर.सि. ६ जसिन्दी निदेशक जी.बी.सी. मेहता पुत्र जी हनुमंतराज मेहता

जाति

व्यवसाय निवासी सरदारपुरा, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इलाक़ में जहां कहीं प्रसंग से वेसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी स्वीकृत नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कशरों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा चलन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व घात तनावडा

के खसत संख्या 177 क्षेत्रफल ३३.३३ हे. मी. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी सच्चाई सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संस्करणों, प्रतिबंधों, बाधाओं, शर्तों और कशरों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और दुरुस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किस्सा) के तौर पर रुपये वार्षिक अंके 11 59484 मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक राष्ट्रीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किस्सा) की सशि जमा कर सकता है, जो उस वर्ष, जिसमें सशि जमा कराई जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की सशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की सशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की सशि के संवाय के माफ़िय से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार निबन्ध किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किस्सा प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, वयास्थिति, अन्तरण के समक्ष नगरीय निर्धारण या भूमि के किस्से का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जाये, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिशर्तन सहित, अन्तर्लिखी या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथम उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अन्तर्लिखित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किसी पुष्पक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तर्लिखी के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रचारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बक़ायों के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुविसंधि या उसके उल्लंघन में कथपूर्य दस्तावेज के आधार पर दुरुव्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

(क.प.उ.)

निर्देशनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रणालियों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को काचित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विवेक के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिद्धमूल्य बैंक/सरकार आणदारी संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत आणदारी संस्थाओं के पास भवन निर्माण के आण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तत्तासडा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
20' x 40' = 80-80 वर्ग

सीमा पूर्व अ.स. 37 सीमा पश्चिम सी. 30' 30"

सीमा उत्तर अ.स. 119 सीमा दक्षिण अ.स. 117 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 119

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दश में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री ओ.प. प्रकाश चिन्मोई
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

उपनिवेश (दादाश)
नगर निकाय - प्रथम पक्ष
जोधपुर विकास प्राधिकरण
(सहम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान



साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लौजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लौजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम
पिता/पति का नाम विक्रम शर्मा
व्यवसाय स्व. राजा राम शर्मा
निवास स्थान ऑफिसर जय इन्फ्रान्टेक प्रा.ति.
15, दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम गितिन मोदी
पिता/पति का नाम कमल नाथ मोदी
व्यवसाय एकउटेन्ट लहरीय आर्ट
निवास स्थान 23/SFS-7 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

**Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI**

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 22-08-2019 5:33 PM

Fee Receipt No	: 201902063003780	Receipt Date	: 22/08/2019
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	: 201901063003955
Address	: 11-B ,PAL CHOPASANI PAL CHOPASANI ROAD ,JODHPUR ,JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400

Ord-Registration Fee	: ₹ 12	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 12	Stamp Duty	: ₹ 57
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 281
		Total Amount	: ₹ 281

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 32582160 ₹ 281

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

07

SUB-REGISTRAR
उप पंजीयक, लूनी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

56/17/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संशोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री राजसिंह विल्डरूम डा. सि. जारि निदेशक की राजीव मैसा फुम की हस्ताक्षर मैसा

व्यवसाय निवासी (जिनको इसके बाद लीजधारक संशोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इकाई में जहां कई प्रसंग से मैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुक्तकिल अलेह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी वसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कर्तव्यों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संशोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना सजस्य ग्राम के खसरा संख्या में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न चित्रों में ताल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतंत्र सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बाधाओं, शर्तों और कर्तव्यों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और दुरुस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये वर्षिक अंके मात्र पैशानी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा को बतबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि को फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पर्याप्त और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के श्रम्य नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जाये, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्लिखित निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अन्तर्लिखित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किसी पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ इस रूप से प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई भी फीस प्रचालित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पदादेश प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या व्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रमारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूली होगी।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पर्याप्त यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुस्ति या उसके उल्लंघन में कष्टपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यवहारन द्वारा अभिप्राय किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

निकाशों और शौचों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिरोद्धत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में गिरित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आन्तर पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिद्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तनावडा
खसरा नम्बर : 177
खेजना का नाम : -----
विस्तृत नाम मज़ित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
20' x 40' = 80.00 वर्ग गज

सीमा पूर्व 25' 30" - 36 सीमा पश्चिम 20' 30" फुट

सीमा उत्तर 25' 30" - 120 सीमा दक्षिण 25' 30" - 115 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 119

इसके साक्षी के रूप में इसके करीबन नौ इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश विश्वाकर्ष
निम्न को उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

उपस्थित (दक्षिण)
नगर निकाय - प्रथम पक्ष
जोधपुर विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम
पिता/पति का नाम LDC
व्यवसाय JDA
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित को उपस्थिति में उक्त श्री
लौजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लौजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम
पिता/पति का नाम विक्रम शर्मा
व्यवसाय स्व. राजा राम शर्मा
निवास स्थान ऑफिसर जय इन्फांटेक प्रा.लि.
15, दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर
- नाम
पिता/पति का नाम नितिन मोदी
व्यवसाय कमल नाथ मोदी
एकस्टेट लहरीय आई
निवास स्थान 23/SF3-7 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 22-08-2019 5:39 PM

Fee Receipt No	: 201902063003783	Receipt Date	: 22/08/2019
Name	: SUNCITY BUILDDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	: 201901063003957
Address	: 11-B, SARDARPURA, BACHRAJJI KA BAGH, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400
Ord-Registration Fee	: ₹ 12	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 12	Stamp Duty	: ₹ 57
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 281
		Total Amount	: ₹ 281

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Chalan 32583412 ₹ 281

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR
उप-पंजीयक, लुणा



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6462
4/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्होंने इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सन्सिटी बिजनेस प्रा. लि. जयपुर निदेशक श्री राजेश मेहता पुत्र श्री हनुमंतराज मेहता

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस द्वाारा में जहाँ कहीं प्रसंग से ऐसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुक्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साव्यकृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की एकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) को द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कर्तव्यों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम तनानडा के खसरा संख्या 177 क्षेत्रफल 38.39 वर्ग मी. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम वा प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कर्तव्यों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का कितना) के तौर पर रुपये वार्षिक अके 11/- Sqrd मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का कितना) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार निश्चित किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का कितना प्रत्येक 15 वर्ष के परभाव और विज्ञापन या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दावी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के कितने का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगा।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल वाणिज्यिक प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की शारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रशङ्कित उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अध्वारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जावें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विज्ञापन विलेख, दान विलेख, या यसीयत या अन्य सुसंगत वस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दान रूपसे प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई भी फीस प्रमादित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परदेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई वकाला राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूली होगी।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के परभाव यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उत्पन्न होने में कपटपूर्ण वस्तावेज के आधार पर दुर्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के (क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी समिर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिडयुल्ल बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तनावडा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
20' x 40' = 80.89.3.71

सीमा पूर्व अ.सं-85 सीमा पश्चिम रीड 30' फुट

सीमा उत्तर अ.सं-121 सीमा दक्षिण अ.सं-119 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 120

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीफोन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 04/07/2019 के दिने
श्री श्री. प्रमोद कुमार विश्वाकर्ष
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

Dr
उपायुक्त (वास्तु)
नगर निकाय - प्रथम पक्ष
जोधपुर विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम LOC
पिता/पति का नाम JDA
व्यवसाय
निवास स्थान

Dr
साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान



साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक 04/07/2019 के माह 07 के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

Dr
लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फ्राटेक प्रा.लि.
निवास स्थान 15, दशरथ नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर

Dr
साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम रजनी नाथ मोदी
पिता/पति का नाम रजनी नाथ मोदी
व्यवसाय 23/05-7-11/12/18
निवास स्थान रजनी नाथ मोदी, जोधपुर

Dr
साक्षी के हस्ताक्षर

**Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI**

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 22-08-2019 3:48 PM

Fee Receipt No	: 201902063003758	Receipt Date	: 22/08/2019
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	: 201901063003933
Address	: 11-B, SARDARPURA, BACHRAJJI KA BAGH, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400

Ord-Registration Fee	: ₹ 12	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 12	Stamp Duty	: ₹ 57
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 281
		Total Amount	: ₹ 281

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Chalan 32593311 ₹ 281

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Signature of recipient
and date of return receipt

Cashier

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक, लूनी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6463
1/17/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **सनसिटी बिल्डहोम प्रा. लि.** **छरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवतराज**

व्यवसाय निवासी **सरदारपुर, जोधपुर** जाति (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्ताकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कसरतों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा भालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना सजरब ग्राम **तन्नावडा** के खसरा संख्या क्षेत्रफल **88.89 वर्ग मी** में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में ताल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी रस्तेयों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संस्थाओं, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कसरतों अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 28 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किंसाया) के तौर पर रूपये **वास्तविक** अर्के **11/- 52400** मात्र पेसागी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किंसाया) की राशि जमा करा सकता है, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा कराई जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किंसाया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, क्यास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किंसाये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकता है। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्ररनगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अक्षरित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किसी पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पशुदेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभावों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कष्टपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंभृत करेगा जो सभी प्रभारों से सहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्युल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तलावडा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गज/वर्गफीट
20' x 40' - 80.88

सीमा पूर्व P.No. 84 सीमा पश्चिम R.O. 30'

सीमा उत्तर P.No. 122 सीमा दक्षिण P.No. 120 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 121

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश दिशनोई
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।


उपनिर्वाहक प्रथम पक्ष
(सुखम अधिकारी के इतिहास एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम
पिता/पति का नाम Lac
व्यवसाय ...
निवास स्थान


साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

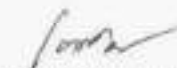

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लौजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।


लौजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम
पिता/पति का नाम विक्रम शर्मा
व्यवसाय स्व. राजा राम शर्मा
निवास स्थान ऑफिसर जय इन्फ्राटेक प्रा.लि.
15, दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर


साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम ...
व्यवसाय ...
निवास स्थान ...
23/SFS-7 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर,


साक्षी के हस्ताक्षर

**Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI**

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131)

Print Date : 22-08-2019 5:02 PM

Fee Receipt No	: 201902063003770	Receipt Date	: 22/08/2019
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT LTD TH RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	: 201901063003645
Address	: 11-B, SARDARPURA, BACHRAJJI KA BAGH, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400
Ord-Registration Fee	: ₹ 12	Fee for Memorandum Us_64_57	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 12	Stamp Duty	: ₹ 57
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 281
		Total Amount	: ₹ 281

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gate Chetan 32582796 ₹ 281

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate


Cashier



Signature of recipient
and date of return receipt


SUB-REGISTRAR
उप पंजीयक, लूनी

CITY HOME AFFORDABLE LLP

Auth Signatory



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6464
1/7/19



यह विलेख आज एवं के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्होंने इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **सनसिटी बिल्डहोम प्रा. लि.** चरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनुवतराज

स्थलावधि निवासी **सरदारपुरा, जोधपुर** जाति (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इनाम में जहां कहीं प्रसंग से ऐसा अर्थ निकले, उनके उत्तरदाता, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुनाफिल अतिरिक्त भी सम्मिलित होंगे) के साथ निष्पक्षित हुआ है।

यह विलेख स्थापित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी परीक्षा नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा सातन किये जावेंगे, के एवज में नगर निकाय इनको द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तमाम भूखण्ड (जिसमें इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रधान और लीज करती है जो योजका

के खसरा संख्या **177** क्षेत्रफल **88-88 व 3** में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसमें अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में सातन रूप में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संस्थाओं, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन रखतेदार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये **लाफेस** अंके **11/- 8448** मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकेगा, जो उक्त वर्ष, जिसमें राशि जमा कराई जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पर्याप्त और विक्रय या दान या भूखण्ड के ऐसे अन्तर्गत पर भी पुनर्विचार का दायी होगा और ऐसी पुनर्विचार प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनर्विचार या, यथास्थिति, अन्तर्गत के समान नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।

3. पट्टे की अवधि :- पट्टावृत्ति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगी।

4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** होगा, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त निधनों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जावेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जावेगा।

5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बदा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जावेगा।

6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निर्बंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तर्लिखित या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे माने प्रयोजन उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अनाति किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अध्यावधि की जावेगी किन्तु किसी भी दश में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निर्बंधनों और शर्तों या किसी बुद्धि आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जावें, शासित होंगे।

7. उक्त भूखण्ड के अन्तर्गत के मामलों में, अन्तर्लिखित के पक्ष में नाम में अन्तर्गत के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ सज्जितकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जावेंगे। प्रत्येक अन्तर्गत के लिए आवेदन के साथ दस्त सपरे प्रति वर्षीयतर की दर से अन्तर्गत परीक्षा निक्षिप की जावेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई भी प्रभावित नहीं की जावेगी।

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परदेव प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्व नू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन नू-राजस्व की सजाव के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।

9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पर्याप्त यह बाधा जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की सुरक्षित या उसके उत्तरदाता में कथपूर्वक दस्तावेज के आधार पर दुरुपयोग द्वारा अधिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

निकटनों और शालों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिस्थापित करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समाझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की मुकदमानी के लिए बांधी नहीं होगा।

10. इस पट्टा वितरेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकाद/जीवन सीमा निगम/शिहूबुल्द बैक/सरकार अणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नगरपाल बैक द्वारा अधिकृत अणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के अण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

* जो लागू नहीं हो उसे काट देंगे।

परिशिष्ट

कम्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : रानीवडा
खसरा नम्बर : 177
खेजरा का नाम :
विस्तृत नाम सहित क्षेत्रफल वर्गफुट/वर्गमीटर
20' x 40' = 28.88

सीमा पूर्व P.N.O. 23 सीमा पश्चिम P.N.O. 30

सीमा उत्तर P.N.O. 123 सीमा दक्षिण P.N.O. 121 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.N.O. 122

इसके साथी के रूप में इसके फरीकों ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 07/07/2019 व दिन
श्री श्रीम. प्रकाश विस्तार
R.A.S.
विम्ब की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

[Signature]
नगर निकाय - प्रथम पक्ष
नगरीय निकाय, जोधपुर
(सहाय्य अधिकारी की हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साथी :-

1. नाम
पिता/पति का नाम Lac
व्यवसाय ...
निवास स्थान ...

[Signature]
साथी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साथी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
व दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लोजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर निकाय, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

CITY HOME RECORDABLE
[Signature]
Auth. Signatory

[Signature]
लोजधारक - द्वितीय पक्ष

साथी :-

1. नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फ्राटेक प्रा. लि.
निवास स्थान 15, दधिमति नगर, मदयासिया स्कूल, जोधपुर

[Signature]
साथी के हस्ताक्षर

2. नाम वित्तन मोदी
पिता/पति का नाम ...
व्यवसाय एकस्ट्रेट लहरीय आर्ट
निवास स्थान 23/SFS-7 जीवाशनी हाऊसिंग बोर्ड, जोधपुर

[Signature]
साथी के हस्ताक्षर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 22-08-2019 3:51 PM

Fee Receipt No	: 201902083003759	Receipt Date	: 22/08/2019
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA	Document S. No.	: 201901063003934
Address	: 11-B, SARDARPURA, BACHRAJ JI KA BAGH, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		

Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400
------------	---------	-----------------	------------

Ord-Registration Fee	: ₹ 12	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 12	Stamp Duty	: ₹ 57
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 281
		Total Amount	: ₹ 281

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)
e-Graa Chalan 32583263 ₹ 281

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Signature of recipient
and date of return receipt

Cashier

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक, लूणी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6465
1/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

(जिनके इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री

सनसिटी बिल्डिंग प्रा. लि.

जरिये निदेशक श्री सज्जेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनुवतराज

ज्याति
प्रथम पक्ष निवासी (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुक्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कर्तव्यों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम के खसरा संख्या क्षेत्रफल में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्थलों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कर्तव्यों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये अंके मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार निघत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के परचात और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दावी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, क्यास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण का भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगी।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिश्रम सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रत्येक उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पशुदेव प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभासों का कोई बकाया राजस्थान नू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन नू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के परचात यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुस्ति या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेजों के आधार पर दुरुपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

- निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंग्रहित करेगा जो सभी प्रमारों से रहित नगर निकाय में गिहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कागित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।
10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिद्दुल्लू बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
 राजस्व ग्राम : दमोदरा
 खसरा नम्बर : 177
 योजना का नाम : —
 विस्तृत माप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
20' x 40' = 88.88

सीमा पूर्व P.N. 82 सीमा पश्चिम P.O. 30
 सीमा उत्तर P.O. 30 सीमा दक्षिण P.N. 122 मानचित्र संलग्न है।
 भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.N. 123

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 04/07/2019 व दिन
 श्री जोधपुर विकास प्राधिकरण
 निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

जोधपुर विकास प्राधिकरण
 (सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
 जोधपुर

साक्षी :-

- नाम Use
 पिता/पति का नाम Use
 व्यवसाय Use
 निवास स्थान Use
- नाम Use
 पिता/पति का नाम Use
 व्यवसाय Use
 निवास स्थान Use

Use
 साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक 04/07/2019 सन् 20 04 के माह 07 के 19
 वें दिन की निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री जोधपुर विकास प्राधिकरण
 सीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

जोधपुर विकास प्राधिकरण
 सीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम विक्रम शर्मा
 पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
 व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फाटेक प्रा.लि.
 निवास स्थान 15, दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर
- नाम सुनिता शर्मा
 पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
 व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फाटेक प्रा.लि.
 निवास स्थान 23/5/5-7 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

विक्रम शर्मा
 साक्षी के हस्ताक्षर

सुनिता शर्मा
 साक्षी के हस्ताक्षर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 22-08-2019 5:08 PM

Fee Receipt No : 201902063003772 Receipt Date : 22/08/2019
Name : SUNCITY BUILDHOME Document S. No. : 201901063003947
PVT. LTD. TH.
RAJENDRA MEHTA.

Address : 11-B, SARDARPURA, BACHRAJJI KA BAGH, JODHPUR, JODHPUR

Document Type : Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent

Face Value	Evaluated Value
: ₹ 284	: ₹ 194400
Ord-Registration Fee	Fee for Memorandum Us_64_67
: ₹ 12	: ₹ 0
CSI	Certified copying fees Us_57
: ₹ 200	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	Reg (memorandum)
: ₹ 0	: ₹ 0
Surcharge	Stamp Duty
: ₹ 12	: ₹ 57
Penalty	Inspection fee
: ₹ 0	: ₹ 0
Us_25_34	Commission
: ₹ 0	: ₹ 0
Custody	Others
: ₹ 0	: ₹ 0
	Cash Amount Received
	: ₹ 0
	Other than Cash
	: ₹ 281
	Total Amount
	: ₹ 281

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 32582660 ₹ 281

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR
उप पंजीयक, लूणा



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6466
7/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के से दिने जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिनमें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सनसिटी बिल्डहोम प्रा. लि. जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवतरसज

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस दस्तावेज में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुक्तकिल अलेह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा रबीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कथनों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा फालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्थान ग्राम के स्वसरा संख्या क्षेत्रफल में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में लात रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतंत्रों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कथनों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (राहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये अंके मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (राहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकता है, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के परचात् और विद्रव्य या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तराल पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, व्यवस्थिति, अन्तराल के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकता है। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्ररनगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तर्विष्ट किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी वरत में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या रसीद या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभावित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परदेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या व्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभावों का कोई बकाया राजस्थान नू-राजस्थान अधिनियम, 1956 के अधीन नू-राजस्थान की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के परचात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उत्संघन में कथपूरण दस्तावेज के आधार पर दुर्यपवेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिग्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रभातों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कायित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार आणदारी संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत आणदारी संस्थाओं के पास भवन निर्माण के आण के लिए कंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तनावरा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
28' x 40' = 88.88

सीमा पूर्व Road 30' सीमा पश्चिम P.No. 163

सीमा उत्तर Road 30' सीमा दक्षिण P.No. 125 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 124

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 24/07/2019 वें दिन
श्री अभिषेक कुमार चिन्मई
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

SW
उपायुक्त (विकास)
नगर निकाय - प्रथम पक्ष
जोधपुर विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
..... वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लौजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लौजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 22-08-2019 4:23 PM

Fee Receipt No	: 201902063003765	Receipt Date	: 22/08/2019
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	: 201901063003940
Address	: 11-B, SARDARPURA, BACHRAJJI KA BAGH, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400

Ord-Registration Fee	: ₹ 12	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 12	Stamp Duty	: ₹ 57
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 281
		Total Amount	: ₹ 281

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gra Challan 32583053 ₹ 281

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR
उप-पंजीयक, लूनी

033820



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6467
4/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

(जिनमें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **सनसिटी बिल्डहोम प्रा. लि.**
जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र नेहता पुत्र श्री हर्नवतराज

जयसाम निवासी **सरदारपुर, जोधपुर** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहाँ कहीं प्रसंग से ऐसा अर्थ निकले, उनके उक्त अधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुताफिज अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख सहायक करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय को प्राप्त स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह समान भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्थान ग्राम के खसत संख्या क्षेत्रफल में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतंत्र संहिता किन्तु निम्नलिखित समान व प्रत्येक अपवादों, संस्थाओं, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (राष्ट्रीय जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये अंके मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बरसिय नगरीय निर्धारण (राष्ट्रीय जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकेंगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा कराई जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के परभाव और बिक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दावी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, कयास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगा।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जावेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जावेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बड़ा दी गई, लीजधारक को द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण करवाया जावेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तर्गत या उप-पट्टे पर दे सकेंगा। उक्त नियमों में अन्तर्लिखित विबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तर्गत किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अध्यावृत्त की जावेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य विबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत बिक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जावेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई भी फीस प्रचारित नहीं की जावेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पशुदेव प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या व्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के परभाव यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिराधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्गमपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के (क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिबंधित करेगा जो सभी प्रमारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूलड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : दत्तावडा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
20' x 40' = 88.88

सीमा पूर्व P.O. 30' सीमा पश्चिम P.No. 162
सीमा उत्तर P.No. 124 सीमा दक्षिण P.No. 126 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 125

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकन ने इसके बाद प्रत्येक दश में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश विस्नोई
R.A.S.
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

नरेंद्र कुमार
(सक्षेप अधिकारी के हस्ताक्षर प्रमाणित)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन की निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम पिछम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फ्रस्टेक प्रा.लि.
निवास स्थान 15, दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर
- नाम नितिन मोदी
पिता/पति का नाम कमल नाथ मोदी
व्यवसाय एकडेन्ट लहरीय आर्ट
निवास स्थान 22/2/3-7 दीपारानी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 13-08-2019 5:21 PM

Fee Receipt No	: 201902053003646	Receipt Date	: 13/08/2019
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA	Document S. No.	: 201901063003821
Address	: 11 B, SARDARPURA, BACHRAJ JI KA BAGH, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400

Ord-Registration Fee	: ₹ 12	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 12	Stamp Duty	: ₹ 57
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 281
		Other than Cash	: ₹ 281
		Total Amount	: ₹ 281

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 32554637 ₹ 281

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Cashier



Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR
उप पंजीयक, लूनी

033723



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6468
1/17/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्होंने इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **सनसिटी बिल्डहोम प्रा. लि.** जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हर्नवतराज

ध्यासाय निवासी **सरदारपुरा, जोधपुर** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और नुनक्तित अलेह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निम्नलिखित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी वसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कर्तव्यों जो लीजधारक द्वारा निम्नलिखित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम **तनावडा** के खसरा संख्या **177** क्षेत्रफल **88.33 घ.उ.** में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्तरों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कर्तव्यों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किशया) के तौर पर रूपरेखा अर्थात् **11/5484** मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक शहरी नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किशया) की शर्त जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें शर्त जमा करवाई जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की शर्त के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की शर्त के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की शर्त के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार निम्नलिखित किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किशया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण का, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि का किशया का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जाये, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किसी पृथक् आवेदनों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस्त रूपरेखा प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभावित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परसदेव प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या व्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभावों का कोई वकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की वकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुस्ति या उसके उल्लंघन में कथपूरण दस्तावेज के आधार पर दुरुपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंग्रह करेगा जो सभी प्रमारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित-किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्युल्ड बैंक/सरकार अणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत अणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के अण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : दनावडा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
30' x 40' = 88.88

सीमा पूर्व Road 30' सीमा पश्चिम P.No. 161
सीमा उत्तर P.No. 125 सीमा दक्षिण P.No. 127 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 126

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकन ने इसके बाद प्रत्येक दश में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश जि.
R.A.S.
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

Sw
नगर निकाय - प्रथम पक्ष
(सर्वोच्च अधिकारी की हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

Sw
साक्षी के हस्ताक्षर



साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लोजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

Sw
लोजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

Sw
साक्षी के हस्ताक्षर

Sw
साक्षी के हस्ताक्षर

**Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI**

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 13-08-2019 5:24 PM

Fee Receipt No	: 201902063003647	Receipt Date	: 13/08/2019
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	: 201901063003822
Address	: 11 B, SARDARPURA, BACHRAJJI KA BAGH, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 264	Evaluated Value	: ₹ 194400

Ord-Registration Fee	: ₹ 12	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 12	Stamp Duty	: ₹ 57
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 281
		Total Amount	: ₹ 281

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 32554596 ₹ 281

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate


Cashier



Signature of recipient
and delivery of return receipt



SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक, लूनी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6469
1/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के से दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम वक्त एवं श्री सनसिटी बिल्डर प्रा. लि. जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवतराज

व्यवसाय निवासी (जिन्होंने इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय वक्त तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से ऐसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुक्तकिल अलेह भी सम्मिलित होंगे) के माध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कशरों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना

के खसरा संख्या 177 क्षेत्रफल 88.88 वर्ग मी. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में सात रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतंत्र सक्ति किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादी, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कशरों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये वापिस अंके 11/- Sqrd मात्र पैशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक नगरीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकेंगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि को फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के वादित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के परचात और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का वादी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगा।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त विधियों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि को भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बड़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तर्गत या उप-पट्टे पर दे सकेंगा। उक्त विधियों में अन्तर्दिष्ट निबंध और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तर्लक्ष्य या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्ररनगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तर्लक्ष्य किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अध्वारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त विधियों में विहित सभ्यत अन्य निबंधों और शर्तों या किसी पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस विहित विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तर्लक्ष्य के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या बलीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रमाप्ति नहीं की जायेगी।
- उक्त विधियों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या घाज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के परचात यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुस्मिस्थिति या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

नियंत्रणों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार का नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/सिंहवृन्द बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : दत्तावडा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
20' x 40' = 88.82

सीमा पूर्व P.No. 30 सीमा पश्चिम P.No. 140
सीमा उत्तर P.No. 126 सीमा दक्षिण P.No. 128 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 127

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकोन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश दिशमोई
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

SR
उपस्थित (वर्तमान)
नगर निकाय - प्रथम पक्ष
नगर विकास प्राधिकरण
(सहम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
सौजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

सौजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

23/07/19-7 चौकानी हस्तसिग बोर्ड, जोधपुर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 22-08-2019 5:15 PM

Fee Receipt No	: 201902063003774	Receipt Date	: 22/08/2019
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	: 201901063003949
Address	: 11 B, SARDARPURA, BACHRAJJI KA BAGH, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400
Ord-Registration Fee	: ₹ 12	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 12	Stamp Duty	: ₹ 57
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 281
		Total Amount	: ₹ 281

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 32582521 ₹ 281

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

रूप पंजीयक, लूनी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6770
1/1/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के ये दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिनसे इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं की सनसिटी बिल्डहोम प्रा. लि. जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हर्नवतराज

व्यवसाय निवासी सरदारपुरा, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इलाक़ में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुनाफित अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के हाथ अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कर्तव्यों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिससे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम के खसरा संख्या क्षेत्रफल में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतंत्र सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादी, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कर्तव्यों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये अंके मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पर्याप्त और विद्यमान या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधुति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जाये, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तर्पित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किसी पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभावित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय शिष्टनियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभावों का कोई वकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की वकालत के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पर्याप्त यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुमसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपयोग द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंभल करेगा जो सभी प्रभातों से सहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/सिंहयूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट देंगे।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : नगरी
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
20' x 40' = 88.88

सीमा पूर्व Road 36' सीमा पश्चिम P.No. 159
सीमा उत्तर P.No. 127 सीमा दक्षिण P.No. 129 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 128

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री भोम प्रकाश विश्वा
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

उपस्थित (संलग्न)
नगर निकाय - प्रथम पक्ष
जोधपुर विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लोकभाके द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लोकधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम राम शर्मा
व्यवसाय जम्मा टफाटेक प्रा.सि.
निवास स्थान दक्षिणी नगर 7354 बसिग स्कूल, जोधपुर
- नाम नितिन मोदी
पिता/पति का नाम कमल नाथ मोदी
व्यवसाय एकाउटेन्ट लहरीय आर्ट
निवास स्थान 23/SFS-7 चौपासनी हनुसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 02-09-2019 1:45 PM

Fee Receipt No	: 201902063003997	Receipt Date	: 02/09/2019
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	: 201901063004171
Address	: 11-B, SARDARPURA, BACHRAJJI KA BAGH, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400

Ord-Registration Fee	: ₹ 12	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 12	Stamp Duty	: ₹ 57
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 281
		Total Amount	: ₹ 281

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gra Challan 32863085 ₹ 281

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

[Signature]
Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

[Signature]

SUB-REGISTRAR
उप पंजीयक, लूनी





जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

671
4/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के से दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिनमें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सनसिटी विल्डहोम प्रा. लि.

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवतराज

व्यवसाय निवासी सरदारपुरा, जोधपुर जाति (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस दस्तावे में जहाँ कहीं प्रसंग से ऐसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुक्तकिल अलौह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी नगरीय नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कलरों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा फालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम तनावडा के खसरा संख्या 177 क्षेत्रफल 88.88 वर्ग मी. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतंत्र सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कलरों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 11/- अंके 5454 मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक नगरीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकता है, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करावी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से मुक्त प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के परचातु और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, क्यास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तर्गत या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, क्यापरयक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तर्गत किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किसी पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जावें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस लिखित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई भीस प्रचारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पदादेव प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या व्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रसारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के परचातु यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उत्संधन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के (क.प.उ.)

निकयनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिशब्द करेगा जो सभी प्रभातों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिद्वुल्ड बैंक/सरकार अणुदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत अणुदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के अण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्थान ग्राम : तनावडा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
20' x 40' = 88' 88'

सीमा पूर्व P.No. 30 सीमा पश्चिम P.No. 158
सीमा उत्तर P.No. 128 सीमा दक्षिण P.No. 130 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 129

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश तिरनोई
R.A.S.
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

उपस्थित (व.दा.प)
नगर निकाय - प्रथम पक्ष
जोधपुर विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फ्रस्ट्रक्चर प्रा.लि.
निवास स्थान 15, दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर
- नाम नितिन मोदी
पिता/पति का नाम कमल नारायण मोदी
व्यवसाय एकडेन्ट लहरीय आर्ट
निवास स्थान 20/01/07 दीपावली हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 7E & 131) Print Date : 28-08-2019 1:52 PM

Fee Receipt No	: 201902063003849	Receipt Date	: 28/08/2019
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	: 201901063004024
Address	: 11-B, SARDARPURA, BACHRAJ JI KA BAGH, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400
Ord-Registration Fee	: ₹ 12	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 12	Stamp Duty	: ₹ 57
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 281
		Total Amount	: ₹ 281

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Chalan 32852907 ₹ 281

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier



Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR
उप-पंजीयक, लुनी

033719



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख



यह विलेख आज वर्ष के माह के से दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **सनसिटी बिल्डहोम प्रा. लि.** जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री इनवतराज

व्यवसाय निवासी **सरदारपुरा, जोधपुर** जाति (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इच्छा से जहाँ कहीं प्रसंग से ऐसा अर्थ निकले, उनके उल्लेखकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और बुलत्किल आदि की सम्बन्धित होने) के माध्यम से निम्नलिखित हुआ है।

यह विलेख तत्कालीन करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रकम नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कर्तव्यों जो लीजधारक द्वारा निर्धारित तथा पालन किये जायेंगे, के अलावा नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तलम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व प्राप्ति **तनावडा**

के अन्तर्गत संख्या 177 क्षेत्रफल **88.88.9.11** में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत निम्नलिखित गये परिशिष्ट में अधिक पूर्वोक्तपक्ष वर्णित है तथा जिसका अक्षर विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में ताल संग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित सामान्य प्रत्येक अपवादों, संस्थाओं, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कर्तव्यों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-विधय (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (राष्ट्रीय जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये **215** अंके **4/- Sqrd** मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक करीब नगरीय निर्धारण (राष्ट्रीय जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकता है, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्बन्धित करने हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विद्युत या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अनारण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, व्यवस्थिति, अनारण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाभूति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगा।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी कतिपय अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बड़ा दी जाये, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को अपने और अन्तर्गत या उप-पट्टे पर दे सकता है। उक्त नियमों में अन्तर्दिष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, व्यवहार्यक परिवर्तन सहित, अन्तर्लिखी या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्ररगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तर्लिखित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की अवधि के रूप में अन्तर्लिखित की जायेगी किन्तु किसी भी वरत में मूल पट्टे की अवधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित सबरत अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, सहित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अनारण के मामले में, अन्तर्लिखी के पक्ष में नाम में अनारण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विद्युत विलेख, दान विलेख, या वरीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अनारण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अनारण की रकम निम्नलिखित की जायेगी: परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई भी रकम प्रस्तावित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेश प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभाओं का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से यन्त्रीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निषेधन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपदेशन द्वारा अविज्ञात किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के (क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिबंधित करेगा जो सभी प्रकारों से सहित नगर निकाय में निहित सम्पत्ति जायेगी, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कानूनी किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा क्लेय के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल बैंक/सरकार अणुवासी संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत अणुवासी संस्थाओं के पास भवन निर्माण के अणु के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

नो लागू नहीं है उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जौनपुर
राज्य का नाम : उत्तरांचल
खसरा नम्बर : 177
खेती का नाम : —
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
20' x 40' = 88' 88"

सीमा पूर्व Road 36 सीमा पश्चिम P.No. 157

सीमा उत्तर P.No. 139 सीमा दक्षिण P.No. 131 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 130

इसके साक्षी की रूप में इसके फरीफोन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री सोमेश प्रसाद सिंह
निम्न की उपस्थिति में जौनपुर में हस्ताक्षर किये।

SW
नगर निकाय (प्रभु पक्ष)
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर)
जौनपुर

साक्षी :-

1. नाम
पिता/पति का नाम La
व्यवसाय —
निवास स्थान —

—
साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

—
साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
सौजन्यार्थक द्वारा कार्यालय, जौनपुर विकास प्राधिकरण, जौनपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

—
सौजन्यार्थक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति रज. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फ्राटेक प्रा. लि.
निवास स्थान 15, दधीमति नगर, मद्रवासिया स्कूल, जौनपुर

—
साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम विजय मोदी
पिता/पति का नाम रज. राम मोदी
व्यवसाय रज. राम मोदी
निवास स्थान 23/07/2019 जौनपुरी हाउसिंग बोर्ड, जौनपुर

—
साक्षी के हस्ताक्षर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 28-08-2019 1:55 PM

Fee Receipt No	: 201902063003850	Receipt Date	: 28/08/2019
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	: 201901063004025
Address	: 11-B ,SARDARPURA , BACHRAJ JI KA BAGH , JOODHPUR ,JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400
Ord-Registration Fee	: ₹ 12	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 12	Stamp Duty	: ₹ 57
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 281
		Total Amount	: ₹ 281

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 32662821 ₹ 281

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6473
11/119



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिनमें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **सनसिटी बिल्डिंग्स प्रा. लि.** जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवतराज

व्यवसाय निवासी **झरदारपुरा, जोधपुर** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से ऐसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कशरों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसमें इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम **तनाबडा** के खसरा संख्या **177** क्षेत्रफल **88.22 वि. मी.** में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत स्थित गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वायत्त संबंधी स्वतंत्र सक्ति किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संस्करणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कशरों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपनोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये **वाषिड** अंके **11/- Sq yard** मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक खरीद नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकेंगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा कराई जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संराय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, क्यास्थिति, अन्तरण के समस्त नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टावृत्ति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन, जिसके लिए नगर विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बड़ा दी जायें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेंगा। उक्त नियमों में अन्तर्लिखित विवेक और शर्तों और अन्य उपबंध, क्यावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अकालित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निर्बंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, श्रावित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निशुल्क की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रसारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति फादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरविविधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुविविधन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंग्रहित करेगा जो सभी प्रभावों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कच्चे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तनावडा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विस्तृत नाम सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
26' x 40' = 82.22

सीमा पूर्व Road 30' सीमा पश्चिम P.No. 156

सीमा उत्तर P.No. 130 सीमा दक्षिण P.No. 132 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 131

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश विष्नाई
R.A.S.
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

उपस्थित (द.न.प.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
सौजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

सौजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम
पिता/पति का नाम नविक्रम शर्मा
व्यवसाय श्री. राजा. राम शर्मा
निवास स्थान ऑफिसर जेब इन्फ्रस्ट्रक्चर प्रा.लि.
15, दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम नितिन मोदी
व्यवसाय कमल नाथ मोदी
निवास स्थान एकरोड लहरीय आर्ट
20/1/19 नगरपालिका हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 02-09-2019 1:47 PM

Fee Receipt No	: 201902063003998	Receipt Date	: 02/09/2019
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT.LTD. TH. RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	: 201901063004172
Address	: 11-B ,SARDARPURA , BACHRAJ JI KA BAGH ,JODHPUR ,JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400

Ord-Registration Fee	: ₹ 12	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 12	Stamp Duty	: ₹ 57
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 281
		Total Amount	: ₹ 281

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)
e-Gras Challan 32653039 ₹ 281

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

(Signature)
Cashier



Signature of recipient
and date of return receipt

(Signature)

SUB-REGISTRAR
रूप पंजीयक, लूनी

033717



जोधपुर विकास प्राधिकरण

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

577
17/11



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिनमें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सनसिटी बिल्डहोम प्रा. लि. जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हर्नवतराज

व्यपसाय निवासी (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वेशा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुक्तिल अलेह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी वसीय नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कथनों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा फालन किये जायेंगे, को एकज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्थान ग्राम तनावडा

को खसरा संख्या क्षेत्रफल 98.88 प.ज. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिनिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में ताल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतंत्र सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संस्थाओं, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कथनों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु निश्चित कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपरे अंके मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा कर ली जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के कालस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दावी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधुति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बसा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निर्बंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्ररगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निर्बंधनों और शर्तों या किसी पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत वस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रमादित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति को प्रति पदादेश प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या धातन, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभासों का कोई वकाया राजस्थान मू-राजस्थान अधिनियम, 1956 के अधीन मू-राजस्थान की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीव होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरविविधि या उसके उल्लंघन में कथपूर्य वस्तावेज के आधार पर दुर्व्यवस्था द्वारा अधिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के (क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिबंधित करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिद्यूल्ड बैंक/सरकार आणवात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत आणवात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के आण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तनावडा
खसरा नम्बर : 177
भोजना का नाम :
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
20' x 40' = 88.88

सीमा पूर्व Road 30' सीमा पश्चिम P.No. 155

सीमा उत्तर P.No. 131 सीमा दक्षिण P.No. 133 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 132

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 04/07/2005 माह के 04/07/2005 वें दिन
श्री ओम प्रकाश विष्ट
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।
R.A.S.

उपस्थित (द.वा.प.)
नगर निकाय - प्रथम पक्ष
जोधपुर विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
सौजन्यार्क द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लौजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फाटेक प्रा.लि.
निवास स्थान 15, दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम नितिन मोदी
पिता/पति का नाम कमल नाथ मोदी
व्यवसाय एकालटेड लहरीय आर्ट
निवास स्थान 23/SFS-7 पांभासानी राजसिंह रोड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 28-08-2019 1:58 PM

Fee Receipt No	: 201902063003851	Receipt Date	: 28/08/2019
Name	: SUNCITY BUILDHOME	Document S. No.	: 201901063004026
	: PVT. LTD. TH.		
	: RAJENDRA MEHTA,		
Address	: 11-B, SARDARPURA, BACHRAJJI KA BAGH, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400
Ord-Registration Fee	: ₹ 12	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 12	Stamp Duty	: ₹ 57
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 281
		Total Amount	: ₹ 281

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gris Challan 32862040 ₹ 281

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR
उप पंजीयक, लुनी

033716



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

672
1/1/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के से दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री

सनसिटी बिल्डिंग्स प्रा. लि.

जारीये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवतराज

व्यवसाय निवासी सरदारपुरा, जोधपुर जाति (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से ऐसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह श्री सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) को द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनको द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व घात तनावडा

के खसरा संख्या क्षेत्रफल 88.88 वर्ग मी. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्थापित संबंधी स्वरूपों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संश्लेषों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (राष्ट्रीय जमाबन्दी या भूमि का किस्सा) के तौर पर रूपये अंके मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक नगरीय निर्धारण (राष्ट्रीय जमाबन्दी या भूमि का किस्सा) की राशि जमा कर सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुना के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार निश्चित किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किस्सा प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनर्निर्धारण का दावा होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनर्निर्धारण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किस्से का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाप्राप्ति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगा।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की शर्तों से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक को द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण करना जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तर्लिखित या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किसी पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई भी फीस प्रभावि नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेश प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या खराज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान नू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन नू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिराधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंग्रह करेगा जो सभी प्रभावी से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तनावडा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विस्तृत नाम सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
20' X 40' = 88.88

सीमा पूर्व Road 30 सीमा पश्चिम P.N.O. 154

सीमा उत्तर P.N.O. 132 सीमा दक्षिण P.N.O. 134 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.N.O. 133

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दश में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 व दिन
श्री ओम प्रकाश विश्मोई
R.A.S.
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

उपस्थित (व.स.ग.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
सौजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

सौजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फाटेक प्रा.लि.
निवास स्थान 15, दधीमाते नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम नितिन मोदी
पिता/पति का नाम कमल नाथ मोदी
व्यवसाय एम्प्लॉयेड लार्डीन आर्ट
निवास स्थान 23/07/19 चौ.का. जेजसिग मोई, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 28-08-2019 2:09 PM

Fee Receipt No	: 201902063003852	Receipt Date	: 28/08/2019
Name	: SUNCITY BUILDHOME	Document S. No.	: 201901063004027
PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA,			
Address	: 11-B, SARDARPURA, BACHRAJJI KA BAGH, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400

Ord-Registration Fee	: ₹ 12	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 12	Stamp Duty	: ₹ 57
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 281
		Total Amount	: ₹ 281

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Chalan 32862960 ₹ 281

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR
उप-पंजीयक, लूनी

033715



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6776
4/11/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सनसिटी बिल्डहोम प्रा. लि. जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवतराज

व्यवसाय निवासी सरदारपुरा, जोधपुर जति (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस द्वाारा में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्तकित अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कर्तव्यों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनको द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तनाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व गांव तनातडा के खसरा संख्या 177 क्षेत्रफल 88.88401 में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में स्थल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तनाम व प्रत्येक अपवादा, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कर्तव्यों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 11/- 50432 अंके मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, कयास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगी।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक को द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तर्गत या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्लिखित निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तर्लिखित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि खर्च द्वारा अवधारित की जावेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जावें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई भी फीस प्रचारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरविवेचि या उसके उत्संघन में कण्टपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुविवेचन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कठित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिडयूल्ड बैंक/सस्कार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : नौबट
खसरा नम्बर : 177
खेजना का नाम : -----
विस्तृत रूप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
20' x 40' = 88.88

सीमा पूर्व Road 30' सीमा पश्चिम P.No. 153

सीमा उत्तर P.No. 133 सीमा दक्षिण P.No. 135 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 134

इसके सहजी के रूप में इसके फरीकन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश विश्वा
R.A.S.
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

उपायुक्त (दाक्षण)
नगर निकाय - पंचम पथ
जोधपुर विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
सौजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

सौजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फोटेक प्रा.लि.
निवास स्थान 15, दधीमति नगर, भद्रवासिया स्कूल, जोधपुर
- नाम नितिन मोदी
पिता/पति का नाम कमल नाथ मोदी
व्यवसाय एम्पाउटेन्ट लहरीय आर्ट
निवास स्थान 23/SE-2, 7, दौमाराजी हाउसिंग सोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 02-09-2019 1:35 PM

Fee Receipt No	: 201902063003994	Receipt Date	: 02/09/2019
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	: 201901063004168
Address	: 11-B, SARDARPURA, BACHRAJJI KA BAGH, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400
Ord-Registration Fee	: ₹ 12	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 12	Stamp Duty	: ₹ 57
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 281
		Total Amount	: ₹ 281

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Graa Challan 32963021 ₹ 281

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

Signature of Sub-Registrar



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग को अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

677
1/7/19



यह विलेख आज यहाँ के माह के दिवस जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **सनसिटी विल्डहोम प्रा. लि.**

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवतराज

व्यवसाय निवासी **सुन्दारपुर, जोधपुर** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इकाई में जहाँ काही प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मन्तविल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की राकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कर्तव्यों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम **तन्नावडा**

के खसरा संख्या **177** क्षेत्रफल **88.88 बी.ग्रा.** में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में जाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्थायी संहिता किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कर्तव्यों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (राशरी जमाबन्दी या भूमि का किस्सा) के तौर पर रुपये **वाफिक** जंके **11/- 52484** मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (राशरी जमाबन्दी या भूमि का किस्सा) की राशि जमा कर सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से मुक्त प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किस्सा प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दावी होना और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किस्से का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाकृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जायें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तर्गत या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्लिखित निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, व्यापक पर्यवेक्षण सहित, अन्तर्लिखित या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तर्लिखित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अधिारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पुन्य आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस विहित विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तर्लिखित के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रसारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेव प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुर्भिक्षिणी या उसके उत्संघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्ध्वपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिगमन किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रभातों से सहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिडयुल्ट बैंक/सरकार आणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत आणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के आन के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
 राजस्व ग्राम : दण्डा
 खसरा नम्बर : 177
 योजना का नाम :
 विस्तृत नाम सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
20' x 40' = 80' x 80'

सीमा पूर्व Road 30' सीमा पश्चिम P.No. 152
 सीमा उत्तर P.No. 134 सीमा दक्षिण P.No. 136 मानचित्र संलग्न है।
 भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 135

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 वें दिन
 श्री ओम प्रकाश त्रिश्नोई
R.A.S.
 निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

3r
 उपस्थित (दक्षिण)
 नगर निकाय - प्रथम पक्ष
 जोधपुर विकास प्राधिकरण
 (सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
 जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम
 पिता/पति का नाम
 व्यवसाय
 निवास स्थान

[Signature]
 साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
 पिता/पति का नाम
 व्यवसाय
 निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
 वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
 सीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
 गये।

[Signature]
 सीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम विक्रम शर्मा
 पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
 व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फ्राटेक प्रा. लि.
 निवास स्थान 15, दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर

[Signature]
 साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम नितिन मोदी
 पिता/पति का नाम कमल नाथ मोदी
 व्यवसाय एगजिटेन्ट लहरीय आर्ट
 निवास स्थान 23555 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

[Signature]
 साक्षी के हस्ताक्षर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

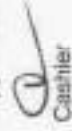
Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 02-09-2019 1:37 PM

Fee Receipt No	: 201902063003995	Receipt Date	: 02/09/2019
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT.LTD. TH. RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	: 201901063004169
Address	: 11-B, SARDARPURA, BACHRAJ JI KA BAGH, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400
Ord-Registration Fee	: ₹ 12	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 12	Stamp Duty	: ₹ 57
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 281
		Total Amount	: ₹ 281

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Chalan 32863003 ₹ 281

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate


Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt



SUB-REGISTRAR
उप-पंजीयक, लूनी





जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

678

1/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के से दिनांक जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्होंने इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सनसिटी विल्डहोम प्रा. लि.

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनुवतराज

व्यवसाय निवासी जरापुर, जोधपुर जाति (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वंशा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, विवाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य विवादित हुआ है।

यह विलेख साध्विक करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा रबीकाब कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कथनों जो लीजधारक द्वारा विमिश्रित तथा पालन किये जायेंगे, के एकज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम के खसरा संख्या क्षेत्रफल 88.88 बी.ग्रा. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में ताल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतंत्र सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कथनों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये अंके मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के परचात और विग्रह या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टापट्टी अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्लिखित निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्ररनगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधालि की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जाये, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ श्रद्धांशित विग्रह विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निविदा की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई भी फीस प्रसारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या व्यय, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभावों का कोई बकाया राजस्थान नू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन नू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निषादन के परचात यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरमिसंधि या उसको उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के (क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिबंधित करेगा जो सभी प्रभावों से सहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कानिसे किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिखरयुल्ट बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्थान ग्राम : तन्नावाडा
खसरा नम्बर : 177
खेती का नाम :
विस्तृत नाम सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
20' x 40' = 88.88

सीमा पूर्व P.No. 30 सीमा पश्चिम P.No. 151

सीमा उत्तर P.No. 135 सीमा दक्षिण P.No. 137 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 136

इसके साक्षी के रूप में इसके फीचर ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश विश्वा
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।
R.A.S.

नगर निकाय (प्रथम पक्ष)
फैसल आधिकारी के हमले के द्वारा
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय विक्रम शर्मा
निवास स्थान स्व. राजा राम शर्मा
ऑफिसर जय इन्फ्राटेक प्रा.लि.

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम 15, दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर
पिता/पति का नाम
व्यवसाय मिनि मोदी
निवास स्थान मनन नाथ मोदी
एम्पाउटेड लहरीय आर्ट

साक्षी के हस्ताक्षर

23/SFS-7 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 02-09-2019 1:41 PM

Fee Receipt No	: 201902063003998	Receipt Date	: 02/09/2019
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	: 201901063004170
Address	: 11-B, SARDARPURA, BACHRAJ JI KA BAGH, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400
Ord-Registration Fee	: ₹ 12	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 12	Stamp Duty	: ₹ 57
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 281
		Total Amount	: ₹ 281

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 32862989 ₹ 281

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate.


Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक, लूनी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

679
17/11



यह विलेख आज वर्ष के माह के से दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **सनसिटी विल्डहोम प्रा. लि.** जारिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवतराज

व्यवसाय निवासी **सरदारपुरा, जोधपुर** जाति (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इच्छा से जहां कहीं प्रसंग से देखा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्तकिल अल्लेह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख सहायक करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कशरों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम **तनावडा** के ससरा संख्या/77 क्षेत्रफल **११.४४ वि.मी.** में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वायत्त संबंधी स्वरूपों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, कंधों, शर्तों और कशरों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, सम्पन्न और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा. अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 22 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये **वापिस** अंके **11/- Sqrd** मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकता, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कसई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार निष्पादित किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दावी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, कथस्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगा।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बड़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकता। उक्त नियमों में अन्तर्लिखित निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, कथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आवेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई भीस प्रभावित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभातों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपदेशन द्वारा अनिर्वात किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सम्पन्न सहित उसे प्रतिबंधित करेगा जो सभी प्रभाषों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जावेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को ऊपर लिखी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिहूतुल्य बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कम्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : दुर्गावाड़ा
खसरा नम्बर : 177
खेजना का नाम :
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
28' x 40' = 82.82

सीमा पूर्व Road 30' सीमा पश्चिम P.No. 150

सीमा उत्तर P.No. 136 सीमा दक्षिण P.No. 138 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 137

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 04/07/2019 माह के 04/07/2019 व दिन
श्री ओम प्रकाश विरनोई
R.A.S.
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

.....
उपायुक्त (वर्तमान)
नगर निकाय - प्रथम पक्ष
जोधपुर नगर निकाय प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

.....
साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

.....
साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वै दिन की निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लीजधारेक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

.....
सीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फ्राटेक प्रा.लि.
निवास स्थान 15, दधीमति नगर, मधवासिया स्कूल, जोधपुर

.....
साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम निजिनी मोदी
पिता/पति का नाम क. लक्ष्मी मोदी
व्यवसाय ए.एस. लक्ष्मी आर्ट
निवास स्थान 23/SFS-7 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

.....
साक्षी के हस्ताक्षर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 31-07-2019 12:45 PM

Fee Receipt No	: 201902063003356	Receipt Date	: 31/07/2019
Name	: CITY HOME AFFORDABLE LLP TH. ABHIMANYU SIGNH,	Document S. No.	: 201901063003542
Address	: 120, NEAR AIRFORCE OFFICERS MESS, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 1126	Evaluated Value	: ₹ 194400

Ord-Registration Fee	: ₹ 46	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 46	Stamp Duty	: ₹ 226
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 518
		Total Amount	: ₹ 518

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)
e-Gras Chalan 32201020 ₹ 518

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier



Signature of recipient
and date of return receipt

(Signature)
SUB-REGISTRAR



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6480
17/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के से दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सिटी होम अफोर्डेबल हाउसिंग

जोरिये अधिकृत प्रतिनिधी अभिमन्यु सिंह पुत्र श्री अर्जुन सिंह

व्यवसाय निवासी एयरफोर्स ऑफिसर मेस के पास, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इमारत में जहां कहीं प्रसंग से वेता अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी खरीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कशरों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एकज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना कजस्व ग्राम तनावडा के खसरा संख्या क्षेत्रफल 88-88 वर्ग मी. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में ताल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतंत्र संहिता किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संस्करणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कशरों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किस्मा) के तौर पर रूपरेखा अंके मात्र पेशाभी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किस्मा) की राशि जमा कर सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा करवाई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किस्मा प्रत्येक 15 वर्ष के परभाव और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसी अनुसूची पर भी पुनरीक्षण का दावा होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, कयास्थिति, अन्तरण के समक्ष नगरीय निर्धारण या भूमि के किस्मे का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त विधेयों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बका दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण करवा जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्लिखित निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रत्येक उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अक्षयस्थिति की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पुष्पक आवेदों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निशुल्क की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई भी फीस प्रभावि नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पशुपक्ष प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या व्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभावी का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की सुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कष्टपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सम्मिर्माण सहित उसे प्रतिसंभृत करेगा जो सभी प्रभाषों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कायित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिहूदूल्ह बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : पनावडा
खसरा नम्बर : 177
भोजन का नाम : —
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/कर्ममीटर
20' x 40' = 88.88

सीमा पूर्व ROAD 30' सीमा पश्चिम PNO-149
सीमा उत्तर PNO-137 सीमा दक्षिण ROAD 30' मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 138

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 04 माह के 07 2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश विस्नोई
R.A.S.
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

उपायुक्त (द.स.भ.)
नगर निकाय - प्रथम प्रश्न
जोधपुर विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम
पिता/पति का नाम लाल
व्यवसाय उद्योग
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लोजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लोजधारक - द्वितीय प्रश्न

साक्षी :-

- नाम
पिता/पति का नाम विक्रम शर्मा
व्यवसाय स्व. राजा राम शर्मा
निवास स्थान ऑफिसर जय इन्फांटेक प्रा.लि.
15, दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर
- नाम नितिन मोदी
पिता/पति का नाम योगेश नाथ मोदी
व्यवसाय स्मार्टनेट लहरीय आर्ट
निवास स्थान 23/5/5-7 तैमसासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 30-07-2019 4:00 PM

Fee Receipt No	: 201902063003287	Receipt Date	: 30/07/2019
Name	: CITY HOME	Document S. No.	: 201901063003462
ABHIMANYU SINGH,			
Address	: 120, NEAR AIR FORCE OFFICERS MISS, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 1126	Evaluated Value	: ₹ 194400
Ord-Registration Fee	: ₹ 46	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹ 0
CSJ	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹ 226
Surcharge	: ₹ 46	Stamp Duty	: ₹ 0
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
Cash Amount Received			: ₹ 518
Other than Cash			: ₹ 518
Total Amount			: ₹ 518

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 32195541 ₹ 518

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate


Cashier



Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6481
17/11



यह विलेख आज यहाँ के माह के से दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सिटी होम अफोर्डेबल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.

जरिये अधिकृत प्रतिनिधी अनिमन्यु सिंह पुत्र श्री अर्जुन सिंह

व्यवसाय निवासी एयरफोर्स ऑफिसर मेस के पास, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहाँ कहीं प्रसंग से ऐसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और भुक्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कशरों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, को एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना

के खसरा संख्या क्षेत्रफल 88.88 वर्ग मी. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संस्करणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कशरों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किंसा) के तौर पर रुपये अंके मात्र पेसागी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किंसा) की राशि जमा कर सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के कलस्वकार लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संवाय के दायित्व से भूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किंसा प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अधिकार पर भी पुनर्विचार या दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनर्विचार या, दयास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किंसा के 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टापट्टा अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर मकान का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की शर्तों से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जायें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर मकान का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तर्लिखित या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रत्येक उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दश में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किसी पृथक् आवेदनों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तर्लिखित के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या बलीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण कीस निक्षिप्त की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई भीस प्रभावित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परचयेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या बकाया, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभावों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुनिरूपिता या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के (क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिबंधित करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिख्युल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तनावडा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/कॉर्मीटर
28' x 14' = 88.28

सीमा पूर्व PNO-138 सीमा पश्चिम ROAD 30'

सीमा उत्तर PNO-150 सीमा दक्षिण ROAD 30' मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 149

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकन ने इसके बाद प्रत्येक दश में निर्दिष्ट स्थानों और तारोखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 04/07/2019 के दिन
श्री आस प्रकाश त्रिपाठी
R.A.S.
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

उपस्थित 14 नम
जोधपुर निकाय अध्यक्ष तथा कर
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम :
पिता/पति का नाम :
व्यवसाय :
निवास स्थान :

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम :
पिता/पति का नाम :
व्यवसाय :
निवास स्थान :

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

Shumansh
लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम :
पिता/पति का नाम :
व्यवसाय :
निवास स्थान :

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम :
पिता/पति का नाम :
व्यवसाय :
निवास स्थान :

साक्षी के हस्ताक्षर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 28-08-2019 1:38 PM

Fee Receipt No	: 201902083003846	Receipt Date	: 28/08/2019
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	: 201901063004021
Address	: 11-8, SARDARPURA, BACHRAJJI KA BAGH, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400

Ord-Registration Fee	: ₹ 12	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 12	Stamp Duty	: ₹ 57
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Othars	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 281
		Total Amount	: ₹ 281

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 32662857 ₹ 281

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Cashier



Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR
उप पंजीयक, रूपी

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग को अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6482
17/11/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के से दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सनसिटी बिल्डहोम प्रा. लि.

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवतराज

ज्यासा निवासी सरदारपुरा, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इकाई में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्तकित अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निम्नलिखित हुआ है।

यह विलेख सम्बन्धित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी स्वीकृति नगर निकाय के द्वारा स्वीकृत कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा फालन किये जायेंगे, को एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व प्राप्ति 177 के अन्तर्गत संख्या 177 क्षेत्रफल 88.88 वर्ग में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत स्थित गद्दे परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतंत्र संहिता किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संश्लेषों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये वार्षिक अंके 11/- का भुगतान करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकता है, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होनी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संवाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार निश्चित किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विप्लव या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, क्यास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाभूति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगा।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बड़ा की जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तर्गत या उप-पट्टे पर दे सकता है। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तर्गत किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अकाधित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विप्लव विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रमाणा नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूली होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कष्टपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के (कु.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कार्रि किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्युल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : हनुमानपुर
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
20X45=90.89 वर्ग

सीमा पूर्व PN-137 सीमा पश्चिम ROAD 30'

सीमा उत्तर PN-151 सीमा दक्षिण PN-149 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 150

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 04/07/2019 माह के 04 वें दिन
श्री ओम प्रकाश शर्मा
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

Dr
उपायुक्त (दक्षिण)
नगर निकाय - प्रथम पक्ष
जोधपुर विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम
पिता/पति का नाम Lac
व्यवसाय जा
निवास स्थान

Dr
साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में अन्त श्री
सौजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

Dr
सौजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फाटेक प्रा.लि.
निवास स्थान 15. दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर

Dr
साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम नितिन मोदी
पिता/पति का नाम काल नाथ मोदी
व्यवसाय एकउटेन्ट लहरीय आर्ट
निवास स्थान 23/SFS-7 चौपासनी लउसिंग बोर्ड, जोधपुर

Dr
साक्षी के हस्ताक्षर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 28-08-2019 1:21 PM

Fee Receipt No	: 201902053003844	Receipt Date	: 28/08/2019
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA.	Document S. No.	: 201901063004019
Address	: 11-B, SARDARPURA, BACHRAJJI KA BAGH, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400

Ord-Registration Fee	: ₹ 12	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 12	Stamp Duty	: ₹ 57
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 281
		Total Amount	: ₹ 281

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gra Challan 32882553 ₹ 281

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate


Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक, लूनी





जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

(483)
1/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **सनसिटी बिल्डिंग्स प्रा. लि.**

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता मुख श्री हनवंतराज

जाति

ज्यवसाय निवासी **सरदारपुरा, जोधपुर** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इकाई में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुक्तकित्त अलैड भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी स्वीकृत नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कसरों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तमाम मूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त मूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम **हनुमन्** के खसरा संख्या **177** क्षेत्रफल **88.88-7.25** में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में ताल्ल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतंत्र संहिता किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संश्लेषों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कसरों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त मूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये **8000** अंके **11/-89,480** मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकता है, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त मूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार निश्चित किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के परवात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनर्विचार का दावी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनर्विचार या, यथानिश्चित, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगी।
- उक्त मूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस मूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बड़ा दी जायें, लीजधारक के द्वारा इस मूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त मूखण्ड को आगे और अन्तर्लिखित या उप-पट्टे पर दे सकता है। उक्त नियमों में अन्तर्लिखित निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तर्लिखित या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो वह नगरीय उक्त मूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तर्लिखित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अध्याश्रित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त मूखण्ड के अन्तरण के मायले में, अन्तर्लिखित के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ खरिदीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रमासित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेश प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या व्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रसारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूली होगी।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के परवात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुमिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपदेशन द्वारा अनिष्ट प्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसिद्धत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निगम में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कांस्टि किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/सिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
 राजस्व ग्राम : हनावडा
 खसरा नम्बर : 177
 योजना का नाम :
 विस्तृत नाम सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर : 88.88 वर्गगज

सीमा पूर्व PN-136 सीमा पश्चिम ROAD 301
 सीमा उत्तर PN-152 सीमा दक्षिण PN-150 मानचित्र संलग्न है।
 भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 151

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 वें दिन
 श्री ओम प्रकाश विष्ट
R.I.S.
 निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

SN
 उपायुक्त (वा.अ.न.)
 नगर निकाय - प्रथम पक्ष
 जोधपुर विकास प्राधिकरण
 (सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
 जोधपुर

साक्षी :-

- नाम
 पिता/पति का नाम
 व्यवसाय
 निवास स्थान
- नाम
 पिता/पति का नाम
 व्यवसाय
 निवास स्थान

[Signature]
 साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
 वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
 लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
 गये।

[Signature]
 लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम विक्रम शर्मा
 पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
 व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फ्रस्ट्रक्चर प्रा. लि.
 निवास स्थान 15, दधीमति नगर, भदवांसिया स्कूल, जोधपुर
- नाम नितिन मोदी
 पिता/पति का नाम कमल नाथ मोदी
 व्यवसाय एकस्ट्रेन्ट लहरीय आर्ट
 निवास स्थान 23/SFS-7 चापासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

[Signature]
 साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

**Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI**

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 28-08-2019 1:17 PM

Fee Receipt No : 201902063003843 Receipt Date : 28/08/2019
Name : SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. Document S. No. : 201901063004018
RAJENDRA MEHTA,

Address : 11-B, SARDARPURA, BACHRAJ JI KA BAGH, JODHPUR, JODHPUR

Document Type : Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent

Face Value	Evaluated Value
: ₹ 284	: ₹ 194400
Ord-Registration Fee	: ₹ 12
CSI	: ₹ 200
Stamp (Memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 12
Penalty	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0
Custody	: ₹
Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Reg (memorandum)	: ₹
Stamp Duty	: ₹ 57
Inspection fee	: ₹ 0
Commission	: ₹ 0
Others	: ₹ 0
Cash Amount Received	: ₹ 0
Other than Cash	: ₹ 281
Total Amount	: ₹ 281

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 32652828 ₹ 281

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक, लूणी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6787
7/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **सनसिटी बिल्डिंग्स प्रा. लि.**

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवंतराज

सरदारपुर, जोधपुर

जाति

व्यवसाय निवासी (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबास्त में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुक्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख सत्यापित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में ताल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतंत्र सट्टा किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संश्लेषों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (राष्ट्रीय जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये अंके मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (राष्ट्रीय जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाव के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के परभाव और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण को समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगी।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग कोयल प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानों प्रसंगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किसी पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विज्ञापन विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूली होगी।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के परभाव यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपदेशन द्वारा अनिष्ट प्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंग्रहित करेगा जो सभी प्रभातों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा दिलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/सिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : हनावडा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गज/वर्गमीटर
20.440 F. 99-99 B. 31

सीमा पूर्व P.No-135 सीमा पश्चिम ROAD 30'
सीमा उत्तर P.No-153 सीमा दक्षिण P.No-151 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 152

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीफोन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 04 माह के 07 2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश बिश्नोई
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।
RAS

सह नगर निकाय (वर्तमान)
(सह नगर निकाय प्राधिकरण)
जोधपुर

साक्षी 1-

1. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन की निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लोजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लोजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी 2-

1. नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.
निवास स्थान 15, दधीगांव नगर, गुरुदासिया स्कूल, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम नितिन मोदी
पिता/पति का नाम कमल नाथ मोदी
व्यवसाय एगज्यूटिव लहरीय ऑर्ट
निवास स्थान 23/SFS-7 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 28-08-2019 1:14 PM

Fee Receipt No.	: 201902063003842	Receipt Date	: 28/08/2019
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	: 201901063004017
Address	: 11-B, SARDARPURA, BACHRAJ JI KA BAGH, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400
Ord-Registration Fee	: ₹ 12	Fee for Memorandum Us_64_57	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 12	Stamp Duty	: ₹ 57
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 281
		Total Amount	: ₹ 281

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gris Challan 32582843 ₹ 281

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR
उप-पंजीयक, लूणा



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6485
7/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के से दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिनमें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **सनसिटी बिल्डहोम प्रा. लि.**

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता मुख श्री हनवंतराज

व्यवसाय निवासी **सरदारपुरा, जोधपुर** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से देखा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्ताकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निम्नादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यवित्त करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कर्तव्यों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना सजस्य ग्राम **हन्तावडा** के खसरा संख्या **177** क्षेत्रफल **28.88 बी. बी.** में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्थापित संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कर्तव्यों के अधीन स्वीकृत अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये **रा. 11/-** अंके **11/-** के **59,400** मात्र पैशागी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकता है, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि को संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दावी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाप्राप्ति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकता है। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी वंश में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित सनस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किसी पुथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विज्ञापन विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभावित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पञ्चदेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभावों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिराधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्यपदेशन द्वारा अविश्रुत किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंवत करेगा जो सभी प्रभासों से चहित नगर निकाय में निहित समझे जावेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए बायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : हनावडी
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विस्तृत नाम सहित क्षेत्रफल वर्गगज/बर्गमीटर
20X40 = 880.88

सीमा पूर्व P.No-134 सीमा पश्चिम ROAD 301
सीमा उत्तर P.No-154 सीमा दक्षिण P.No-152 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 153

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दश में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 04 माह के 07 2019 व दिन
श्री उपनिवेश प्रथम पंच
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

उपनिवेश प्रथम पंच
नगर निकाय (प्रथम पंच)
(सक्षम अधिकारी की हस्ताक्षर के साथ)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लोजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लोजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम
पिता/पति का नाम विक्रम शर्मा
व्यवसाय स्व. राजा राम शर्मा
निवास स्थान ऑफिसर जय इन्फ्राटेक प्रा.लि.
15, दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर
- नाम
पिता/पति का नाम मिलि मोदी
व्यवसाय मि. नाथ मोदी
निवास स्थान हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 02-09-2019 1:48 PM

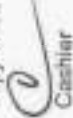
Fee Receipt No	: 201902063003999	Receipt Date	: 02/09/2019
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	: 201901063004173
Address	: 11-B, SARDARPURA, BACHRAJ JI KA BAGH C, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400

Ord-Registration Fee	: ₹ 12	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 12	Stamp Duty	: ₹ 57
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 281
		Total Amount	: ₹ 281

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

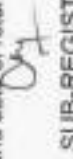
e-Gras Chalan 32863017 ₹ 281

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate


Cashier



Signature of recipient
and date of return receipt


SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक, लूणा



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6486
4/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

(जिनमें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सनसिटी बिल्डिंग प्रा. लि.

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री इनवतराज

स्थवसाय निवासी सरदारपुरा, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इवास्त में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्ताफल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा रसीद कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कर्तव्यों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज कर्त्तरी है जो योजना सजस्य ग्राम 17/07/2019 के खसरा संख्या क्षेत्रफल 22.81 अ. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में ताल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वायत्त संबंधी स्वतंत्र संहिता किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संश्लेषों, प्रतिबंधों, कंधनों, शर्तों और कर्तव्यों के अधीन स्वीकृत अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये अंके मात्र पैशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की शर्त जमा कर सकता है, जो उस वर्ष, जिसमें शर्त जमा कराई जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की शर्त के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की शर्त के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की शर्त के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पर्याप्त और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण या दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाभूति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बड़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकता है। उक्त नियमों में अन्तर्लिखित निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि खर्च द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं धृक्क अदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जावें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ सजस्यीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षेप की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई भी फीस प्रभावित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पदादेश प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या बाजार, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रसारों का कोई वकाला राजस्थान नू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन नू-राजस्व की वकाला के रूप में लीजधारक से वसूली होगी।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पर्याप्त यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरमिसंधि या उसके उल्लंघन में कथपूर्य दस्तावेज के आधार पर दुर्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रशिक्षित करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा वितरेख के आधार पर उचित भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिद्दयूल्ड बैंक/सरकार आणदारी संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत आणदारी संस्थाओं के पास भवन निर्माण के आण के लिए बंधक रखा जा सकेंगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट देंगे।

परिशिष्ट

कम्बो का नाम : जीधपुर
राजस्थान ज्ञान : लनीवडा
खसरा नम्बर : 177
शेजडा का नाम :
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर :
20X40 = 88.88

सीमा पूर्व P.No-133 सीमा पश्चिम ROAD 301

सीमा उत्तर P.No-155 सीमा दक्षिण P.No-153 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 154

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकन ने इसके बाद प्रत्येक दश में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 04/01/2019 वें दिन
 श्री ओज प्रकाश निम्नेई
 निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।
 RAS

उपस्थित (दक्षिण)
नगर निकाय - प्रथम पक्ष
रीसपुर, तिलाठी - प्रतिस्पर्धी
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
रीसपुर

सहायी :-

1. नाम
- पिता/पति का नाम
- ज्यवसाय
- निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
 पिता/पति का नाम
 व्यवसाय
 निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
 वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में अतः श्री
 लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
 गये।

लौजधारक -द्वितीय पक्ष

साथी :-

1. नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फांटेक प्रा.लि.
निवास स्थान 15, दधीमाते नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपर

साथी के हस्ताक्षर

2. नाम नितिन मोदी
पिता/पति का नाम कमल नाथ मोदी
व्यवसाय एग्जक्यूटिव लहरीय आर्ट
निवास स्थान 23/SFS-7 बीपारवती हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 02-09-2019 12:41 PM

Fee Receipt No	: 20190203003980	Receipt Date	: 02/09/2019
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA.	Document S. No.	: 201901063004154
Address	: 11 B, SARDARPURA, BACHRAJJI KA BAGH, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400

Ord-Registration Fee	: ₹ 12	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 12	Stamp Duty	: ₹ 57
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 281
		Total Amount	: ₹ 281

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 32802955 ₹ 281

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

(Signature)
Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

(Signature)
SUB-REGISTRAR
उप पंजीयक, लूनी



10. इस पदटा विलेख के अन्तर्गत पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिद्द्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

कस्ये का नाम : जीधपुर
राजस्व ग्राम : तनीवडी
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विस्तृत ताल सहित क्षेत्रफल जाँच/धर्ममैत्र
- 20x40 = 88 88

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 155

आज मनु 20 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

1. नाम

पिता/पति का नाम

व्यवसाय

निवास स्थान

2. नाम
 पिता/पति का नाम
 व्यवसाय
 निवास स्थान

आज दिनांक सन् 20 के माह के
 वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में ठक श्री
 लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
 गये।

1. नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फांटेक प्रा.लि.
निवास स्थान 15, दधीमाते नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर

2. नाम निजि मोदी
 पिता/पति का नाम राज मोदी
 व्यवसाय इलाहाबाद नगरपालिका
 निवास स्थान 27/6/37 नौबतली हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 02-09-2019 1:05 PM

Fee Receipt No	: 2019020630003982	Receipt Date	: 02/09/2019
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	: 201901063004156
Address	: 11-B, PAL CHOPASANI ROAD, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400
Ord-Registration Fee	: ₹ 12	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 12	Stamp Duty	: ₹ 57
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 281
		Total Amount	: ₹ 281

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 32852974 ₹ 281

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

[Signature]
Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

[Signature]
SUB-REGISTRAR

रजपंजीयक, लूणा



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग को अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6488

1/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के के दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **सनसिटी बिल्डिंग्स प्रा. लि.**

जोरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनुवंतराज

प्राप्तकर्ता निवासी **सुरदासपुरा, जोधपुर** जाति (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस द्वाबत में जहाँ कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कसरों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना

के खसरा संख्या **177** क्षेत्रफल में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कसरों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये **क्राफिक** अंके **11/-** **29.44** मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की शर्त जमा कर सकेगा, जो उक्त वर्ष, जिसमें शर्त जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की शर्त के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की शर्त के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की शर्त के संवाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार निवृत्त किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के परभाव और क्रिय या वात या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाप्राप्ति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बड़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण करवा जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्ररनगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समस्त-समस्त पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दश रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई भीस प्रभावित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परचदेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभावों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के परभाव यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुनिसंधि या उसके उत्संघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अनिष्ट प्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंग्रह करेगा जो सभी प्रभावों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिखयूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कम्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : नानावडी
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम
विस्तृत नाम सहित क्षेत्रफल वर्गगज/बर्गमीटर
20X40=8800

सीमा पूर्व P.No-131 सीमा पश्चिम ROAD 301
सीमा उत्तर P.No-157 सीमा दक्षिण P.No-155 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 156

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश विश्वाजी
P.A.S.
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

SR
नगर निकाय - प्रथम पक्ष
जोधपुर विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लोजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लोजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम
पिता/पति का नाम विक्रम शर्मा
व्यवसाय स्व. राजा राम शर्मा
निवास स्थान ऑफिसर जय इन्फाटेक प्रा.लि.
15, दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर
- नाम
पिता/पति का नाम विक्रम मोदी
व्यवसाय राज्य राज्य मोदी
निवास स्थान राज्य राज्य मोदी
23/350-7 चौपतानी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 02-09-2019 1:07 PM

Fee Receipt No	: 201902053003983	Receipt Date	: 02/09/2019
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	: 201901063004157
Address	: 11-B ,PAL CHOPASANI ROAD ,JODHPUR ,JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400
Ord-Registration Fee	: ₹ 12	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Rag (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 12	Stamp Duty	: ₹ 57
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 281
		Total Amount	: ₹ 281

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gas Challan 32862988 ₹ 281

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक, लूणा



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

5489
1/7/19



यह विलेख आज तब के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
(जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **सनसिटी बिल्डहोम प्रा. लि.**

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवंतराज

ज्यवराय निवासी **सरदारपुरा, जोधपुर** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इकाई में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुनाफित अलेह भी सम्मिलित होंगे) के माध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साध्याकृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कर्तव्यों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनको द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व आय **नगरीय** के खसरा संख्या **177** क्षेत्रफल में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में खाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी रकतों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संस्करणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कर्तव्यों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये **41,41,414** अंके **11-59,41,414** मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकेंगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा को बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के परचात और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेंगा। उक्त नियमों में अन्तर्गुह्य निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्ररनगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जावें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निशुल्क की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या व्याज, आन्तरिक/वाह्य विकास प्रभारों या कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुभिरंधि या उसके उल्लंघन में कथपूरा दस्तावेज के आधार पर दुरुव्यपदेशन द्वारा अविप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के (क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिबंधित करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार अणुदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत अणुदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के अणु के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : हनीवडा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गज/बर्गमीटर
20X40= 88.88

सीमा पूर्व P.No-130 सीमा पश्चिम ROAD 3rd
सीमा उत्तर P.No-158 सीमा दक्षिण P.No-156 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 157

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 04/07/2019 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री अमेन प्रकाश विष्ट
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

नगर निकाय - प्रथम पक्ष
(सहायक अधिकारी का हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लोजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लोजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फ्राटेक प्रा. लि.
निवास स्थान 15, दधीभाति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम निलिन मोदी
पिता/पति का नाम कमल लाल मोदी
व्यवसाय एजाउटेड लक्ष्मी आर्ट
निवास स्थान 23/SFS-7 चौवासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6490
4/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **सनसिटी बिल्डहोम प्रा. लि.**

जसिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवंतराज

स्थायताय निवासी **सरदारपुर, जोधपुर** जति (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) को मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा फालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तमाम मूलखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त मूलखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम **नन्तवाडी** के खसरा संख्या क्षेत्रफल में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में खाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतंत्रा सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त मूलखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किस्मा) के तौर पर रुपये **50000** अंके **11/11/19** मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किस्मा) की शर्ति जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें शर्ति जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की शर्ति के आठ गुना के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की शर्ति के फलस्वरूप लीजधारक उक्त मूलखण्ड पर नगरीय निर्धारण की शर्ति के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किस्मा प्रत्येक 15 वर्ष के परबात और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किस्मों का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाभूति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त मूलखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस मूलखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बड़ा दी जायें, लीजधारक के द्वारा इस मूलखण्ड पर भवन का निर्माण करवा जायेगा।
- लीजधारक उक्त मूलखण्ड को अग्रे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिस्ती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त मूलखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आवेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त मूलखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिस्ती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निष्पत्ति की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति को प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या व्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान नू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन नू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरितिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंभृत करेगा जो सभी प्रमारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा वितेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्युल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तनावडा
खसरा नम्बर : 174
योजना का नाम :
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
208460 = 88.88

सीमा पूर्व P.No-129 सीमा पश्चिम ROAD 301
सीमा उत्तर P.No-152 सीमा दक्षिण P.No-157 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 158

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 04/07/2019 माह के 20 वें दिन
श्री ओम प्रकाश विज्जोई
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

उपयुक्त (हस्ताक्षर)
नगर निकाय - प्रथम पक्ष
जोधपुर विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर आवश्यक)
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर



आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम
पिता/पति का नाम विक्रम शर्मा
व्यवसाय रत. नाम राम शर्मा
निवास स्थान अभिनेर 474 इन्कटेन फ्लैट

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम नितिन मोदी
व्यवसाय कमल नाथ मोदी
निवास स्थान एडमिटेड लहरीय आर्ट
23/519-7 चौकसने हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6491
1/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

(जिनमें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **सनसिटी बिल्डिंग्स प्रा. लि.**

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवंतराज

व्यवसाय निवासी **सरदारपुरा, जोधपुर** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्ताफल अलैह श्री सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा रसीद कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कशरों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसमें इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम **तन्तवडी** के खसरा संख्या **177** क्षेत्रफल **99.39 वर्ग मी.** में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में ताल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतंत्र संहिता किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कशरों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और दुरस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये **वार्षिक 11,54,420** अंके मात्र पेशाबी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की शर्त जमा कर सकता है, जो उक्त वर्ष, जिसमें शर्त जमा करती जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की शर्त के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की शर्त के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की शर्त के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, वृद्धि, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाभूति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत दखल दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकता है। उक्त नियमों में अन्तर्निहित निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, क्यावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या व्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान नू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन नू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुर्भिक्षा या उसके उत्पन्नन में कथपूूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यवदेशन द्वारा अनिर्वाह किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंभृत करेगा जो सभी प्रभासों से सहित नगर निकाय में निहित समझे जावेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिहूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी, अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : हनावडी
खसरा नम्बर : 137
योजना का नाम : 137
विस्तृत नाम सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर : 20 X 40 = 88 88

सीमा पूर्व P.No-128 सीमा पश्चिम ROAD 301
सीमा उत्तर P.No-160 सीमा दक्षिण P.No-158 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 159

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकन ने इसके बाद प्रत्येक दरा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2012 वें दिन
श्री ओम प्रकाश विजमोई
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

उपस्थित (वाकन)
नगर विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम LDC
पिता/पति का नाम SDA
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लौकधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लौकधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम
पिता/पति का नाम विक्रम शर्मा
व्यवसाय स. राजा राम शर्मा
निवास स्थान ऑफिसर जरा इन्फाटेक प्र. लि.
- नाम नितिन मोदी
पिता/पति का नाम मकमल नाथ मोदी
व्यवसाय एफएलएन्ट सहरीय आर्ट
निवास स्थान 23/SFS-7 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6492
1/1/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के से दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सनसिटी बिल्डहोम प्रा. लि.

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवतराज

जाति

व्यवसाय निवासी सस्वारपुरा, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इलाके में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुनक्तित अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यवित्त करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा रबीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कथारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम के खसरा संख्या क्षेत्रफल में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में ताल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वरों सहित फिन्नु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संस्करणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कथारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपरेखा अंके मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुना के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संभाव्य के वाचित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विधायक या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधुति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जायें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन या निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तर्गत या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्दिष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तर्गत किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पुष्पक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई भी फीस प्रभावि नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रमारों का कोई बकाया राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन मू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरनिसंधि या उसके उल्लंघन से कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अधिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के (कु.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंग्रत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा मेगनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : न-नावडी
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/बर्गमीटर :
20X40- 88.88

सीमा पूर्व P.No-127 सीमा पश्चिम ROAD 30'
सीमा उत्तर P.No-161 सीमा दक्षिण P.No-159 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 160

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश विश्नेई
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

उपस्थित (वांछित)
नगर निकाय - प्रमुख पदा
जोधपुर विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम LDC
पिता/पति का नाम UDA
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान



साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम रज. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फ्राटेक प्रा.लि.
निवास स्थान 15, दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर
- नाम नितिन मोदी
पिता/पति का नाम कमल नाथ मोदी
व्यवसाय एक्जटेंट लहरीय आर्ट
निवास स्थान 23/5F3-7 दीपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6493

1/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के के दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **सनसिटी बिल्डिंग प्रा. लि.**

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनुमतराज

सरदारपुरा, जोधपुर

जाति

व्यवसाय निवासी (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इवास्त में जहाँ कहीं प्रस्ताव से देता अर्ब निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के हात स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, को एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्थान ग्राम के खसरा संख्या क्षेत्रफल 89.89 वर्ग मी. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे चलापन नक्शों में ताल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतंत्रों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संस्करणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये अंके में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे चलापन नक्शों में ताल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतंत्रों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संस्करणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-
- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये अंके में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे चलापन नक्शों में ताल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतंत्रों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संस्करणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-
- एक बार निश्चित किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के परभाव और विज्ञापन या दान या अन्वया द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दावा होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगा।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के हात इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को अपने और अन्तर्गत या उप-पट्टे पर दे सकेंगा। उक्त नियमों में अन्तर्लिखित निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तर्लिखित या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्ररनगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तर्लिखित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किसी पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तर्लिखित के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ पंजीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के परभाव यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यवधान द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंभृत करेगा जो सभी प्रभावों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिद्दुल्ह बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*नो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

करवे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तनावड़ा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
20X40- 88 88

सीमा पूर्व P.No-126 सीमा पश्चिम ROAD 301
सीमा उत्तर P.No-162 सीमा दक्षिण P.No-160 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 161

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीफोन ने इसके बाद प्रत्येक दश में निर्देशित त्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 व दिन
श्री जोधपुर नगर निकाय
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

SR
नगर निकाय, राजस्थान
(सहस्रमुखी अधिकारी की हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम SDC
पिता/पति का नाम SDA
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लौजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लौजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम श्री. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.
निवास स्थान 15- दधीमति नगर, नदबारासिया स्कूल, जोधपुर
- नाम नितिन मोदी
पिता/पति का नाम कमल नाथ मोदी
व्यवसाय एकलव्य लहरीय आर्ट
निवास स्थान 23/35/3-7 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 28-08-2019 2:29 PM

Fee Receipt No	: 201902063003855	Receipt Date	: 28/08/2019
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	: 201901063004030
Address	: 11-B, SARDARPURA, BACHRAJJI KA BAGH, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400
Ord-Registration Fee	: ₹ 12	Fee for Memorandum Us_64_57	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 12	Stamp Duty	: ₹ 57
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 281
		Total Amount	: ₹ 281

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 32882815 ₹ 281

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक, लूनी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग को अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6491
4/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के के दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सनसिटी बिल्डहोम प्रा. लि.

प्रारिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवतराज

व्यवसाय निवासी सरदारपुरा, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यवशित करता है कि प्रीनियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कन्डिशन जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व प्राप्ति के खसरा संख्या में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में ताल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संस्करणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कन्डिशन के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (राहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये अंके मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (राहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संवाध के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के परचातु और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टापुति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बता दी जाये, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण करवा जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तर्गत या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्लिखित निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तर्लिखित या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रत्येक उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तर्लिखित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अध्याश्रित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं धृक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तर्लिखित के पक्ष में नाम के अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत दिकान विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभावि नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पदादेश प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के परचातु यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुर्बलता या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के (कु.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिस्पर्द्धित करेगा जो सभी प्रमारों से सहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

करवे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तनवडी
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विस्तृत माप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
20' x 40' = 88.88 वर्ग गज

सीमा पूर्व P.No- 125 सीमा पश्चिम ROAD 30'
सीमा उत्तर P.No- 163 सीमा दक्षिण P.No- 161 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 162

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री अ.म. फारुख विस्तोई
R.A.S.
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

अ.म. फारुख (वसिष्ठ)
नगर निकाय प्रथम पक्ष
जोधपुर निकाय प्राधिकरण
(सहम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम LDL
पिता/पति का नाम SDA
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लौजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लौजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम
पिता/पति का नाम विक्रम शर्मा
व्यवसाय स्व. राजा राम शर्मा
निवास स्थान ऑफिसर जय इन्फ्राटेक प्रा लि.
15, दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम नितिन मोदी
व्यवसाय कमल नाथ मोदी
निवास स्थान एक गेट लहरीय आर्ट
23/SFJ-1 भौवासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 28-08-2019 2:17 PM

Fee Receipt No	: 201902063003953	Receipt Date	: 28/08/2019
Name	: SUNCITY BUILDHOME	Document S. No.	: 201901063004028
	PVT. LTD. TH.		
	RAJENDRA MEHTA,		
Address	: 11-B, PAL CHOPASANI ROAD ,JODHPUR ,JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 284	Evaluated Value	: ₹ 194400
Ord-Registration Fee	: ₹ 12	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 12	Stamp Duty	: ₹ 57
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 281
		Total Amount	: ₹ 281

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 32/852937 ₹ 281

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक, लूनी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6495
1/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के से दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्होंने इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **सनसिटी बिल्डहोम प्रा. लि.**

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवतराज

व्यवसाय निवासी **सरदारपुरा, जोधपुर** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इनाम में जहां कहीं प्रसंग से वस्ता अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्ताफल अलेह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा रसीद कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कर्तव्यों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनको द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम **तनवास** के खसरा संख्या **177** क्षेत्रफल **33.99 वर्ग गज** में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में लात रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतंत्र संहिता किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संख्याओं, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कर्तव्यों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये **वार्षिक** अंके **12/-** **रु. 14/-** मात्र पैशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा कसयी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के बाधित हो छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विद्रव्य या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगी।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तर्गत या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्लिखित निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिचालन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तर्लिखित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किसी पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या बलीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस्त रूपसे प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई भी फीस प्रसारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पक्षदेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कथपूर्वक दस्तावेज के आधार पर दुर्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के (क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिबंधित करेगा जो सभी प्रभाशों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा किलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार अणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत अणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के अण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जे लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : 711831
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम
विस्तृत नाम सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
20X40 = 8888

सीमा पूर्व PN-124 सीमा पश्चिम ROAD 30'
सीमा उत्तर ROAD 30' सीमा दक्षिण PN-162 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 163

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकन ने इसके बाद प्रत्येक दश में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री भोम प्रकाश विश्वा
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

नगर निकाय (दक्षिण)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम LDL
पिता/पति का नाम JD A
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लोजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लोजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फ्राटेक प्रा.लि.
निवास स्थान 15, दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर
- नाम नितिन मोदी
पिता/पति का नाम कमल नाथ मोदी
व्यवसाय एकालेन्ट लहरीय आर्ट
निवास स्थान 23/SFS-7 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 02-09-2019 1:09 PM

Fee Receipt No	: 201902053003984	Receipt Date	: 02/09/2019
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	: 201901063004158
Address	: 11-B, SARDARPURA, BACHRAJJI KA BAGH, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a time or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 159	Evaluated Value	: ₹ 109350

Ord-Registration Fee	: ₹ 7	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹ 0
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹ 32
Surcharge	: ₹ 6	Stamp Duty	: ₹ 0
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 245
		Other than Cash	: ₹ 245
		Total Amount	: ₹ 245

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Chalan 3285325a ₹ 245

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR
रजिस्ट्रार, लूनी

033728



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6536

17/11



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

(जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं वी **सनसिटी विल्डहोम प्रा. लि.**
जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवतराज

ज्याति निवासस्थान
व्यवसाय निवासी **अरुंदारपुर, जोधपुर** (जिन्होंने इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इवास्त में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुक्तकिल अतः भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साद्व्यवस्थित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की एकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी वसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को **जमीन** का यह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम **तनीद 3** के खसरा संख्या **177** क्षेत्रफल **50.55 व.ज.** में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी सही किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादी, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये **12/- 5248** अंके **12/- 5248** मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की सही जमा कर सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें सही जमा करवाई जाती है, को सम्मिलित करने हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की सही के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की सही के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की सही के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के परचात और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टावृत्ति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण करवा जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिधर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय-अस्त दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अकथारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निम्नलिखित विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जावें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पदादेश प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रमारों का कोई वकामा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की वकामा के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के परचात यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

(क.प.उ.)

निकटनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सम्मिलन सहित उसे प्रतिबंधित करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : दनाजडा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विस्तृत नाम सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
15' x 30' = 50.00

सीमा पूर्व P.O. 30' सीमा पश्चिम P. NO. 262

सीमा उत्तर P.O. 30' सीमा दक्षिण P. NO. 212 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P. NO. 917

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दफा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 तै दिन
श्री ओम प्रकाश विश्नोई
R.A.S.
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

(सहस्रमुखी विकास प्राधिकरण)
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम LDL
पिता/पति का नाम DA
व्यवसाय
निवास स्थान

(हस्ताक्षर)
साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
तै दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लौजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

(हस्ताक्षर)
लौजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम
पिता/पति का नाम विक्रम शर्मा
व्यवसाय स्व. राजा राम शर्मा
निवास स्थान ऑफिसर जय इन्फ्राटेक प्रा. लि.
15, दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर

(हस्ताक्षर)
साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम गितिन मोदी
व्यवसाय कमल नाथ मोदी
निवास स्थान एकडेन्ट लहरीय आर्ट
23/SFS-7 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

(हस्ताक्षर)
साक्षी के हस्ताक्षर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 02-09-2019 1:11 PM

Fee Receipt No	: 201902063003985	Receipt Date	: 02/09/2019
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	: 201901063004159
Address	: 11-B ,PAL CHOPASANI ROAD ,JODHPUR ,JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 159	Evaluated Value	: ₹ 109350
Ord-Registration Fee	: ₹ 7	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 6	Stamp Duty	: ₹ 32
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 245
		Total Amount	: ₹ 245

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 32853275 ₹ 245

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Signature of recipient
and date of return receipt

Cashier

SUB-REGISTRAR
उप पंजीयक, लूणा



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6537
1/1/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के से दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिसे इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **सनसिटी बिल्डहोम प्रा. लि.**

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवतराज

..... जाति निवासी **सरदारपुर, जोधपुर** (जिनको इसके बाद

लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इस्तेमाल में जहां कहीं प्रसंग से वंश अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी शर्तोंद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कर्तव्यों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम **तनाद 31** के खसरा संख्या **177** क्षेत्रफल **50.45.11** में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में ताल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संस्तरणों, प्रतिबंधों, संघनों, शर्तों और कर्तव्यों के अधीन खसरीदार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये **वापिक** अंके **11/- Sqrd** मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की शर्त जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें शर्त जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की शर्त के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की शर्त के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की शर्त के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के परचात और विग्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बड़ा दी जाये, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तर्गत या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्दिष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, सहायक परिवर्तन सहित, अन्तर्गति या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तर्गत किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किसी पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तर्गति के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विग्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुश्रुत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ वस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण कीमत निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई भी प्रभावित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पसदेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या व्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उत्संघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यवहार द्वारा अग्रिम प्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंग्रह करेगा जो सभी प्रमारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जावेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तनावडा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
15' x 30' = 50.00

सीमा पूर्व R.O. 9.4.20 सीमा पश्चिम P.N.O. 267

सीमा उत्तर P.N.O. 212 सीमा दक्षिण P.N.O. 219 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.N.O. 218

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दश में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय को ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश विश्वा
R.A.S.
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

Dr
नगर निकाय - प्रथम पक्ष
(सर्वोच्च अधिकारी के हस्ताक्षर आवश्यक)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम LDC
पिता/पति का नाम ODA
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
सीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

सीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम
पिता/पति का नाम विक्रम शर्मा
व्यवसाय स्व. राजा राम शर्मा
निवास स्थान ऑफिसर जय इन्फाटैक प्रा.लि.
15, दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर
- नाम
पिता/पति का नाम नितिन मोदी
व्यवसाय कमल नाथ मोदी
निवास स्थान रजवाडेना लहरीय आर्ट
23/SFS-7 जगासनी हारसिंग रोड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 02-09-2019 1:13 PM

Fee Receipt No	: 201902063003986	Receipt Date	: 02/09/2019
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	: 201901063004160
Address	: 11-B, PAL CHOPASANI ROAD, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a line or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 159	Evaluated Value	: ₹ 109350

Ord-Registration Fee	: ₹ 7	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 6	Stamp Duty	: ₹ 32
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 245
		Total Amount	: ₹ 245

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Chalan 32663243 ₹ 245

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR,
सुब-रजिस्ट्रार, लूनी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6538
4/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वें दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **सनसिटी विल्डहोम प्रा. लि.** जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवतराज

व्यवसाय निवासी **सरदारपुर, जोधपुर** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इलाक़ में जहाँ कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और गुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पन्न हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी परीव नगर निकाय को प्राप्त स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रधान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम **तनोवडा** के खसरा संख्या **177** क्षेत्रफल **58.00 ग.जि.** में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसको अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में ताल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतंत्र संहिता किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 28 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किनासा) के तौर पर रुपये **11/- 52484** अंके **11/- 52484** मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किनासा) की शर्ति जमा कर सकेंगा, जो उस वर्ष, जिसमें शर्ति जमा करवायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की शर्ति के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की शर्ति के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की शर्ति के संदाय के दायित्व से मुक्त प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किनासा प्रत्येक 15 वर्ष के परभाव और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किनासे का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तर्गत या उप-पट्टे पर दे सकेंगा। उक्त नियमों में अन्तर्दिष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, कक्षावशक परिवर्तन सहित, अन्तर्गति या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तर्गत किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अध्वारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जावें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तर्गति के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस विक्षिप्त की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रमाप्ति नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेश प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभावों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के परभाव यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिराधि या उसके उत्पन्नन में कण्टपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सम्मार्जन सहित उसे प्रतिसंग्रहित करेगा जो सभी प्रमारों से रहित नगर निकाय में विहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिङ्गल बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कच्चे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : द.न. 1951
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
15' x 30' = 50.89

सीमा पूर्व Road 30' सीमा पश्चिम P.No. 266

सीमा उत्तर P.No. 212 सीमा दक्षिण P.No. 290 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 819

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश विश्नोई
R.A.S.
निम्न को उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

सुपरीन्टन्ड (दक्षिण)
नगर निकाय - प्रमुख
जोधपुर विकास प्राधिकरण
(सहम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम LDC
पिता/पति का नाम SDA
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लोजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लोजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम
पिता/पति का नाम विक्रम शर्मा
व्यवसाय स्व. राजा राम शर्मा
निवास स्थान ऑफिसर जय इन्फांटेक प्रा. लि.
15, दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर
- नाम नितिन मोदी
पिता/पति का नाम जय मोदी
व्यवसाय जय मोदी
निवास स्थान 15, दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 02-09-2019 1:18 PM

Fee Receipt No	: 201902063003987	Receipt Date	: 02/09/2019
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA ,	Document S. No.	: 201901083004161
Address	: 11-B ,PAL CHOPASANI ROAD ,JODHPUR ,JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 159	Evaluated Value	: ₹ 109350

Ord-Registration Fee	: ₹ 7	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 6	Stamp Duty	: ₹ 32
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 245
		Total Amount	: ₹ 245

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 32863233 ₹ 245

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

(Signature)
Cashier



Signature of recipient
and date of return receipt

(Signature)

SUB-REGISTRAR,

उप पंजीयक, लूणा

033725



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6529
7/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **सनसिटी विल्डहोम प्रा. लि.**

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हर्नवतराज

व्यवसाय निवासी **सुरदारपुरा, जोधपुर** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इकाई में जहां कहीं प्रसंग से ऐसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्याहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और भुक्तकिल अलंहे भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख सावधानीपूर्वक करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा रसीद कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कर्तव्यों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा चालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व प्राप्ति **तनाव 31** के खसरा संख्या **177** क्षेत्रफल **50.73 ई. ज.** में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में ताल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतंत्रता सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कर्तव्यों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये **44/15** अंके **11/- Sqrd** मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की शर्त जमा कर सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें शर्त जमा करती जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की शर्त के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा करती गयी नगरीय निर्धारण की शर्त के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की शर्त के संदाय के बावजूद से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पर्यन्त और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दावी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टावृत्ति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बड़ा हो जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तर्गत या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्लिखित निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तर्लिखित या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तर्लिखित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी शर्त में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किसी पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तर्लिखित के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस्त रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रचारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पशुदेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रसारों का कोई नक़्सा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पर्यन्त यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुविविधियों या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेजों के आधार पर दुरुपयोग द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के (फ.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंज्ञित करेगा जो सभी प्रणालियों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार आणदारी संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत आणदारी संस्थाओं के पास भवन निर्माण के आण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : तनावडा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
15 x 30 = 50.00

सीमा पूर्व R09430 सीमा पश्चिम P.No. 265

सीमा उत्तर P.No. 219 सीमा दक्षिण P.No. 231 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 220

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 04/07/2019 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश विष्णोई
R.A.S.
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

SR
उपायुक्त (दक्षिण)
नगर निकाय - प्रथम पक्ष
जोधपुर विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम UDC
पिता/पति का नाम UDA
व्यवसाय
निवास स्थान
2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

SR
साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

SR
लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फ्राटेक प्रा.लि.
निवास स्थान 15, दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर
2. नाम
पिता/पति का नाम नितिन मोदी
व्यवसाय कपल नाथ मोदी
निवास स्थान होमस्टेड लक्ष्मीय आर्ट
23/SFS-7 श्रीमती हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

SR
साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 02-09-2019 1:21 PM

Fee Receipt No	: 201902063003989	Receipt Date	: 02/09/2019
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	: 201901063004163
Address	: 11-B, SARDARPURA, BACHRAJJI KA BAGH, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a line or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 159	Evaluated Value	: ₹ 109350

Ord-Registration Fee	: ₹ 7	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹ 0
C-81	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹ 32
Surcharge	: ₹ 6	Stamp Duty	: ₹ 0
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 245
		Other than Cash	: ₹ 245
		Total Amount	: ₹ 245

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gross Challan 32863209 ₹ 245

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Signature of recipient
and date of return receipt

Cashier

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक, लूनी

033749



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6540
4/11/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के से दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

(जिनके इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री

सनसिटी विल्डहोम प्रा. लि.

सरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवतराज

व्यवसाय निवासी **सुरदापुर, जोधपुर** जाति
(जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस दस्तावे में जहां कहीं प्रसंग से वस्तु अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्ताफल अलेह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) को द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी एसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कर्तव्यों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा फालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनको द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व नाम **तना 1031**

के खसत संख्या **177** क्षेत्रफल **50.00.00.00** में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में ताल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी शक्ति किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संस्थाओं, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कर्तव्यों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 28 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये **41/15** अंके **11/- 59480** मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक शहरी नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की शर्त जमा कर सकता है, जो उक्त वर्ष, जिसमें शर्त जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की शर्त के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की शर्त के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की शर्त के संदाय के बाधित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के परभाव और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दावा होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, व्यवस्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधुति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बड़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकता है। उक्त नियमों में अन्तर्दिष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तर्दिष्ट या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तर्दिष्ट किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अन्तर्धारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामलों में, अन्तर्दिष्ट के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या बसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रमाप्ति नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति घसटें प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या व्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभावों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूली होगी।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के परभाव यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुभिसंधि या उसके उल्लंघन में कथपूर्वक दस्तावेज के आधार पर दुरुव्यवहार द्वारा अनिष्ट प्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

(क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिबंधित करेगा जो सभी प्रभारों से सहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कानि किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिद्धमुल्ह बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कच्चे का नाम : जोधपुर
राज्य ग्राम : नवावडा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विस्तृत नाम सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
15' x 30' = 50' 00'

सीमा पूर्व Road 30' सीमा पश्चिम P.No. 264
सीमा उत्तर P.No. 220 सीमा दक्षिण P.No. 222 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 22

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 04/07/2019 के माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश विश्णोई
R.A.S.
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

उपायुक्त (दक्षिण)
नगर निकाय - प्रथम पक्ष
राज्य विकास प्राधिकरण
(संलग्न अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम LDC
पिता/पति का नाम SDA
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

उक्त दिनांक 04/07/2019 के माह 04/07/2019 के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लौजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लौजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिस जय इन्द्रा
निवास स्थान 15, दधोनात नगर, जयपुर स्कूल, जोधपुर
- नाम तिलिग मोदी
पिता/पति का नाम कमल नाथ मोदी
व्यवसाय एकलव्य तहरीय आर्ट
निवास स्थान 23/SFS-7 चौपासती हनुमन्ग रोड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 02-09-2019 1:25 PM

Fee Receipt No	: 201902063003990	Receipt Date	: 02/09/2019
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT.LTD. TH. RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	: 201901063004164
Address	: 11-B, SARDARPURA, BACHRAJI KA BAGH, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 159	Evaluated Value	: ₹ 109350

Ord-Registration Fee	: ₹ 7	Fee for Memorandum Us_54_57	: ₹ 0
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹ 0	Reg (memorandum)	: ₹ 32
Surcharge	: ₹ 6	Stamp Duty	: ₹ 0
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹ 0	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 245
		Other than Cash	: ₹ 245
		Total Amount	: ₹ 245

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 32863193 ₹ 245

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

[Signature]



Signature of recipient
and date of return receipt

[Signature]

SUB-REGISTRAR, LUNI
उप पंजीयक, लुणा

033748



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6511
5/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के से दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री

सरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनुवतराज

सनसिटी विल्डहोम प्रा. लि.

प्रायसाय निवासी (जिन्होंने इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इमारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्ताकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निम्नादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निम्नादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्थान ग्राम के खसरा संख्या में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में खल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित समागम व प्रत्येक अपवादा, संस्थाओं, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन सरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये अंके मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक सार्वजनिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के वायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दावी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, स्यासिधिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाभूति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बदा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कसता जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त निबन्धों में अन्तर्निहित निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रत्येक उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अकालावधि की जावेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जावेगी। परन्तु लीजधारक की मूल्य के मामलों में इस नियम के अधीन कोई भी फीस प्रसारित नहीं की जायेगी।
- उक्त निबन्धों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परायेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रगारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुविरति या उसके उल्लंघन में कथपूर्य दस्तावेज के आधार पर दुरुपेक्षित द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के (क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सम्मिर्माण सहित उसे प्रतिबंधित करेगा जो सभी प्रभासों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के-आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : नन्दावडा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गमज/वर्गमीटर
15' x 30' = 50.00

सीमा पूर्व P.No. 30 सीमा पश्चिम P.No. 263
सीमा उत्तर P.No. 281 सीमा दक्षिण P.No. 293 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 292

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 व दिन
श्री ओम प्रकाश विश्नोई
R.A.S.
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

Sw
नगर निकाय - प्रमुख-पुष्प
विकास प्राधिकरण
(जोधपुर नगरीय निकाय के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम LDC
पिता/पति का नाम 3DA
व्यवसाय
निवास स्थान
2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
व दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लोजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लोजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम
पिता/पति का नाम विक्रम शर्मा
व्यवसाय स्व. राजा राम शर्मा
निवास स्थान ऑफिसर जय इन्फांटेक प्रा.लि.
15, दधीमति नगर, नदवासिया स्कूल, जोधपुर
2. नाम
पिता/पति का नाम नितिन मोदी
व्यवसाय कायल नाथ मोदी
निवास स्थान एक्साइटेंट लहरीय आर्ट
23/SFS-7 चौपासनो हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 02-09-2019 1:27 PM

Fee Receipt No	: 201902063003991	Receipt Date	: 02/09/2019
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	: 201901063004165
Address	: 11-B, SARDARPURA, BACHRAJJI KA BAGH, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 159	Evaluated Value	: ₹ 109350

Ord-Registration Fee	: ₹ 7	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 6	Stamp Duty	: ₹ 32
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commissioner	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 245
		Total Amount	: ₹ 245

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 32883168 ₹ 245

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

(Signature)
Cashier



Signature of recipient and date of return receipt

(Signature)

SUB-REGISTRAR
उप पञ्जीयक, लूनी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6572
4/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

(जिनमें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री

सनसिटी विल्डहोम प्रा. लि.

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हर्नवतराज

जाति

व्यवसाय निवासी (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसे अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निवाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुक्तकित्त अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख सम्बन्धित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कर्तव्यों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना

के खसरा संख्या/77 क्षेत्रफल SQ. FT. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वरूपों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कर्तव्यों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु निश्चित कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये अंके से अधिक मात्रा में पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विज्ञापन या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, क्यास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाप्राप्ति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगा।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बड़ा की जाये, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्दिष्ट निर्बंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, क्यावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अध्वारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निर्बंधनों और शर्तों या किन्हीं वृथक् आवेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभावि नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पसन्देय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या व्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रसारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुविविध या उसके उल्लंघन में कथपूरण दस्तावेज के आधार पर दुर्लभपदेशन द्वारा अनिष्ट प्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी द्तरों से सहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा फिलेख के अन्तर्गत पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कास्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : दुनोवडा
खसरा नम्बर : 177
खेजना का नाम : —
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
15' x 30' = 50.0

सीमा पूर्व P.No. 30 सीमा पश्चिम P.No. 262

सीमा उत्तर P.No. 222 सीमा दक्षिण P.No. 224 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 223

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकोन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 04/07/2019 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश विश्नोई
R.A.S.
विम्ब की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

SN
उपायुक्त (दक्षिण)
नगर निकाय - प्रथम पक्ष
जोधपुर विकास प्राधिकरण
(सहयोजक अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम L.D.C.
पिता/पति का नाम JDA
व्यवसाय —
निवास स्थान —

[Signature]
साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम —
पिता/पति का नाम —
व्यवसाय —
निवास स्थान —

—
साक्षी के हस्ताक्षर

अज्ञ दिनांक — सन् 20 — के माह — के —
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री —
लौजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

[Signature]
लौजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय अजित जय इन्फोटेक प्र.लि.
निवास स्थान 15. दधिमाल नगर, नरपासिमा स्कूल जोधपुर

[Signature]
साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम नितिन मोदी
पिता/पति का नाम कमल नाथ मोदी
व्यवसाय स्कालेण्ट लहरीय आई
निवास स्थान 23/SFS-7 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

[Signature]
साक्षी के हस्ताक्षर

**Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI**

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 02-09-2019 1:30 PM

Fee Receipt No : 201902063003992 Receipt Date : 02/09/2019
Name : SUNCITY BUILDHOME Document S. No. : 201901063004166
PVT. LTD. TH.
RAJENDRA MEHTA,

Address : 11-B, SARDARPURA, BACHRAJJI KA BAGH, JODHPUR, JODHPUR
Document Type : Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent

Face Value	Evaluated Value
: ₹ 159	: ₹ 109350
Ord-Registration Fee	Fee for Memorandum Us_64_67
CSI	Certified copying fees Us_57
Stamp (Memorandum)	Reg (memorandum)
Surcharge	Stamp Duty
Penalty	Inspection fee
Us_25_34	Commission
Custody	Others
	Cash Amount Received
	Other than Cash
	Total Amount
	₹ 245
	₹ 245

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gra Chalan 32663035 ₹ 245

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate


Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt



SUB-REGISTRAR
उप-पंजीयक, लूनी





जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6543
4/7/19



यह विलेख आज वर्ष को माह के से दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पल एवं श्री सनसिटी विल्डहोम प्रा. लि. जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवतराज

व्यवसाय निवासी सरदारपुरा, जोधपुर जगति (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पल तथा इस द्वाारात में जहाँ कहीं प्रसंग से ऐसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मन्तविक्त अलैह नी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कर्तव्यों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा चलान किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रधान और लीज बनती है जो योजना राजस्व ग्राम तजवा 31

के खसरा संख्या 177 क्षेत्रफल 50.49 (5.71) है स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में ताल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कर्तव्यों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये वापिस अंके 11/- Sq. yd. मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बरसिय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, स्थायित्व, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बड़ा दी जाये, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तर्गत या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तर्गत किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आवेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत मिश्रण विलेख, दान विलेख, या बसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निहित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभावित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पलदेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रमारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उत्तराधिकार में कथपूरण दस्तावेज के आधार पर दुरुपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के (कु.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिबंधित करेगा जो सभी प्रमातों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिद्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्थान ग्राम : नन्दावाड़ा
खसरा नम्बर : 177
खेजना का नाम :
विस्तृत नाम सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
15' x 30' = 50.00

सीमा पूर्व P. No. 30 सीमा पश्चिम P. No. 261
सीमा उत्तर P. No. 223 सीमा दक्षिण P. No. 225 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P. No. 224

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

अज्ञ सन् 20 04/07/2019 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री भोम प्रकाश विष्णोई
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।
R.A.S.

उपायुक्त (दक्षिण)
नगर निकाय - प्रथम पक्ष
जोधपुर विकास प्राधिकरण
(सहम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम LDC
JDA
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक 04/07/2019 सन् 20 04/07/2019 के माह 04/07/2019 के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लोजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लोजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिस जय इन्फ्रस्ट्रक्चर प्रा. लि.
निवास स्थान 15, दक्षिण गेट, नन्दावाड़ा स्कूल, जोधपुर
- नाम मितिन मोदी
पिता/पति का नाम कमल माध मोदी
व्यवसाय इकॉनॉमिस्ट लहरीय आर्ट
निवास स्थान 23/SFS-7 चौपासानी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 02-09-2019 1:33 PM

Fee Receipt No	: 201902063003993	Receipt Date	: 02/09/2019
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT.LTD. TH. RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	: 201901063004167
Address	: 11-B ,SARDARPURA , BACHRAJ JI KA BAGH ,JODHPUR ,JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 159	Evaluated Value	: ₹ 109350
Ord-Registration Fee	: ₹ 7	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 6	Stamp Duty	: ₹ 32
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 245
		Total Amount	: ₹ 245

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 32863045 ₹ 245

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

[Signature]
Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

[Signature]

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक, लूणी





जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6547
7/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्होंने इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **सनसिटी बिल्डिंग्स प्रा. लि.** जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवंतराज

व्यवसाय निवासी **सरदारपुर, जोधपुर** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इकाई में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुक्तकिल अनेक भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व घात **751631** के खसत संख्या **177** क्षेत्रफल **50' 00" 51"** में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में लात रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्थापित संबंधी स्वतंत्रों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संश्लेषों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत करे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये **11/- Sqm** अंके **11/- Sqm** मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विप्लव या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, कयास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बड़ा दी जायें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, समायोजक परिवर्तन सहित, अन्तरिप्ति या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विभिन्न विधिवत मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिप्ति के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निशुल्क की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परतदेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुस्तिथि या उसके उल्लंघन में कथपूर्व दस्तावेज के आधार पर दुरुपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के (क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंवृत करेगा जो सभी प्रभावों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिक्षण बँक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : द-नो 1935
खसरा नम्बर : 177
सोजना का नाम :
विसृष्ट नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
15' x 30' = 50.00

सीमा पूर्व P.O. 30' सीमा पश्चिम P.No. 260
सीमा उत्तर P.No. 294 सीमा दक्षिण P.No. 296 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड को संख्या यदि कोई हो P.No. 295

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकन ने इसके बाद प्रत्येक दश में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 2019 माह के 07 वें दिन
श्री ओम प्रकाश विष्णोई
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।
R.A.S.

हर
उपायुक्त (दक्षिण)
नगर निकाय - जोधपुर
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम LDC
पिता/पति का नाम UDA
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक 20 सन् 2019 के माह 07 के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
सौजन्यकारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

सौजन्यकारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्य. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.
निवास स्थान 15, दर्धागाँव नगर, मदवासिया स्कूल, जोधपुर
- नाम नितिन मोदी
पिता/पति का नाम मंगल राय मोदी
व्यवसाय एकस्ट्रेन्ट सहरिय-आर्ट
निवास स्थान 23/55-7 नौपलानी हस्तनिर्माण बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 02-09-2019 1:50 PM

Fee Receipt No	: 201902063004000	Receipt Date	: 02/09/2019
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	: 201901063004174
Address	: 11-B SARDARPURA, BACHRAJJI KA BAGH, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 159	Evaluated Value	: ₹ 109350

Ord-Registration Fee	: ₹ 7	Fee for Memorandum Us_54_57	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 6	Stamp Duty	: ₹ 32
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 245
		Total Amount	: ₹ 245

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 32863093 ₹ 245

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate


Cashier



Signature of recipient
and date of return receipt



SUB-REGISTRAR
उप पंजीयक, लूनी

033714



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6543

11/11/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के के दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

(जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवतराज

सनसिटी बिल्डिंग प्रा. लि.

सरदारपुर, जोधपुर

जाति

व्यवसाय निवासी (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से ऐसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुनाफिल अलैह मी सम्मिलित होंगे) के मध्य निम्नादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कनारों जो लीजधारक द्वारा निम्नादित तथा धारण किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तमाम मूखण्ड (जिसें इसके बाद उक्त मूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना

संज्ञक नाम में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में ताल एवं में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संस्करणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कनारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त मूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये अंके में मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कलाई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त मूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, ग्यान्सिथि, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त मूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस मूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बड़ा दी जायें, लीजधारक के द्वारा इस मूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त मूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त मूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालखण्डि स्वयं द्वारा अधधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालखण्डि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं धृक् आदेशों द्वारा, जो राजा सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त मूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ पंजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी ध्वंसित के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या व्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभावों का कोई बकाया राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन मू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख को निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरवस्थिति या उसके उल्लंघन में कथपूरण दस्तावेज के आधार पर दुर्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

(क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंभल करेगा जो सभी प्रभावों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के अन्तर्गत पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिद्दयुल्ल बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : ननोवडा
खसरा नम्बर : 177
संज्ञा का नाम : —
विस्तृत नाम सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
15' x 30' = 50' 00

सीमा पूर्व Road 30' सीमा पश्चिम P.No. 259

सीमा उत्तर P.No. 225 सीमा दक्षिण P.No. 227 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 236

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 के दिन
श्री ओम प्रकाश विष्णोई
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।
RAS

नगर निकाय - प्रथम पक्ष
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)

साक्षी :-

1. नाम LDC
पिता/पति का नाम JDA
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फ्राटेक प्रा.लि.
निवास स्थान 15, दधीमती नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम मिलिन् मोदी
पिता/पति का नाम मनसूख मोदी
व्यवसाय फार्मलैट लूसरीय-आर्ट
निवास स्थान 23/SES.7 चौपासी के राजसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

**Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI**

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 02-09-2019 1:52 PM

Fee Receipt No.	: 201902063004001	Receipt Date	: 02/09/2019
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	: 201901063004175
Address	: 11-B, SARDARPURA, BACHRAJJI KA BAGH, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 159	Evaluated Value	: ₹ 109350
Ord-Registration Fee	: ₹ 7	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 6	Stamp Duty	: ₹ 32
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 245
		Total Amount	: ₹ 245

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 32663106 ₹ 245

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate


Cashier



Signature of recipient
and date of return receipt



SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक, लूणी

033743



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6546
7/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिनके इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सनसिटी बिल्डहोम प्रा. लि.

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनुवतराज

पक्षसाथ निवासी सरदारपुर, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कशरों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम तनावडा के खसरा संख्या 177 क्षेत्रफल 50.89 H.A. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में ताल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कशरों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 11/- अंके 59484 के मात्र पैशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक भारतीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की शर्त जमा कर सकता है, जो उस वर्ष, जिसमें शर्त जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की शर्त के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की शर्त के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की शर्त के संघाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के परचातु और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दाखी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाभूति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जाये, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण करवाया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तर्गत या उप-पट्टे पर दे सकता है। उक्त नियमों में अन्तर्दिष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तर्गत किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रमाशित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ध्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभावों का कोई नकाना राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के परचातु यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुस्ति या उसके उल्लंघन में कथपूर्व दस्तावेज के आधार पर दुर्यपदेशन द्वारा अनिष्टाप्रत किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के (क.प.व.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिबंधित करेगा जो सभी प्रमारों से सहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिद्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : नवावडा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
15' x 30' = 50.00

सीमा पूर्व Road 30' सीमा पश्चिम P.No 252
सीमा उत्तर P.No 226 सीमा दक्षिण P.No 228 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No 227

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 2019 माह के 07 वें दिन
श्री ओम प्रकाश विश्वा
R.A.S.
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

श्री
नगर निकाय (प्रधान) श्री
(जोधपुर नगर निकाय के मुख्य अधिकारी के रूप में)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम LDC
पिता/पति का नाम S.D.A.
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

श्री
साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह 07 के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

श्री
लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्य. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फ्राटेक प्रा. लि.
निवास स्थान 15, दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर
- नाम नितिन मोदी
पिता/पति का नाम कमल नाथ मोदी
व्यवसाय एकलेश्वर लहरीय आर्ट
निवास स्थान 23/SFS-7 चौधरानी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

श्री
साक्षी के हस्ताक्षर

श्री
साक्षी के हस्ताक्षर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 19-11-2019 11:45 AM

Fee Receipt No	: 201902063003891	Receipt Date	: 28/08/2019
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	: 201901063004066
Address	: 11-B, SARDARPURA, BACHRAJJI KA BAGH, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 159	Evaluated Value	: ₹ 109350

Old-Registration Fee	: ₹ 7	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 6	Stamp Duty	: ₹ 32
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 245
		Total Amount	: ₹ 245

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gris Challan 32883122 ₹ 245

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

सुब-रेजिस्ट्रार



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6547
1/17/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के से दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **सनसिटी बिल्डहोम प्रा. लि.** जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री इनवतराज

ज्याति निवासी **सरवापुरा, जोधपुर** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वेशा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और गुनाहिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कर्तव्यों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम **तनावडा** के खसत संख्या **177** क्षेत्रफल **50.40 घ. मी.** में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विरोध रूप से इससे संलग्न नक्शे में ताल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्व सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कर्तव्यों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये **11/- 59484** अंके **11/- 59484** मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कर्ता गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के परचात और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दावी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टापूर्ति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगा।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बड़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्दिष्ट निर्बंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्ररनगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अकथित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निर्बंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आवेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विभिन्नित मामलों में जारी किये जावें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभावित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पतदेव प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभावों का कोई बकाया राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन मू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के परचात यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुर्भिसंधि या उससे उल्लंघन में कथपूर्व दस्तावेज के आधार पर दुर्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के (क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिबंधित करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विवेक के आधार पर उक्त भूखण्ड को सफाई/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : द-नावडा
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गज/वर्गमीटर
15' x 30' = 50.40

सीमा पूर्व Road 30' सीमा पश्चिम P.No. 257

सीमा उत्तर P.No. 237 सीमा दक्षिण P.No. 239 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 238

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 में दिन
श्री ओम प्रकाश विश्नाई
R.A.S.
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

उपनगर निकाय प्रमुख पक्ष
होमिन्स अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम LDC
पिता/पति का नाम JDA
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
में दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
सौजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

सौजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फार्मेटिक्स प्रा.लि.
निवास स्थान 15, दर्पोनाले नगर, मदनवासिया स्कूल, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय मिलिन्द मोदी
निवास स्थान लहरीन आर्ट

साक्षी के हस्ताक्षर

सौजधारक सौजधारक मोदी, जोधपुर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 28-08-2019 5:41 PM

Fee Receipt No : 201902063003890 Receipt Date : 28/08/2019
Name : SUNCITY BUILDHOME Document S. No. : 201901063004065
PVT. LTD. TH.
RAJENDRA MEHTA,

Address : 11-8, SARDARPURA, BACHRAJ JI KA BAGH, JODHPUR, JODHPUR

Document Type : Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent

Face Value	Evaluated Value
: ₹ 159	: ₹ 109350
Ord-Registration Fee	Fee for Memorandum Us_64_67
: ₹ 7	: ₹
CSI	Certified copying fees Us_57
: ₹ 200	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	Reg (memorandum)
: ₹	: ₹
Surcharge	Stamp Duty
: ₹ 6	: ₹ 32
Penalty	Inspection fee
: ₹ 0	: ₹ 0
Us_25_34	Commission
: ₹ 0	: ₹ 0
Custody	Others
: ₹	: ₹ 0
	Cash Amount Received
	: ₹ 245
	Other than Cash
	: ₹ 245
	Total Amount
	: ₹ 245

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 32863136 ₹ 245

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक, लूणा



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6548
4/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **सनसिटी बिल्डहोम प्रा. लि.** जारिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवतराज

जाति

व्यवसाय निवासी **सरदारपुरा, जोधपुर** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्तकित अतएव भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साब्यकृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी वसूली नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कर्तव्यों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को **जमीन** का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व घात **तनावडा** के खसरा संख्या क्षेत्रफल में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसका अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में ताल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कर्तव्यों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये अंके यात्र पैदागी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकता है, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कर्तई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के वास्तविक से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दावा होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टावृत्ति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बड़ा दी जाये, लीजधारक को द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकता है। उक्त नियमों में अन्तर्निहित निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई भी फीस प्रचारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परायेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या आवाज, आन्तरिक/बाह्य विकास घातों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिरंधि या उसके उल्लंघन में कथपूर्व वस्तावेज के आधार पर दुरुपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उस भूखण्ड पर उसके किसी सम्निर्माण सहित उसे प्रतिसंभृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : ८२११३१
खसरा नम्बर : १७७
योजना का नाम :
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
१५' x ३४' = ५०' ८०'

सीमा पूर्व P.O. 30' सीमा पश्चिम P.O. 256

सीमा उत्तर P.O. 222 सीमा दक्षिण P.O. 230 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.O. 229

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् २० माह के ०५/०७/२०१९ वें दिन
श्री ओम प्रकाश विज्ञोई
R.A.S.
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

उपनिर्वाह (अधिकृत)
नगर निकाय - पंचम पक्ष
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर और मोहर)

साक्षी :-

- नाम LDC
पिता/पति का नाम JDA
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् २० के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लौजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लौजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम श्री. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फ्रस्ट्रक्चर प्रा. लि.
निवास स्थान १५, दधीभति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर
- नाम नितिन मोदी
पिता/पति का नाम कमल नाथ मोदी
व्यवसाय एकॉउटेन्ट लहरीय आर्ट
निवास स्थान 23/SFS-7 जीपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

**Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI**

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 26-08-2019 5:34 PM

Fee Receipt No Name	: 201902063003988	Receipt Date	: 28/08/2019
	: SUNCITY BUILDHOME	Document S. No.	: 201901063004063
	PVT. LTD. TH.		
	RAJENDRA MEHTA,		
Address	: 11-B, SARDARPURA, BACHRAJI KA BAGH, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 159	Evaluated Value	: ₹ 109350

Ord-Registration Fee	: ₹ 7	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSJ	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 6	Stamp Duty	: ₹ 32
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 245
		Other than Cash	: ₹ 245
		Total Amount	: ₹ 245

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 32863303 ₹ 245

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक, लुणी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6549
4/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के के दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

(जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **सनसिटी विल्डहोम प्रा. लि.**
जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवतराज

व्यवसाय निवासी **सरदारपुरा, जोधपुर** जाति (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इलाक़ में जहां कहीं प्रसंग से वस्तु अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्तकिल अर्थात् भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख सावधानिकता करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क भी रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा रबीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कसरतों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम **हनावडा**

के खसरा संख्या **177** क्षेत्रफल **50.40 घ. मी.** में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में ताल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतंत्रता सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संस्करणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कसरतों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये **वापिस** अंके **11/- Sqrd** मात्र पैशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की शर्त जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें शर्त जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की शर्त के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की शर्त के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की शर्त के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के परचाल और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अनारण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी दृष्टि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अनारण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगा।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बड़ा री जेवें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तर्गत या उप-पट्टे पर दे सकेगा। फलतः नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तर्गति या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रत्येक उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तर्गत किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अध्यापित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किसी पृथक् आवेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अनारण के मामले में, अन्तर्गति के पक्ष में नाम में अनारण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अनारण के लिए आवेदन के साथ दस्त रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अनारण फीस निक्षिप्त की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रचलित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी ध्वस्त के प्रति पनादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या व्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रसारों का कोई बकाया राजस्थान नू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन नू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के परचाल यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की सुविधसंधि या उसके उत्प्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अधिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सनी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्युल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्थान ग्राम : द. नारायण
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
15' x 30' = 50.49

सीमा पूर्व R. 9.4 30' सीमा पश्चिम P. No. 255

सीमा उत्तर P. No. 299 सीमा दक्षिण P. No. 231 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P. No. 230

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश विश्नोई
P.A.S.
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

[Signature]
नगर निकाय (विकास) अधिकारी
(सहस्र प्रभारिता के तहत कार्य कर रहे हैं)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम LDC
पिता/पति का नाम JDA
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

[Signature]
साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

[Signature]
लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फान्टेक प्रा. लि.
निवास स्थान 15, दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर
- नाम नितिन मोदी
पिता/पति का नाम राजेश नाथ मोदी
व्यवसाय लहरीय आर्ट
निवास स्थान जोधपुर हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

[Signature]
साक्षी के हस्ताक्षर

[Signature]
साक्षी के हस्ताक्षर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 28-08-2019 5:37 PM

Fee Receipt No	: 201902063003889	Receipt Date	: 28/08/2019
Name	: SUNCITY BUILDHOME	Document S. No.	: 201901063004064
	: PVT. LTD. TH.		
	: RAJENDRA MEHTA,		
Address	: 11-B, SARDARPURA, BACHRAJJI KA BAGH	JODHPUR	JODHPUR
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 159	Evaluated Value	: ₹ 109350
Ord-Registration Fee	: ₹ 7	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 6	Stamp Duty	: ₹ 32
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 245
		Total Amount	: ₹ 245

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Chalan 32863154 ₹ 245

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक, लूणी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6550
4/7/19



जोधपुर

यह विलेख आज वर्ष के माह के के दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **सनसिटी बिल्डिंग्स प्रा. लि.**

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनुवतराज

व्यवसाय निवासी **सरदारपुरा, जोधपुर** जाति (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से ऐसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुक्तकिल्ल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज कन्सी है जो योजना राजस्व प्राप्ति **तनावडा** के खसरा संख्या **177** क्षेत्रफल **50' 00' 00"** में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में ताल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतंत्र सट्टा किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संस्करणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और प्रयोजन के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 36 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये **वापिस** अंके **11/- 5484** मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकता है, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के परभाव और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाभूति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जाये, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकता है। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, क्यावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अकथित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं भूयुक्त आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षेप की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुर्नितिति या उसके उल्लंघन में कथपूरण दस्तावेज के आधार पर दुरुपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिग्रहण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंभृत करेगा जो सभी प्रमारों से सहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के-आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिद्दयुक्त बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : द-नावडा
खसरा नम्बर : 177
खेजना का नाम :
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
15' x 31' = 50' 40'

सीमा पूर्व P.No. 301 सीमा पश्चिम P.No. 254

सीमा उत्तर P.No. 230 सीमा दक्षिण P.No. 232 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 231

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश विश्मोई
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।
RAS

DR
उपनगर निकाय (प्रमुख) पक्ष
ईश्वरप्रसाद शर्मा के हस्ताक्षर (साक्षी)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम : LDC
पिता/पति का नाम : DDA
व्यवसाय :
निवास स्थान :
2. नाम :
पिता/पति का नाम :
व्यवसाय :
निवास स्थान :

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम : विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम : स्व. राजा राम शर्मा
व्यवसाय : अफिसर जय इन्फांटेक प्रा.लि.
निवास स्थान : 15, देव, ...सिवा स्कूल, जोधपुर
2. नाम : नितिन मोदी
पिता/पति का नाम : कमल नाथ मोदी
व्यवसाय : एकाउटेन्ट लहरीय आर्ट
निवास स्थान : 23/SFS-7 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 28-08-2019 5:31 PM

Fee Receipt No	: 201902063003887	Receipt Date	: 28/08/2019
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA,	Document S. No.	: 201901063004062
Address	: 11-B, SARDARPURA, BACHRAJJI KA BAGH, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 159	Evaluated Value	: ₹ 109350
Ord-Registration Fee	: ₹ 7	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 6	Stamp Duty	: ₹ 32
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 245
		Total Amount	: ₹ 245

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 32863283 ₹ 245

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR
उप-रजिस्ट्रार, लुणा



जोधपुर विकास प्राधिकरण

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6531
4/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिनमें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सनसिटी बिल्डहोम प्रा. लि.

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवतराज

व्यवसाय निवासी सरदारपुरा, जोधपुर जगति (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय को द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कर्तव्यों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जावेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तनाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना सार्वजनिक प्रांगण के तसरा संख्या में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ

इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में ताल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी रस्सों सहित किन्तु निम्नलिखित तथ्यां व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, कंधों, शर्तों और कर्तव्यों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये अंके मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बरीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की शशि जमा कर सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें शशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करके हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की शशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की शशि को फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की शशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और बिना किसी दान या अन्वधा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, क्यास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बड़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अध्वारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किसी पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस विधित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जावें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जावेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षेप की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई भी फीस प्रचारित नहीं की जावेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परस्पर प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या आज्ञा, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रसारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुविधि या उसके उल्लंघन में कथपूरण दस्तावेज के आधार पर दुर्बपदेशन द्वारा अनिष्टाप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के (क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उससे प्रतिबंधित करेगा जो सभी प्रभावों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिक्षाबूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए कोपक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
राजस्व ग्राम : न-1/93
खसरा नम्बर : 177
योजना का नाम :
विस्तृत नाम सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
15' x 30' = 50' 60

सीमा पूर्व Road 30 सीमा पश्चिम P.N.O. 253
सीमा उत्तर P.N.O. 231 सीमा दक्षिण P.N.O. 233 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.N.O. 232

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकने ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 वें दिन
श्री ओम प्रकाश बिस्नोई
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।
PAS

जोधपुर विकास अधिकारी पक्ष
(सक्षम अधिकारी के अतिरिक्त के लिए)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम LDL
पिता/पति का नाम SDA
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
सौजन्यधरक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

सौजन्यधरक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम विक्रम शर्मा
पिता/पति का नाम सय. राजा राम शर्मा
व्यवसाय ऑफिसर जय इन्फ्राटेक प्रा.लि.
निवास स्थान 15, दधीमति नगर, भदवासिया स्कूल, जोधपुर
- नाम निरिण शर्मा
पिता/पति का नाम मोदी
व्यवसाय लीन आर्ट
निवास स्थान जे. हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 28-08-2019 5:23 PM

Fee Receipt No	: 201902063003885	Receipt Date	: 28/08/2019
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA.	Document S. No.	: 201901063004060
Address	: 11-B, SARDARPURA, BACHRAJJI KA BAGH, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 159	Evaluated Value	: ₹ 109350
Ord-Registration Fee	: ₹ 7	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 6	Stamp Duty	: ₹ 32
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 245
		Total Amount	: ₹ 245

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Chalan 32863273 ₹ 245

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक, लूनी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6552
1/17/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के के दिना जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री **सनसिटी बिल्डिंग प्रा. लि.**

जरिये निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनुमत्सज

स्थपसाय निवासी **सुरदापुरा, जोधपुर** (जिन्होंने इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इकाई में जहां कहीं प्रसंग से विसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलेह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निम्नलिखित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कर्तव्यों जो लीजधारक द्वारा निम्नलिखित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना खण्ड नाम **प्लान 13** के खसरा संख्या **177** क्षेत्रफल **55.459 ई.टी.** में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वरों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संस्थाओं, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कर्तव्यों के अधीन खसरादार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शाही जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये **रु. 11/-** अंके **52484** मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शाही जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के कलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से मुक्त प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **आवासीय** प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जावेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बड़ा दी जायें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जावेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तर्गत या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्लिखित निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्ररनगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अध्यासित की जायेगी किन्तु किसी भी वक्ता में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस विषय में विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुलगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण कीस निक्षिप्त की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई भीस प्रभावित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पशुदेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों या कोई वकया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की वकया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुर्भिक्षि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्धर्षपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के (क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंभृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कांश्त किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा बिलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिद्यूल्ड बैंक/सरकार अणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत अणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के अण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कम्बे का नाम : जोधपुर
 राजस्व ग्राम : दनापुर
 खसरा नम्बर : 177
 योजना का नाम :
 विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
15' x 30' = 50.00

सीमा पूर्व P.No. 30 सीमा पश्चिम P.No. 259
 सीमा उत्तर P.No. 232 सीमा दक्षिण P.No. 234 मानचित्र संलग्न है।
 भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 233

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 04/07/2019 वें दिन
 श्री ओम प्रकाश विश्नोई
R.A.S.
 निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

[Signature]
 उपस्थित (दाक्षण)
 नगर निकाय - प्रथम पक्ष
 जोधपुर निकाय प्राधिकरण
 (सहम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
 जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम LDC
 पिता/पति का नाम SDR
 व्यवसाय
 निवास स्थान
 2. नाम
 पिता/पति का नाम
 व्यवसाय
 निवास स्थान

[Signature]
 साक्षी के हस्ताक्षर

[Signature]
 साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
 वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
 लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
 गये।

[Signature]
 लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम
 पिता/पति का नाम विक्रम शर्मा
 व्यवसाय स्व. राजा राम शर्मा
 निवास स्थान ऑफिसर जय इन्फांटेक प्रा.लि.
15, दधीमाति नगर, भदयासिख स्कूल, जोधपुर
 2. नाम
 पिता/पति का नाम नितिन मोदी
 व्यवसाय कमल नाथ मोदी
 निवास स्थान एकाउटेन्ट लहरीय आर्ट
23/SFS-7 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

[Signature]
 साक्षी के हस्ताक्षर

[Signature]
 साक्षी के हस्ताक्षर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : LUNI

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 28-08-2018 5:26 PM

Fee Receipt No	: 201902063003886	Receipt Date	: 25/08/2019
Name	: SUNCITY BUILDHOME PVT. LTD. TH. RAJENDRA MEHTA	Document S. No.	: 201901063004061
Address	: 11-B, SARDARPURA, BACHRAJ JI KA BAGH, JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 159	Evaluated Value	: ₹ 109350
Ord-Registration Fee	: ₹ 7	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 6	Stamp Duty	: ₹ 32
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 245
		Total Amount	: ₹ 245

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gra Chellan 32853230 ₹ 245

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR,
उप-सूचीयक, लूनी



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

6553
4/7/19



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री

जसिने निदेशक श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवतराज

सनसिटी बिल्डिंग्स प्रा. लि.

व्यवसाय निवासी सरदारपुरा, जोधपुर जाति (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहाँ कहीं प्रसंग से विसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुनाफिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कर्तव्यों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को अधीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्थान ग्राम के सारस संख्या क्षेत्रफल में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में ताल रंग में दिखाया गया है, और जिसे भूगर्भ स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कर्तव्यों के अधीन स्वीकृत करने के उपयोग, उपनोद और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (राष्ट्रीय जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये अंके मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (राष्ट्रीय जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकेंगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के अठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कर्तव्य नवी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के परचात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, क्यास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टावृत्ति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेंगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निर्बंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्ररनगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निर्बंधनों और शर्तों या किन्हीं पुथक् आवेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, बाधित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या बसीयत या अन्य शुभंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ वस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मूल्य के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभासों का कोई बकाया राजस्थान मू-राजस्थान अधिनियम, 1956 के अधीन मू-राजस्थान की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के परचात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/सिद्दयूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : जोधपुर
 राजस्व ग्राम : द-नावडा
 खसरा नम्बर : 177
 खोजना का नाम :
 विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
15' x 30' = 50' 00

सीमा पूर्व Reed 30' सीमा पश्चिम P.No. 251

सीमा उत्तर P.No. 232 सीमा दक्षिण P.No. 235 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 234

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दश में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 04/07/2019 माह के 04/07/2019 वें दिन
 श्री ओम प्रकाश विश्नोई
 निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।
P.A.S.

जोधपुर नगर निकाय
उप-निर्वाहक अधिकारी/पक्ष
(प्रमुख अधिकारी के हस्ताक्षर)
 जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम LDC
 पिता/पति का नाम JDA
 व्यवसाय
 निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
 पिता/पति का नाम
 व्यवसाय
 निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक 04/07/2019 सन् 20 04/07/2019 के माह 04/07/2019 के
 वें दिन की निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री ओम प्रकाश विश्नोई
 लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
 गये।

लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम
 पिता/पति का नाम विक्रम शर्मा
 व्यवसाय विक्रम शर्मा राम शर्मा
 निवास स्थान स्व. राजा राम इलाहाबाद प्र. लि.

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम ऑफिसर जय इन्द्र जय स्कूल, जोधपुर
 पिता/पति का नाम निहित स्थिति नगर, जोधपुर
 व्यवसाय कर्मचारी
 निवास स्थान 23/SFS-7 कोपासवी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर